Wednesday, 27 November, 1968

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 4th

# LOK SABHA DEBATES

[ छठा सत्र
Sixth Session ]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 24-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

## विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 27 नवम्बर, 1968/6 अग्रहायण, 1890 (शक)

*No. 13, Wednesday, November 27, 1968/Agrahayana 6, 1890 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 361. फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण | Loans given by Film Finance Corporation .. | 385—388 |
| 362. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं | Centrally sponsored Schemes .. | 388—392 |
| 364. 'मिग' विमान | M. I. Gs | 392—396 |
| 365. बर्मा के आदिम जातियों के साथ छिपे हुए नागाओं की सांठगांठ | Underground Nagas, Alliances with Burmese Tribes | 396—401 |
| 367. युद्धपोत का निर्माण | Manufacture of Frigate | 401—402 |
| अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No. | | |
| 6. कच्चे रबड़ की कमी | Shortage of Raw Rubber | 403—409 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 363. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कारखानों में फेर बदल | Reshuffling of Units of Hindustan Aeronautics Ltd. | 410 |
| 366. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में विमान इंजनों का निर्माण | Manufacture of Aircraft Engines at Hindustan Aircraft Factory | 410 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय<br>ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 368. छोटा नागपुर और सन्थाल परगना की आदिम जातियां | Tribals of Chhotanagpur and Santhal Parganas | 411 |
| 369. प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये बिजली की दरों को कम करने के लिये राजसहायता | Subsidies for reducing power rates for Defence Production | 411 |
| 370. भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता | Indo-U. K. Bilateral Talks | 411—412 |
| 371. उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध | India's Trade relations with North and South Vietnam | 412 |
| 372. राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक | Ex-Servicemen in Rajasthan | 412—413 |
| 373. समाचार एजेंसियों को भुगतान | Payments to News Agencies | 413 |
| 374. मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना दल | N. C. C. in Madras | 413 |
| 375. भारतीयों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार | International Awards to Indians | 413—414 |
| 376. चीन की परमाणु शक्ति का अनुमान | Assessment of China's Nuclear Power | 414 |
| 377. विदेशों में भारतीय दूतावासों का निरीक्षण | Inspection of Indian Missions Abroad | 414—415 |
| 378. हड़ताल के दिनों में समाचार पत्रों की अखबारी कागज की सप्लाई | Supply of Newsprint to Newspapers during Strike period | 415 |
| 379. बिरल मृद् (रेयर अर्थ) | Rare Earth | 415—416 |
| 380. दक्षिणी रोडेशिया की सरकार द्वारा किये गये अपराध | Crimes Committed by Government of South Rhodesia | 416 |
| 381. बादूदी बोहरा समुदाय के नेता का तनजानिया से निकाला जाना | Expulsion from Tanzania of Dawoodi Bohra Community Leader | 417 |
| 382. सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल | Study Team on Border Publicity | 417 |
| 383. परमानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा भूमि का अर्जन | Acquisition of land by permanent Magnets Ltd., Bombay | 417—418 |
| 384. चीन में नागा लोग | Nagas in China | 419 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या** **S. Q. Nos.** | | |
| 385. रोडेशिया | Rhodesia | 419—420 |
| 386. भारत के विरुद्ध दक्षिण कोरिया के साथ सांठ-गांठ करने का चीन का आरोप | Chinese charge against Indian Collaboration with South Korea | 420 |
| 387. विमान दुर्घटनायें | Aircraft Accidents | 420—421 |
| 388. असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये स्थायी वार्ता व्यवस्था | Permanent Negotiating Machinery for Civilian Defence Employees | 421 |
| 389. लड़ाकू विमान | Combat Aircraft | 421—422 |
| 390. भारतीय व्यापारियों के संबंध में जाम्बिया के राष्ट्रपति का वक्तव्य | Statement by Zambian President on Indian Businessmen | 422 |
| **अता० प्र० संख्या** **U. S. Q. Nos.** | | |
| 2267. भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र | Bhabha Atomic Research Centre | 422—423 |
| 2268. भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र | Bhabha Atomic Research Centre | 423 |
| 2269. ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय | Indian High Commission in U. K. | 424 |
| 2270. शौकिया रेडियो आपरेटर | Amateur Radio Operators | 425 |
| 2271. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड | Bharat Earth Movers Ltd. | 425—427 |
| 2272. गुजरात में परमाणु बिजली घर | Atomic power Station in Gujarat | 428 |
| 2273. चलचित्र वित्त निगम | Film Finance Corporation | 428 |
| 2274. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एककों में अनुसन्धान कार्य | Research work in Units of Hindustan Aeronautics Ltd. | 428—429 |
| 2275. विदेशों में भारतीय दूतावासों में प्रचार अधिकारी | Publicity Officers in Indian Missions Abroad | 430 |
| 2276. आकाशवाणी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय | Expenditure on All India Radio Cultural Programmes | 430 |
| 2277. विज्ञापनों का प्रसारण | Commercial Broadcasts | 430—431 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2278. सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण | Manufacture of Cheap Radio Sets | 431 |
| 2279. स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों की विदेश यात्रा | Tour Abroad by Late Prime Ministers | 431 |
| 2280. पख्तूनिस्तान के बारे में राष्ट्रीय समिति का गठन | Formation of a National Committee on Pakhtoonistan | 432 |
| 2281. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी | Emergency Commissioned Officers | 432—433 |
| 2282. अफ्रीकी एशियाई एकता संगठन का सम्मेलन | Conference of Afro-Asian Solidarity Organisation | 433 |
| 2283. सिक्कम में अमरीकी संगठन | American Organiations in Sikkim | 434 |
| 2284. नागालैंड | Nagaland | 434 |
| 2285. आन्ध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन | Radio Stations in Andhra Pradesh | 434—435 |
| 2286. आकाशवाणी के प्रसारणों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करना | Distoration of facts in AIR Broadcasts | 435 |
| 2287. हज यात्री | Haj Pilgrims | 435 |
| 2288. चौथी योजना में औद्योगिक और निर्यात कार्यक्रम में गैर सरकारी क्षेत्र का सहयोग | Association of Private Sector with Industrial and export programme during Fourth Plan | 436 |
| 2289. आकाशवाणी के साम्यवादी विचाराधारा वाले कर्मचारी | Staff with Communist Leanings in A. I. R. | 436 |
| 2290. पाकिस्तान और चीन के कब्जे में क्षेत्र | Territory under occupation of Pakistan and China | 436—437 |
| 2291. प्रतिरक्षा के असैनिक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा | Wage Structure of Civilian Defence Employees | 437—438 |
| 2292. वायु सेना की उड़ान शाखा | Flying Branch of Air Force | 438 |
| 2293. फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड | Film Finance Corporation Ltd. | 438—439 |
| 2294. फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड | Film Finance Corporation Ltd. | 439 |
| 2295. फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड | Film Finance Corporation Ltd. | 439—440 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2296. फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड | Film Finance Corporation Ltd. | 440 |
| 2297. केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा फिजी का दौरा | Union Labour Minister's visit to Fiji | 440 |
| 2298. संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय शिष्ट मण्डल में शामिल किये गये संसद् सदस्य | M. Ps. Included in Indian Delegation to U. N. O. | 441 |
| 2299. ब्राजील के साथ परमाणु अनुसन्धान के लिये करार | Agreement for Nuclear Research with Brazil | 441 |
| 2300. यू० ए० आर० ई० 300 इंजिनों का उड़ान परीक्षण | Flight Trials of UAR-E-300 Engines | 441—442 |
| 2301. केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं | Centrally sponsored Schemes in Kerala | 442 |
| 2302. चीन से छिपे नागाओं की वापसी | Return of Underground Nagas from China | 442 |
| 2303. बी० बी० सी० के फैमली फेवरिट नामक कार्यक्रम के ढंग का प्रसारण | Broadcast of a Family Favourite Programme on Pattern of B. B. C. .. | 443 |
| 2304. महात्मा गांधी की शिक्षाओं का प्रसारण | Broadcast of Mahatma Gandhi's Teachings | 443 |
| 2305. दुबाई स्थित भारतीय मिशन द्वारा पारपत्र जारी करना | Passports issued by Indian Mission at Dubai | 443—444 |
| 2306. संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय प्रतिनिधिमंडल में डा० रूडोल्फ डी मैलो का शामिल किया जाना | Inclusion of Dr. Rudolph De. Mello in Indian Delegation to UNO | 444 |
| 2307. हिन्द महासागर में चीन द्वारा परमाणु शस्त्रों का प्रस्तावित परीक्षण | Chinese proposed Nuclear Test in Indian Ocean | 444 |
| 2308. पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार | Anti Indian propaganda by Pakistan | 445 |
| 2309. आयुध कारखानों के महानिदेशक के मुख्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना | Shifting of Director General Ordnance Factories | 445—446 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2310. प्रतिरक्षा जनसम्पर्क विभाग | Defence Public Relations Department | 446 |
| 2311. कूपर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर | Cooper Allen and Company, Kanpur | 446—447 |
| 2312. पाकिस्तान के विधि मंत्री द्वारा कच्चाटीवू द्वीप के ऊपर से उड़ान | Pakistan Law Minister's Flight over Kachchativu Island | 447—448 |
| 2313. विज्ञापनों के प्रसारण से आकाशवाणी को आय | A. I. R. Earnings through Commercial Broadcasts | 448 |
| 2314. नौसैनिक अकादमी | Naval Academy | 448—449 |
| 2315. विमानों के उपकरणों का निर्माण | Manufacture of Aviation Accessories | 449 |
| 2316. नौसेना में मछुए | Fishermen in Navy | 450 |
| 2317. प्रतिरक्षा पर व्यय | Defence Expenditure | 450—451 |
| 2318. पाकिस्तान रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार | Anti Indian propaganda by Pak. Radio | 451—452 |
| 2319. नागाओं तथा मिजोओं द्वारा हथियार डालना | Surrender of Nagas | 452 |
| 2320. संगणकों का निर्माण | Manufacture of Computers | 452—453 |
| 2321. प्रतिरक्षा अनुसन्धान | Defence Research | 453 |
| 2322. चौथी पंचवर्षीय योजना | Fourth Five Year Plan | 453—754 |
| 2323. आकाशवाणी के नये केन्द्रों की स्थापना के लिये विचाराधीन प्रार्थनाएं | Pending Requests for New AIR Stations | 454 |
| 2324. 1970 से 1979 के बीच भारत की सुरक्षा को खतरा | Threat to India's Security during 1970 to 1979 | 455 |
| 2325. केन्द्रीय विधि मंत्री के भाषणों की जांच के लिये केरल सरकार का अनुरोध | Kerala for Scrutiny of Union Law Minister's Speeches | 455—456 |
| 2326. वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का वाशिंगटन में वक्तव्य | Statement by Minister of State for External Affairs in Washington | 456 |
| 2327. छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन | Acquisition of land in Cantonment Areas | 456—457 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2328. सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा निगम, 1951 | Military land and Cantonment Service Rules, 1951 | 457 |
| 2329. छावनी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण | Construction of Houses in Cantonment Areas | 457 |
| 2330. भारतीय सांख्यकी संस्थान, कलकत्ता में विद्युत चालित संगणक | Electronic Computer in Indian Statistical Institute, Calcutta | 458 |
| 2331. आजाद हिन्द फौज के सैनिक | I. N. A. personnel | 458—459 |
| 2332. उत्तर भारत में परमाणु बिजली घर | Atomic Power Plant in North India | 459 |
| 2333. दक्षिण पूर्वी एशियाई समुद्र में रूसी युद्ध पोतों का प्रवेश | Soviet War Ships in South East Asian Waters | 459—460 |
| 2334. फोर्ट विलियम, कलकत्ता | Fort William, Calcutta | 460 |
| 2335. काश्मीर के बारे में सुरक्षा परिषद् में भारत की मूल शिकायत | India's Original Complaint to Security Council about Kashmir | 460—461 |
| 2337. आकाशवाणी से बाजार भाव संबन्धी बुलेटिन प्रसारित करना | Broadcast of Price Bullctins from A. I. R... | 461 |
| 2338. पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा सोने के आभूषणों का जब्त किया जाना | Seizure of Gold Ornaments by Pakistan Authorities | 461—462 |
| 2339. टेलिविजन तथा रेडियो के लिये एशियाई समाचार अभिकरण | Asian News Agency for T. V. and Radio | 462—463 |
| 2340. पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये अल्पसंख्यक समुदायों को बसाने के लिये पाकिस्तान से राज्य क्षेत्र मांगना | Demand for Pak. Territory for settlement of minority communities ftom East Pakistan | 463 |
| 2341. चलचित्र निर्माताओं द्वारा धोखा-धड़ी | Defrauding by Film Producers | 463 |
| 2342. अणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी अनुभाग | Hindi Cell in Atomic Energy Department.. | 464 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2343. आण्विक ऊर्जा विभाग में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in Department of Atomic Energy | 464 |
| 2344. पाकिस्तान की मिजुओं को सहायता | Pakistan's assistance to Mizos | 464—465 |
| 2345. शंघाई में कैद भारतीयों की रिहाई | Release of Indians imprisoned in Shanghai. | 465 |
| 2346. बेकार घोषित गोला बारूद | Rejected Ammunition | 465—466 |
| 2347. बिहार में रेडियो सेटों के लिये बैटरियों की कमी | Shortage of Batteries for Radio sets in Bihar | 466 |
| 2348. भूमिगत नागाओं द्वारा गठित नई पार्टी | New Party formed by underground Nagas | 466—467 |
| 2349. योजना के लिये पंचायत को एकक मानना | Panchayat as Unit for Planning | 467 |
| 2350. नेपाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास | Indian Consulate Officers in Nepal | 468 |
| 2351. रोमांचकारी समाचार पत्र | Yellow Press | 468 |
| 2352. पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की दशा | Condition of Gurudwaras in Pakistan | 468—469 |
| 2353. गाजियाबाद में फिल्म स्टूडियो | Film studio at Ghaziabad | 469 |
| 2354. प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग द्वारा कलकत्ता में एक मकान का किराये पर लिया जाना | Renting of a house by Department of Defence Production at Calcutta | 469 |
| 2355. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले | Hill districts of U. P. | 470 |
| 2356. राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडटों का इंडियन मिलटरी अकादमी में प्रवेश | Admission of NCC cadets to the IMA | 470 |
| 2357. प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिये योजना आयोग में एक अलग विभाग तथा अलग एक मंत्रालय | Separate cell in Planning Commission and a separate Ministry of tackle Natural Calamities | 471 |
| 2358. आकाशवाणी से वीर रस कार्यक्रम को आरम्भ करना | Introduction of Vir Ras Programme on AIR | 471 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2359. भारत तथा नेपाल के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता | Ministerial level talks between India and Nepal | 471—472 |
| 2360. तेवान का शिष्टमंडल | Delegation from Taiwan | 472 |
| 2361. गोवा के युवकों को पुर्तगाली सेना में भर्ती के बारे में अफ्रीकी विद्यार्थी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव | Resolution passed by African Students Union Re. Recruitment of Goan Youths in the Portuguese Army | 472—473 |
| 2363. पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन | Demarcation of International Border between West Bengal and East Pakistan | 473 |
| 2364. विकास दर | Growth Rate | 474 |
| 2365. भूमिगत नागाओं का नया प्रधान | New President of Underground Nagas | 474 |
| 2367. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी | Emergency Commissioned Officers | 474—475 |
| 2368. बाढ़ द्वारा एक महिला को पूर्वी पाकिस्तान बहा ले जाना | Carrying away of a lady by Floods to East Pakistan | 475—476 |
| 2369. मणीपुर के लिए युद्ध प्रतिकर | War Compensation for Manipur | 476 |
| 2371. देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी केडेट | Student Cadets from Madhya Pradesh in Rashtriya Indian Military College at Dehradun | 476 |
| 2372. भारत में रेडियो सेट | Radio Sets in India | 477 |
| 2373. मध्य प्रदेश के बस्तर तथा सरगुजा जिलों में प्रतिव्यक्ति आय | Per capita Income in Bastar and Surguja districts of M. P. | 477 |
| 2374. झुक गया आसमान फिल्म | Jhuk Gaya Aasman Film | 477—478 |
| 2375. फिल्मों को प्रदर्शन के लिए मंजरी देना | Release of Films | 478 |
| 2376. आजाद हिन्द फौज का रजत जयन्ती समारोह | Silver Jubillee Celebration of INA | 478 |
| 2377. आकाशवाणी पत्रिका में गलती | Error in Akashwani Publication | 478—479 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 2378. बेरूबाड़ी का सीमांकन | Demarcation of Berubari | 479 |
| 2379 सोवियत संघ नकशों में काश्मीर | Kashmir in Soviet Maps | 479—480 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया) | Re. Calling Attention Notices (Procedure) | 480—481 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 481—484 |
| पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्तियों की नीलामी | Auction of Properties of East Pakistan Displaced persons | 481—484 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 485 |
| सदस्य का जेल से स्थानांतरण और रिहाई (श्री मधु लिमये) | Transfer from Jail and Release of Member. (Shri Madhu Limaye) | 485 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members' Bills and Resolutions | 486 |
| चालीसवां प्रतिवेदन | Fortieth Report | 486 |
| जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में | Re. Strike by LIC employees | 487—488 |
| भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक | Indian Railways (Amendment) Bill | 486, 488—500 |
| खंड 2 | Clause 2 | 488—500 |
| देश में सूखे की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव | Motion re: statement on drought conditions in the country | 500—509 |
| श्री जगजीवन राम | Shri Jagjivan Ram | 500 |
| श्री रंगा | Shri Ranga | 501—503 |
| श्री प० ला० बारूपाल | Shri P. L. Barupal | 503—504 |
| डा० कर्णी सिंह | Dr. Karni Singh | 504—506 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa | 506—507 |
| श्रीमती सुधा वी० रेड्डी | Shrimati Sudha V. Reddy | 507—508 |
| श्री क० लकप्पा | Shri K. Lakkappa | 508—509 |
| श्री अमृत नाहाटा | Shri Amrit Nahata | 509 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

अंक 13, बुधवार, 27 नवम्बर, 1968/6 अग्रहायण, 1890 (शक)
*No 13, Wednesday, November 27, 1968/Agrahayana 6, 1890 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

*361. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1960 में हिन्दी पाण्डुलिपि 'शिकवा' के आधार पर चलचित्र बनाने के लिये फिल्म वित्त आयोग से उस समय $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये का ऋण मांगा था जब कि फिल्म 'शहर और सपना' बनाई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाण्डुलिपि तालिका समिति ने इस ऋण के लिये आवेदन-पत्र इस आधार पर कर दिया था कि बनाई गई फिल्म अधिक अच्छी नहीं होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिल्म 'शहर और सपना' को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था;

(घ) क्या फिल्म 'गोदान' तथा 'नई उमर की नई फसल' जिनके लिये क्रमश: 5,03,425 तथा 5,13,182 रुपये का ऋण दिया गया था, बुरी तरह असफल रहीं और वे ऋण वसूल नहीं हो सकते; और

(ङ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या 7 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 365 का उत्तर तथ्यों पर आधारित था ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के०शाह)** : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) यह सच है कि दोनों फिल्मों को 1961 में (गोदान) और 1962 में नई (नई उमर की नई फसल) जो ऋण दिया गया था वे उसे वापिस करने में असफल रही ।

(ङ) तथापि, जो अनुमान लगाया गया है वह सर्वथा अनुचित है । प्रश्न संख्या 365 के उत्तर में जो कुछ भी कहा गया है, बिल्कुल सही है । रकम वापिस करने में पार्टियों की असफलता को पक्षपात नहीं कहा जा सकता । जैसा कि 7 अगस्त, 1968 के प्रश्न संख्या 365 के उत्तर में बताया गया है, किसी भी अभ्यावेदन में किसी भी प्रकार के पक्षपात का कोई उल्लेख नहीं है । यहां तक कि माननीय सदस्य भी पक्षपात का आरोप नहीं लगाते उन्होंने जो अनुमान लगाया है वह उचित नहीं है ।

**Shri Prem Chand Verma:** Mr. Speaker, I want to convey my request through you. The Hon. Minister had stated earlier and again has explained with reference to last question that what he had said is not correct. He had stated that his information regarding Go-Dan is incorrect. I will read out his reply.

"मेरे माननीय मित्र को ठीक सूचना नहीं दी गई है । गोदान को सहायता दी गई थी । अतएव वह ठीक नहीं है ।"

Now he is saying that it is correct. I repeatedly asked about "Shehr Aur Sapna" and "Godan". Last time I asked another question number 365 whether "Shehr Aur Sapna" has received President's Gold medal. He said that .....

"मैं नहीं जानता कि वे किस फिल्म की बात कर रहे हैं परन्तु चारुलता नाम की बंगाली फिल्म को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था और उसको सहायता दी गई थी, 'नायक' नाम की बंगाली फिल्म को विशेष इनाम मिला था ।"

Regarding that film he has stated that it has not received that prize and said that I have no knowledge. I have got a letter from Film Corporation. The document says:

"इस फिल्म को 1963 में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र होने के कारण राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला है ।"

I want to lay the letter on table so that everyone may know that this picture has received President's Gold medal, whereas the Hon. Minister has denied it. Secondly he says regarding 'Go-Dan' that the money has not been repaid. It is my question of privilege because he says that I do not know anything. The Hon. Minister says.

"निगम ने 'गोदान' और 'नई उमर की नई फसल' के लिए क्रमशः 5,03,425 रुपयों और 5,13,182 रुपयों का ऋण दिया है 'गोदान' और 'नई उमर की नई फसल' के लिए ऋण उचित किस्तों में दिया गया था ।"

I asked about three questions but I think what he has replied is incorrect. He says that he does not know but according to my document it has been accepted.

Whether it is correct that the Directors of Film Finance Corporation has connection with the Trilok Jetly (Go-dan) and Vishwa Bharti Film Private limited and due to this the Fourth class scripts were given 5 lakhs rupees each.

Whether it is correct that in the clause 10 of agreement with Shri Jetly and clause 8 of the agreement of Vishwa Bharti it has been stated that the loans were to be given against the security of declaration file of Film Producer's movable and immovable property? If so, then how much property was declared in both against which Rs. 5 lakhs each were given?

**श्री के० के० शाह** : मुझे दुःख है कि मेरे माननीय मित्र किसी भी उत्तर से परेशान हो जाते हैं, परन्तु वहां दिए गए उत्तर का पढ़ना ठीक रहेगा।

"किसी भी अभ्यावेदन में पक्षपात का विशिष्ट मामला नहीं दिया गया है। कुछ निर्माताओं ने, जिनका ऋण का आवेदन-पत्र फिल्म वित्त निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, निगम के निर्णय के विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदन दिया। इन अभ्यावेदनों की जांच की गई और जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, इसके लिए अध्यक्ष को मामले की जांच करने को कहा गया।"

मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूं वह यह है कि श्री के० ए० अब्बास ने 1960 में आवेदन-पत्र दिया था। उस समय फिल्म वित्त निगम वित्त मंत्रालय के अधीन था। अगर वे कोई सूचना चाहते हैं तो हम कागजात प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि वे वित्त मंत्रालय के पास थे। जहाँ तक इन दो फिल्मों का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 'गोदान' को फिल्म पत्रकारों की संस्था ने 1963 का सर्वश्रेष्ठ चलचित्र घोषित किया था और पार्श्वगायिका श्रीमती आशा भोंसले को इनाम मिला तथा रागिनी और मनोहर दीपक सर्वश्रेष्ठ नत्तृकी घोषित की गईं। मेरे माननीय मित्र को यह मालूम होगा कि इन चलचित्रों को भी मान्यता मिली परन्तु दुर्भाग्यवश वे बाक्स आफिस की दृष्टि में सफल नहीं हुईं।

**Shri Prem Chand Verma:** Mr. Speaker, The reply of my question is different. Reply of only those questions should be given which are asked.

My second question is (a) whether it is correct that the amount given to both the films was Rs. 10 lakhs and the interest was Rs. 2 lakhs? Whether it is also correct that interest for several years was not charged on both loans? If so, then what is the details and if not, then at what rate the interest was charged and how much amount was at their credit on 31-3-68.

(b) The names of the Companies or Films which were given loans and in whose cases the repayment is not being made according to the Schedule. What is the total principal amount and interest and the extent of loss to the company up to now?

(c) Will the Government conduct an enquiry on those directors of Film Finance Corporation which held the post even after 1960 and handover the cases to C. B. I. so that the misappropriation of all cases may come to light.

**श्री के० के० शाह** : जहाँ तक गोदान का सम्बन्ध है, हमने 2,70,699 रुपये वसूल कर लिए हैं जिसमें 1,18,707 रुपये ब्याज के हैं और शेष 3,29,522 रुपयों के लिए डिगरी प्राप्त कर

ली गई है। जहाँ तक दूसरे फिल्म का सम्बन्ध है, हमने 4,86,633 रुपये, जिसमें 1,92,260 रुपये ब्याज के शामिल हैं, वसूल कर लिए हैं और शेष राशि के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** पिछले करीब एक वर्ष से मैं मंत्री महोदय से बार-बार कहता रहा हूं कि फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के प्रति उनको सावधानी बरतनी चाहिए। वे इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वे उसी ढंग से कार्य कर रहे हैं निगम को इससे हानि उठानी पड़ेगी। मैं उनसे फिर से प्रार्थना करूंगा कि वे जनहित के लिए उन फिल्मों को ऋण देने में सावधानी बरतें जिनका कि निर्माण किया जा रहा है। (व्यवधान) क्या मंत्री महोदय विभागीय जांच करवायेंगे ? मैं अन्य प्रतिपक्षी सदस्य का समर्थन नहीं करूंगा जो यह कह रहे हैं कि यह मामला सी० बी० आई० को जाँच के लिए दिया जाय परन्तु मंत्री महोदय को निगम के कार्यों की उचित विभागीय जाँच करवानी चाहिए नहीं तो जनता का धन व्यर्थ जा रहा है और गैर-सरकारी उपक्रम समिति को मजबूर होकर जाँच करने के लिए कहना पड़ेगा। हमारे प्रार्थनाओं के बावजूद भी मंत्री महोदय इस मामले में अपनी उसी लीक पर चल रहे हैं (व्यवधान)

**श्री के० के० शाह :** माननीय सदस्य को मेरी बात सुननी चाहिए। यह एक स्वायत्त संस्था है और मेरे पास कोई अपीलीय शक्तियां हैं परन्तु जब भी इस ओर मेरा ध्यान दिलाया जाता है तो मैं जाँच करवाता हूं और उन्हें सूचना देता हूं।

## केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

*362. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश का पालन करते हुए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, योजना आयोग ने ऐसी योजनाओं को राज्यों को सौंपने के लिए अग्रेतर कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भविष्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित की जाने वाली नयी विकास योजनाओं के बारे में इस बीच क्या मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति के निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से 45 योजनाएं निकाल दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। ब्यौरे की जांच-पड़ताल करने के बाद, मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का निश्चय किया जाएगा।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : केन्द्र ने जो योजनाएं राज्य को सौंपी हैं वे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में की गई हैं, अतएव क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित 89 योजनाओं में से केवल 45 योजनाएं किस माप-दण्ड तथा मार्ग-दर्शक के आधार पर सौंपी गई हैं ? और शेष योजनाएं क्यों नहीं सौंपी गई ?क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि 45 योजनाओं को सौंपते समय सम्बन्धित राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त कर ली गई थी और केन्द्र और राज्यों द्वारा किस सीमा तक वित्तीय भार आपस में वहन किया जा रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत** : प्रशासनिक सुधार अयोग ने चार मापदण्ड निर्धारित किये हैं। पहला कि परियोजनाओं का स्वरूप प्रादेशिक अथवा अन्तर-राज्यीय हो दूसरा, उनको एकराशि देने की व्यवस्था हो तीसरा, उनका अखिल भारतीय महत्व हो, और चौथा, वे मुख्यतः अनुसंधान तथा सर्वेक्षण की परियोजनाएं हों, ये चार मापदण्ड थे, इसके साथ-साथ राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसमें मुख्य मंत्री शामिल थे और जिसका उपाध्यक्ष ने सभापतित्व किया था, इस मापदण्ड को स्वीकार कर लिया और कुछ अन्य मार्ग-दर्शक दिये। उन्होंने इसको प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार किया।

**श्री रंगा** : उपाध्यक्ष को छोड़कर सामान्य जन ने मापदण्ड और मार्ग-दर्शक सिद्धान्त दिये क्योंकि वे मुख्य मंत्री थे।

**श्री ब० रा० भगत** : मैंने कहा है कि ये चार मापदण्ड प्रशासनिक सुधार अयोग ने दिये हैं। वे सभी विशिष्ट सदस्य हैं। तब इस मामले पर सरकारी समिति ने विचार किया। इसने समस्त प्रश्नों की जांच की तब उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य मंत्री तथा उपाध्यक्ष शामिल हैं अतएव माननीय सदस्य का यह कहना गलत है.....

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकती हूं ? राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति में केवल मुख्य मंत्री हैं क्योंकि वे यह बताने की स्थिति में है कि अपने राज्यों में वे क्या कर सकते हैं। इस समिति ने, जिसने जुलाई, 1968 में बैठक की थी, सरकारी समिति की स्थापना की जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर देखे जिसका कि राज्य मंत्री ने अभी जिक्र किया है और मंत्रालयों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये नये प्रस्तावों पर विचार करना है, उन्होंने निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये हैं।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रशासन सुधार आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना चाहिए।

(ख) जिन योजनाओं को राज्य को सौंपने का निर्णय ले लिया गया है उनको फिर से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्र में नहीं सौंपना चाहिए जब तक कि ऐसा करना अनिवार्य न हो जाये।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम से कम रखनी चाहिए और इसका व्यय एक निश्चित प्रतिशत, जो कि राज्य योजना सहायता का छठा या सातवां भाग हो, से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में समस्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजिन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता दे ।

जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है सरकारी समिति ने प्रत्येक योजनाओं पर विचार किया था और एक विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रस्तुत किया जिसकी बैठक सितम्बर में हुई । समिति ने अन्तिम रूप से विवरण में दी हुई 52 योजनाओं पर स्वीकृति दे दी और यह तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर में 13 नवम्बर को सभा-पटल पर रख दी गई ।

**देवकी नन्दन पाटोदिया :** जो योजनाएं राज्यों को सौंप दी गई हैं उनके बारे में केन्द्र और राज्य सरकार किस सीमा तक वित्तीय भार आपस में वहन करेंगे ? मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र ऐसी योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए आवंटन में वृद्धि करेगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित 52 योजनाओं को केन्द्र शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देगा । जो राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं वे राज्य की योजना का अंग बन जायेंगे । केन्द्र से ऐसी योजनाओं को वित्तीय सहायता देने का कोई बचन नहीं दिया गया है ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** यह बड़ी अजीब स्थिति है । उन योजनाओं को, जिनको कि पहले केन्द्र ने अपने हाथ में लिया था और उसको वित्तीय सहायता देनी थी, अब कुछ कार्यपद्धति विषयक कठिनाइयों और राज्यों को इसे लागू करने की शिफारिशों के कारण अब इसका हस्तान्तरण किया जा रहा है । राज्य इन योजनाओं के लिए कहां से वित्तीय साधन जुटाएगी जिनको आरम्भ में केन्द्र ने वित्तीय सहायता देनी थी ? दूसरा मैं जान सकता हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग की इन योजनाओं में हस्तान्तरण की सिफारिश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई है क्योंकि राज्यों में ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको पूर्ण तथा ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा है जैसा कि राजस्थान नहर है । ऐसे कुछ न्यायोचित मामले भी हैं जहां कि राज्य की योजना का केन्द्र को हस्तान्तरित करना चाहिए न कि केन्द्र राज्य को हस्तान्तरित करे ।

**श्री ब० रा० भगत :** केन्द्रीय सहायता देने के ढांचे को भी निर्धारित कर दिया गया है । दूसरे दिन मैंने पटल पर एक नया मापदण्ड रखा था जिसको सब मुख्य मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया, राजस्थान नहर जैसे विशिष्ट परियोजनाओं और राज्य तथा पिछड़े हुए प्रदेश के काफी संख्या में आदिमजाति जनसंख्या की विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रतिशत सहायता विशिष्ट परियोजनाओं को दी जायेगी और 10 प्रतिशत सहायता राष्ट्रीय औसत से नीचे के राज्यों को दी जायेगी । राजस्थान नहर जैसी परियोजनाओं को 10 प्रतिशत सहायता दी जायेगी जो कि विशेषतः उन राज्यों के लिए निर्धारित की गई है जिनकी विशेष समस्या अथवा विशिष्ट योजना है ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं, मेरा प्रश्न उन योजनाओं से है जिसको आकार रूप दे दिया गया है और केन्द्र ने इसको क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया है। उन योजनाओं को वित्तीय सहायता कैसे दी जायेगी ? मैं भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

**श्री ब० रा० भगत :** उसके लिए राज्य की संसाधनों से धन लिया जाएगा। इसमें नए योजना के अन्तर्गत प्रदत्त की हुई उदार केन्द्रीय सहायता है।

**श्री चेंगलराया नायडू :** क्या मैं प्रधान मंत्री से जान सकता हूं कि प्रशासन सुधार आयोग के पास विचारार्थ विषय क्या है और अपना कार्य समाप्त करने में वे कितना समय लेंगी ? सरकार को अपना प्रतिवेदन देने से पहले अध्यक्ष इसकी सूचना समाचार-पत्रों में दे रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी कोई सीमा है और क्या प्रधान मंत्री ऐसे कदम उठाने जा रही हैं जिससे वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर सकें ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** हम प्रतिवेदनों के शीघ्र आने की प्रतीक्षा में हैं, कई प्रतिवेदन आ गए हैं कुछ को क्रियान्वित कर दिया गया है और कुछ विचाराधीन हैं, परन्तु मैं नहीं समझती कि यह समय प्रशासन सुधार आयोग पर चर्चा करने का है।

**श्री लोबो प्रभु :** इन योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय मापदंड इस सभा के लिये बहुत आवश्यक है। आप वित्त आयोग के प्रस्तावों के अन्तर्गत सामान्य रूप से अपेक्षित धन को हस्तान्तरण कर रहे हो, क्या इससे कुछ मामलों में न्यूनता तथा अधिकता नहीं हो जायेगी ? दूसरा, जब आप इन योजनाओं को हस्तान्तरित कर रहे हो तो उसी अनुपात में कर्मचारी वृन्द को भी कम किया जा रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत :** अगर योजना को हस्तान्तरण किया जाता है तो उसके साथ-साथ कर्मचारी वृन्द का भी स्थानान्तरण किया जाता है, उसी सीमा तक यहां कमी की जाएगी।

**श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या यह प्रश्न का उत्तर है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न का उत्तर है।

**श्री क० लकप्पा :** कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को सौंप दिया गया है जिसके कारण राज्य संसाधनों को जुटाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कहा है कि वे ऐसी योजनाओं के लिये संसाधन जुटाएं ? मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने इसके लिये कोई तदर्थ व्यवस्था की है ?

**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने का सवाल है यह दो भागों में है। एक भाग केन्द्रीय सहायता देने का है जो कि सब मुख्य मंत्रियों

द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित मापदंड पर आधारित होगा। शेष जो कि बहुत आवश्यक है, राज्यों द्वारा स्वयं जुटाया जायेगा। अतएव चाहे राज्य की योजना बड़ी हो अथवा छोटी, चाहे इसमें वे सभी परियोजनाएं हों जो वे हाथ में लेना चाहते हैं या नहीं, अधिक सीमा तक उन संसाधनों पर निर्भर होंगे जो कि राज्य स्वयं जुटाएंगे।

**श्री क० लकप्पा** : यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार और राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा सुझाये गये तदर्थ योजना बनाने का योजना आयोग ने प्रस्ताव किया है ?

**श्री ब० रा० भगत** : ऐसी कोई तदर्थ व्यवस्था नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

## 'मिग' विमान

*364. **श्री रणजीत सिंह :**
**डा० सुशीला नैयर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा मिग विमानों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रगति कर रहा है, और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में बने मिग विमानों का प्रयोग देश में कब तक सम्भव हो सकेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) आयात किये गये संयोजक उपकरणों से मिग विमानों को बनाने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब उनका निर्माण उप-संयोजक उपकरणों से किया जा रहा है।

कच्चे माल से मिग विमानों का निर्माण 1971 से आरम्भ होगा। उत्पादन कार्यक्रम की यह अन्तिम प्रावस्था होगी।

(ख) पूर्व कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है।

(ग) भारत में कच्चे माल से निर्मित मिग विमान 1971 से तैयार होकर निकलने लगेंगे।

**श्री रणजीत सिंह** : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रगति निर्धारित समय-सूची के अनुसार चल रही है उन्होंने पहले कहा था कि पहला विमान कारखाने से 1970 में बनकर निकलेगा। अब कहते हैं कि वह 1971 में बनेगा। परन्तु हमें पता है कि वहां विमान बनते नहीं हैं अपितु एकत्रित किये जाते हैं। हमारे 60 प्रतिशत मिग विमान फालतू पुर्जों की कमी के कारण जमीन पर पड़े हैं। क्या सरकार इनके लिये फालतू पुर्जे बनायेगी ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : फालतू पुर्जों के कारण हमारे विमान भूमि पर नहीं पड़े हैं। रूस से फालतू पुर्जों के लिये हमारा समझौता हुआ है और वहां से हम वे प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी हम पुर्जों के निर्माण के लिये हैदराबाद में एक कारखाना स्थापित कर रहे हैं। तब तक के लिये हमारा रूस से पुर्जों के बारे में समझौता है ताकि हमारे मिग विमान उड़ते रहें।

**Shri Ranjit Singh**: Sir, when we concluded agreement with Russia for manufacture of MIG aircraft, they promised to send complete assemblies of the same and if they had fulfilled their part of the agreement, we would have been in possession of five more MIG squadrons. I want to know whether the agreement concluded wilh Russians is being worked according to schedule? The Minister also stated that none of our MIG aircraft is grounded. Will he agree that this matter may be enquired into by a Parliamentary committee?

**Shri L. N. Mishra**: We have received all those for which agreement was concluded and we are using them. No aircraft is grounded. Two to four per cent planes which are grounded are for repair purpose, which is a regular feature and we should not worry about that.

**Shri Randhir Singh**: Sir, we went to visit Bangalore factory but I came out disappoined from there. Is the same thing happening to MIG manufacture also?

**Shri L. N. Mishra**: MIG are not manufactured at Bangalore. They are manufactured at Nasik, Koraput and Hyderabad. The conditions at Bangalore are also not so depressing as to cause worry.

**श्री बलराज मधोक** : क्या जब तक यह मिग-21 बनकर निकलेंगे, यह विमान गत प्रयोग नहीं हो जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। रूस भी सहायता करने से इन्कार कर दे। हमारे बहुत से इन्जीनियर अमरीका तथा अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। हम क्यों उन्हें अपने देश में बुलायें तथा अपने देशीय प्रतिभा के प्रयोग से अपना विमान बनायें जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो तथा इस क्षेत्र में भी आधुनिक हो ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : 1971 के बारे में मैंने कहा था कि कच्चे माल से उस वर्ष विमान तैयार होना आरंभ हो जायेंगे।

मिग-21 के बारे में कहूं कि यह 1971 अथवा 1973 तक अप्रचलित नहीं होंगे। फिर भी हमारे मन में यह प्रश्न है कि मिग-21 के बाद का विमान तैयार हो और इस सम्बन्ध में हम रूस सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं।

हम जहां तक संभव है भारतीय प्रतिभा के प्रयोग का प्रयत्न कर रहे हैं। मिग कारखानों में 90 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं और यह 10 प्रतिशत रूसी भी एक या दो वर्ष के पश्चात् अपने देश को वापिस चले जायेंगे।

**Shri D. N. Tiwary**: The real difficulty with Hindustan Aeronautics is that their pricing system is very defective and whatever is manufactured there, its price goes much up. It increased from 5 to 10 per cent. There is no spirit of competition as there is monopoly in that

line. I want to know whether the price which you pay for those planes are much or low ? Secondly the spare parts which you get are cheap or costly and how is your price in comparison to their price ?

**Shri L. N. Mishra :** I agree with the Hon. member that the prices of planes are going up. We are now framing a new policy and Hindustan Aeronautics will have to give us planes at those prices.

When we manufacture planes on a mass scale the prices will also go down.

**Shri Maharaj Singh Bharati :** Sir, the Hon. Minister was saying about the agreement with Russia for successor of MIG-21 plane. Developments are taking place all over the world. Did you conclude an agreement with Russia for technical know-how so that we may get benefit of new developments in this line ? If such an agreement has not been concluded, are we concluding a new agreement ?

**Shri L. N. Mishra :** For MIG-21 aircraft the agreement was concluded in 1961-62. In the new aircraft there would be many changes which were not there in the original plane. There would be new weapons and new capacity in it. We had not mentioned in the original agreement about the successor planes to MIG-21. However we are not finding any difficulty in this matter. We are getting benefit of whatever improvements there are carrying out.

**श्री रंगा :** सदस्य महोदय के प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया । उन्होंने पूछा है कि क्या जो सुधार आदि वे कर रहे हैं उसका लाभ हमें पहुंचेगा ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जो भी परिवर्तन अथवा सुधार वे कर रहे हैं उसका हमें पूरा लाभ हो रहा है ।

**Shri S. M. Banerjee :** Sir, some members have raised doubt that the MIG-21 would become obsolete by 1971. Can the Hon. Minister give us an assurance that after 1971 when we manufacture MIG we would be self-sufficient and we will not have to depend on outsiders ?

**Shri L. N. Mishra :** We are manufacturing planes with raw materials. We would be self-sufficient in raw material by 1971.

**Shri Shashi Bhushan :** I want to know whether the improvements which are being made at present and which are likely to be made in the course of time in MIG aircrafts will also continue to be made after 1971, when you will be manufacturing these aircrafts independently or even then foreign assistance will be needed for that purpose ?

**Shri L. N. Mishra :** So far as the question of improvements is concerned, the Hon. Member might to be aware that an Aeronautical Committee has been constituted under the chairmanship of Shri Subramaniam. This committee has been taking stock of the requirements of our airforce since last ten years and they are giving due consideration to this aspect. So far as MIG 21 is concerned; we have an agreement with USSR that whatever improvements will be made in it after 1971, we will be informed about them by USSR and if considered necessary we will make the necessary improvements.

**श्री गिरिराज शरण सिंह :** मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि वे विमान जिन्हें अब तक जोड़ा गया है तथा जिन्हें वायु सेना की सेवा में शामिल किया गया है पाकिस्तान और चीन के जो कि अपनी वायु सेनाओं को वैसे ही तथा उनसे भी अच्छे विमानों से लैस कर रहे हैं किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सक्षम हैं ।

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** ये विमान जिन्हें बनाया गया है तथा जिन्हें देशी सामग्री से बनाया जायगा वे भी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है, काफी प्रभावकारी विमान हैं तथा वे पाकिस्तान के खतरे का मुकाबला करने को सक्षम हैं ।

**श्री गिरिराज शरण सिंह :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये विमान पाकिस्तान और चीन के विमानों के समान हैं अथवा उनसे बेहतर हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे खतरे का मुकाबला करने को सक्षम हैं ।

**Shri Prakash Vir Shastri:** Sir, keeping in view the effective performance of the knet aircrafts built in Bangalore in the 1965 Indo-Pak conflict which was better than the performrnce of MIG aircrafts which is well known to the Ministry of Defence and keeping in view the effective performance of the small Miraj Aircrafts in the Arab-Israel conflict and keeping in view the latest development plans. I want to know whether Government will concentrate its attention on the manufacture of big aircrafts on which huge amount is spent or small fighter aircrafts?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हम दोनों प्रकार के विमान बनाना चाहते हैं ।

**श्री मनुभाई पटेल :** उन्होंने कहा है कि विलम्ब का एक कारण यह है कि लगभग 80 मिटरी टन रूसी साहित्य डिजाइनों तथा अन्य पुस्तिकाओं का कारखाने में अनुवाद नहीं किया जा सका था और उसे अनुवाद के लिये पुनः रूस भेजा गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब भी कुछ ऐसा साहित्य है, जो बिना अनुवाद किये पड़ा है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक अनुवाद का सम्बन्ध है, उसके लिये हमारा अपना प्रबन्ध है ।

**श्री दे० अमात :** इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान 15 अक्तूबर, 1968 के इंजीनियरिंग टाइम्स नामक समाचार-पत्र में "कोरापुर स्थित मिग कारखाना संकट-ग्रस्त" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक लेख की ओर दिलाना चाहता हूं । कोरापुर कारखाने में सुपरसौनिक बमबर्षक विमान बनाये जा रहे हैं । उस लेख में कहा गया है कि विध्वंसक तत्व उस क्षेत्र के लोगों के पिछड़ेपन का लाभ उठा रहे हैं तथा सुपरसौनिक विमान बनाने वाले उस कारखाने में श्रमिकों के स्थान पर हड़ताली पैदा किये जा रहे हैं तथा उनकी योजना हमारी एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा परियोजना में तोड़फोड़ की कार्यवाही करने की है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस प्रतिरक्षा परियोजना को तोड़फोड़ की कार्यवाही से बचाने के लिये इस सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी कार्यवाही करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : महोदय हमें तोड़फोड़ की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या रूस सरकार ने ऐसे ही विमान पाकिस्तान को देने की भी पेशकश की है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : जी नहीं । मैं न तो इस समाचार की पुष्टि कर सकता हूं और न ही इसका खण्डन करने की स्थिति में हूं ।

**तारांकित प्रश्न संख्या 384 के बारे में**

**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न संख्या 384 को भी अभी लिया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : ये दो प्रश्न समान नहीं हैं । प्रश्न संख्या 384 चीन के बारे में है, जब कि यह प्रश्न नागाओं के बारे में है ।

**श्री हेम बरुआ** : महोदय वह गलती पर हैं । वह प्रश्न हथियारों और गोला बारूद से लैस नागाओं के चीन से वापस आने के बारे में है । श्री कोठारी का प्रश्न नागाओं द्वारा विद्रोह आन्दोलन करने के बारे में है । अतः इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप बैठ जाइये । उन्हें प्रश्न संख्या 365 का उत्तर देने दीजिए ।

**बर्मा की आदिम जातियों के साथ छिपे हुए नागाओं की सांठगांठ**

*365 **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वैदेशिक** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं ने अपर बर्मा में, जहां शासन कड़ा नहीं है, रहने वाली काचीन्स, कारेन्स, तांगसास, नोक्टेस तथा अन्य बर्मी आदिम जातियों के साथ मजबूत गठबंधन कर लिया है, और वे बर्मा की गैर-कानूनी काचीन स्वतंत्र सेना के साथ मिलकर अपनी विद्रोहात्मक गतिविधियां कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सुरक्षा के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) और (ख). उपद्रवी नागाओं और भारत-वर्मा सीमा के दूसरी ओर के तोड़-फोड़ करने वाले कुछ तत्वों के बीच सांठ-गांठ है, यह बात सरकार को मालूम है। जैसा कि 24 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 740 के उत्तर में लोक-सभा में पहले ही बताया जा चुका है, भारत और बर्मा की सरकारें आपसी हित के सभी मामलों पर परस्पर विचार-विमर्श करती हैं ।

(ग) कानून न मानने वाले तत्वों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सेनाएं सीमा पर पूरी चौकसी रख रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, सरकार ने वह व्यवस्था खत्म कर दी है जिसके अनुसार भारत और बर्मा के कवाइली लोग भारत-बर्मा सीमा के दोनों ओर चालीस-चालीस किलोमीटर की पट्टी में बेरोक-टोक आ-जा सकते थे।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** महोदय, गत 15 वर्षों से यह सरकार उपद्रवी नागाओं की समस्या पर विचार कर रही है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागाओं पर नियंत्रण करने के बारे में क्या कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और क्या कोई समझौता होने की आशा है ?

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या माननीय सदस्य का आशय सीमा की दूसरी ओर नागाओं की गतिविधियों से है अथवा नागालैंड में नागाओं की गतिविधियों से है ?

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** मेरा आशय उपद्रवी नागाओं से है। ये सब सम्बन्धित प्रश्न हैं। यदि वह उत्तर नहीं दे सकते हैं तो प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री को उत्तर देना चाहिये। यह एक सामान्य प्रश्न है।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या आपको भारत-बर्मा सीमापार नागाओं के आन्दोलन के बारे में जानकारी चाहिए अथवा चीन जाने वाले लोगों के बारे में अथवा वहां से वापस आने वाले लोगों के बारे में।

**श्री बलराज मधोक :** यह प्रश्न नागालैंड तथा बर्मा दोनों से सम्बन्धित है। उपद्रवी नागा नागालैंड में तथा बर्मा में भी सक्रिय हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न बहुत सरल है। उन्होंने सीमा के इस पार अथवा उस पार के बारे में नहीं पूछा है। नागा समस्या बहुत समय से चली आ रही है। क्या इसके हल होने की कोई आशा है ? हां या नहीं में. जवाब दीजिये।

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** महोदय हम हां या नहीं में उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। मंत्री महोदय यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस समय सारी नागा समस्या पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि हम न तो हां में उत्तर दे सकती हूं और न ही नहीं में। कुछ पहलुओं में स्थिति में सुधार हुआ है तथा कुछ पहलुओं में इतना सुधार नहीं हुआ है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** उपद्रवी नागाओं के फिजो ग्रुप और सुखाई ग्रुप में मतभेद उत्पन्न हो गया है। क्या इस मतभेद से सरकार को सहायता मिलेगी अथवा उसके हाथ मजबूत होंगे ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैं नहीं समझती कि ऐसी बातों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि हथियारों और गोलाबारूद से लैस चीन से वापस आये हुए विद्रोही नागा अपर बर्मा में कचीन तथा अन्य आदिमवासियों को बर्मा सरकार पर सशस्त्र हमला करने के लिये प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि (क) क्या यह बात बर्मा सरकार को बता दी गई है और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये लोग चीनी हथियारों और गोलाबारूद से भारत सरकार पर हमला न करें, जिसका कि मिस्टर मिजों द्वारा सुझाव दिया गया है, क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : हम स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं जैसा कि मैंने कहा है कुछ हालात में स्थिति अच्छी नहीं है और कुछ हालात में स्थिति में सुधार हुआ है। जैसाकि माननीय मंत्री ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है हम बर्मा सरकार के साथ आपसी हित के सब मामलों पर बातचीत करते हैं। मैं नहीं समझती कि माननीय सदस्य मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं विस्तारपूर्वक बताऊं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है।

**श्री हेम बरुआ** : क्या विस्तार से बताना वह जनहित में नहीं समझतीं अथवा उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : माननीय सदस्य जो चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

**श्री क० नारायण राव** : चूंकि नागा समस्या भारत और बर्मा दोनों देशों के लिये समान है, क्योंकि कचीन जैसे कुछ आदिम जातीय कबीले बर्मा सीमा पर भी हैं तथा ये सांठगांठ करके कार्यवाही करते हैं, ताकि सीमा के दोनों ओर खतरा बना रहे, इसलिये मैं माननीय मंत्री के इस कथन से कि हम आपसी हित के सब मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं संतुष्ट नहीं हूं। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, यह एक बहुत खतरनाक समस्या है। इस बात को देखते हुए तथा इस बात को भी देखते हुए कि यह समस्या दोनों देशों के लिये समान है, क्या इस खतरे का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने के लिये कोई संयुक्त तंत्र बनाया जायेगा ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं समझती हूं इस पर चर्चा करनी उचित नहीं है।

**श्री स्वैल** : इन दिनों हमें नागालैंड में कुछ रहस्यमय घटनाओं के होने के समाचार मिले हैं। हमने सुना है कि अमरीका के मनोनीत राष्ट्रपति मिस्टर निक्सन ने मिस्टर महीस्यू को पत्र भेजा है जिसमें नागा विद्रोहियों की सहायता का वचन दिया गया है। हमें समाचार मिला है कि विद्रोही नागाओं में मत-भेद उत्पन्न हो गया है तथा वहां स्काटो स्वो के नेतृत्व में जुगंटी ग्रुप विद्यमान है, जो उन नागाओं को जो चीन से प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, निरशस्त्र करना चाहते हैं। हमें यह भी समाचार मिला है कि भारत-बर्मा सीमा की दूसरी ओर जनरल मोओ सक्रिय है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नागालैंड की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मिस्टर निक्सन से मिस्टर महीस्यू के पास वास्तव में पत्र आया है, क्या सरकार को स्काटो स्वो पर विश्वास है, क्या जनरल माओ अंगमी नागालैंड आने में सफल हो गया है अथवा अभी तक बर्मा सीमा पर ही है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : हमने कई बार कहा है कि वे माननीय सदस्य जो इसमें रुचि रखते हैं, यदि हमारे पास आयें तो हम उन्हें और विस्तृत ब्योरा दे सकते हैं। इस मामलों पर चर्चा करने के लिये हमने पहले ही विरोधी ग्रुपों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस समय विस्तृत ब्योरा देना हितकर नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं नहीं समझती कि अमरीका सरकार नागालैंड में हमारे आन्तरिक मामलों में इस प्रकार हस्तक्षेप करेगी।

**Shri Bibhuti Mishra:** The Prime Minister has just stated that the situation has improved in certain respects and it has deteriorated in certain respects. I want to know in what respects it has improved and in what respects it has deteriorated? I think the only progress which has been made in Nagaland is that the hostile Nagas are returning from china after getting arms training there and equipped with arms and ammunition. The result will be that they will out number the loyal Nagas. It is a very dangerous situation for our country. I want to know what our Government is doing in this respect?

**Shrimati Indira Gandhi:** The Hon. Member might be aware that negotiations are not going on for some time.

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : विद्रोही गतिविधियों से निपटने के सरकार के दायित्व के अलावा ऐसी बात है कि चीन तथा अन्य सम्बद्ध तत्व उस इलाके में रहने वाली बहुत सी आदिम जातियों का फायदा उठा रहे हैं और उनमें कुछ ऐसे विचार भर रहे हैं कि वे एक वृहत् अस्तित्व के अन्दर आदिम जातियों के प्रश्न का किस तरह निपटारा करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारी ओर के इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों विशेषकर नागाओं को आदिम जातियों तथा भारतीय सत्ता में उनकी स्थिति के बारे में हमारे रवैये से अवगत करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी इन सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कार्यवाहियों का कोई लाभ नहीं निकलेगा ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : नागालैंड में निर्वाचित सरकार है जो हमारे दृष्टिकोण तथा विचारों और जो देश के शेष भागों में हो रहा है, का प्रचार करती है।

**श्री कार्तिक उरांव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागा समस्या एक चिर सर-दर्द है, और इस समस्या को हल करने के लिए कुछ योजना तथा समय-तालिका तैयार करना जरूरी है, जिसके बिना यह बात बिना लक्ष्य की निशानेबाजी जैसी लगती है, सरकार का विचार क्या असाधारण कार्यवाही करने का है और क्या योजना है और समय-तालिका क्या है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : हमें मशीनों से नहीं बल्कि इन्सान से निपटना है और वह भी ऐसे इन्सानों से जो हमारे भाई-बहिनें हैं और भारत के हैं। इसलिए हमें खुद अपना संचालन करना है ताकि हम इन लोगों को अपनी ओर कर सकें जो हमारे पक्ष में नही हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पक्ष में हैं।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Sir, it has appeared in the Press that differences have arisen among the members of the so-called Rebel-Naga-Government and they have announced that they will work peacefully, negotiate with the Government of India and will not import arms and weapons from Pakistan and China. It has been further stated that the acting President of the Nagaland Federal Government has addressed a communication to the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi assuring her that his Government would honour the terms of the cease fire agreement and would do nothing to distrub the peace in Nagaland.

I, therefore, want to know from the Prime Minister whether she has received any such communication and if so, what is her reaction thereto and whether she gives any weightage to that and takes it a shift in their stand.

**Shrimati Indira Gandhi :** It has not reached me. Any number of such announcements is welcome. The more such announcements are made the better it is. But we have to prepare ourselves to face any situation.

**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि इन वर्षों में उस बड़े शहर के अलावा गांवों में अधिकाधिक संख्या में नागा लोग काफी हद तक अपनी नागा सरकार के प्रति और अधिक सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं और नागा सरकार को उन लोगों से काफी अधिक शक्ति मिल रही है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस बात की ओर सभा का ध्यान दिलाया है, नागालैंड सरकार को मजबूत बनाने के लिये हम भरसक कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूं वह अब स्थिति का और अधिक कारगर ढंग से मुकाबला कर सकती है।

**Shri S. M. Joshi :** Sir, so far as these clashes are concerned, let us trust in our Security Forces. But as regards the other aspect concerning speedy economic development of Nagaland, I want to know whether our Government are taking any concrete steps for the purpose and if so, the details thereof.

**Shrimati Indira Gandhi :** We are taking steps for its rapid development and all these things are included in the plan. But peace is essential for implementation of schemes and plans and in absence of which so many difficulties arise. But Government are taking every care to see that small scale industries, projects and other industries are set up there.

**Shri S. M. Joshi :** I want to know the progress made in regard to the three or four projects already under construction there as also the state of the proposal to set up a Sugar Factory there.

**Shrimati Indira Gandhi :** I have already stated that there was not a peaceful atmosphere in the area and many difficulties arose. But by and by we are going ahead with small industries, like handicraft etc. there. So far as the proposed sugar factory is concerned, a team from that area is already in the capital and the matter is being discussed.

**श्री अमृत नाहाटा :** दुनिया के सभी आदिम जातियों के इतिहास के अध्ययन से पता लगता है कि उन्हें डरा-धमका कर अथवा सैनिक शक्ति से अपने अधीन कभी नहीं किया जा सकता। इसलिये उनकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्वाकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता है। क्या

सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि देश के कुछ प्रमुख मानव-विज्ञान वेत्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाय जो नागा लोगों की सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्वाकांक्षाओं को समझने में उनकी सहायता कर सकें ताकि उन्हें अपनी ओर किया जा सके ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** जी, हां । हम उनसे सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं ।

**Shri Sarjoo Pandey :** So many questions have been asked about Nagas but the Prime Minister's replies thereto could not satisfy the Members, I want to know the details of the major schemes which are under consideration of the Government for the solution of the Naga problems as also for their economic development so that they could won over to our side.

**Shrimati Indira Gandhi :** I have already stated that a team from that area is already in the capital and discussions are going on in this regard.

**Shri Om Prakash Tyagi :** I want to know the steps taken by Government to strengthen our security measures in order to check the large scale of entry of those rebel Nagas and Mizos into India via Chatgaon who have now started reaching that part by the Chinese ships.

**Shri Surendra Pal Singh :** Sir, it is a fact that it is due to the steps taken by Security Forces that the Nagas who wanted to enter have found it difficult to enter. We do not know what course they would adopt now.

**Shri Jharkhande Rai :** It has been proved beyond doubt that hostile Nagas have established contacts with China and inspite Government's opposition they go to China and come back after obtaining military training. I want to know from the Prime Minister whether the attention of Government of China has been drawn to this and any protest has been lodged, if so, whether any reply has been received from China ; if so the details thereof ?

**Shrimati Indira Gandhi :** It is true they have contacts with China, but is not a fact that all those Nagas, who had gone have come back. Every effort is being made to block their entry and it is hoped that we would succeed. Hon. Members know that China pays no heed to what we say.

## युद्धपोत का निर्माण

+

*367. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पहले युद्धपोत का निर्माण हो गया है और यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आई है;

(ख) यह किस तारीख को समुद्र में उतारा गया था;

(ग) क्या इसका परीक्षण संतोषजनक रहा है;

(घ) अन्य देशों द्वारा निर्मित युद्धपोतों की तुलना में इसके गुण-दोष क्या हैं;

(ङ) क्या नये युद्धपोत में सभी पुर्जे स्वदेशी हैं और यदि नहीं, तो इसमें कितने प्रतिशत पुर्जे विदेशी हैं और भारतीय सामग्री के अधिकाधिक प्रयोग के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भारत में इसके निर्माण से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (च). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) जी नहीं । 1971 में इस युद्धपोत के तैयार होने की आशा है । इस पर 18 करोड़ और 19 करोड़ रुपये के बीच लागत आने का अनुमान है ।

(ख) 23 अक्तूबर, 1968 ।

(ग) इस समय इस पर उपकरण फिट किये जा रहे हैं । कार्यक्रम के अनुसार 1971 के आरम्भ तक इस पर परीक्षण किये जाने लगेंगे ।

(घ) लीण्डर क्लास युद्धपोत ब्रिटिश डिजाइन का है । ब्रिटिश नौसेना में इस प्रकार का पहला युद्धपोत 1963 में आया । मजांगा डाक लिमिटेड द्वारा इस युद्धपोत के बनाये जाने से इसका एक ऐसा उन्नत रूप है जिसे कि ब्रिटेन ने अभी तक पानी में नहीं उतारा है । लीण्डर डिजाइन अपने किस्म के आधुनिकतम डिजाइनों में से एक है ब्रिटेन, हालैण्ड और आस्ट्रेलिया में इस प्रकार के युद्धपोत बनाये जा रहे हैं ।

(ङ) प्रथम युद्धपोत में देशी उपकरणों की संख्या 50 प्रतिशत होने की आशा है । उपकरणों को देश में ही बनाने की जो योजना है उसकी प्रगति पर एक तद्विषयक तकनीकी समिति बराबर निगरानी रखती है ।

(च) भारत में इस युद्धपोत के बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है ।

**Shri Yashwant Singh Kushwah :** May I know the amount of foreign exchange to be spent on 50 per cent equipment to be imported and the time it will take when India will be able to manufacture entire equipment in India and steps taken by Government to achieve this ?

**Shri L. N. Mishra :** 15 per cent indigenous equipment has been used in this frigate and remaining foreign parts have been used and if the labour charges are included the half of the expenditure has been done in the country. The cost of frigate would be about Rs. 18 or 19 crores and it would involve half as foreign exchange.

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### कच्चे रबड़ की कमी

+

**अ०सू०प्र०सं०6. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

**श्री वासुदेवन नायर :**

**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे रबड़ की अत्यधिक कमी के कारण रबड़ की वस्तुएं बनाने वालों को संकट का सामना करना पड़ रहा है और कुछ कारखानों में पहले ही काम बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि रबड़ के लिये निर्धारित की गई कीमतों की तुलना में इसकी विद्यमान कीमतें बहुत अधिक हैं; और

(घ) कच्चे रबड़ की निरन्तर तथा नियमित सप्लाई के लिये सरकार का क्या दीर्घकालीन उपाय करने का विचार है जिससे रबड़ उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों पर कुप्रभाव न पड़े ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) स्वदेशी रबड़ की पूर्ति मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है । परन्तु सरकार को इसके फलस्वरूप किसी कारखाने के बन्द हो जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) वैसे भी सामान्यतः देश में रबड़ का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम है और इस वर्ष भारी वर्षा के कारण और तदुपरांत बागान कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के फलस्वरूप उत्पादन कम हुआ । सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिये आयातों की अनुमति दे दी है ।

(ग) विद्यमान मूल्य कच्चे रबड़ के लिये निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से काफी अधिक हैं ।

(घ) रबड़ उगाने वालों तथा रबड़ का माल बनाने वालों दोनों के हित में उचित मूल्य और पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये एक रक्षित भण्डार बनाने और चलाने का विचार है जिसमें से माल की निकासी को सरकार विनियमित करेगी ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : देश में कच्चे रबड़ की कमी की बात पहली नहीं है । 1952 से प्रतिवर्ष लगातार कमी चली आ रही है और भारत को अपने उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयात करना पड़ता है । गत दो वर्षों से कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे उसी के कारण उद्योग को मुश्किल हो रही है । माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं कि कुछ उद्योग

बन्द कर दिये गये हैं। यह ठीक नहीं है। सम्बन्धित मंत्रालयों ने कुछ यूनिटों के बन्द होने के बारे में उन्हें सूचित किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि चार उद्योग, जिनमें कृष्णा मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता भी है, 20 दिन पूर्व बन्द कर दिये गये थे।

क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान देश में मांग को पूरा करने के लिये 20,000 टन की कमी होगी और भारत सरकार का 7,500 टन आयात करने का कार्यक्रम बिल्कुल अपर्याप्त होगा और यदि अधिक मात्रा में आयात न किया गया तो बहुत-सी फैक्टरियों को बन्द करना पड़ेगा और इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ? शेष 12,500 टन को चालू वर्ष में किस प्रकार आयात करने का विचार है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : रबड़ की मांग और उपलब्धि के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वह मानते हैं कि 20,000 टन की कमी है और इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : प्रतिवर्ष आयात किये जाने वाले प्राकृतिक रबड़ की मात्रा 12,000 टन और कृत्रिम रबड़ की मात्रा 3,000 टन होती है परन्तु केरल में भारी वर्षा तथा हड़ताल के कारण 6,500 टन का और आयात करना पड़ेगा। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हम 11,000 टन का आयात कर रहे हैं और फिर भी जो कमी रहेगी उसे अतिरिक्त आयात से पूरा किया जायेगा।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सरकार ने उद्योग के विस्तार को ध्यान में रखते हुये आगामी पांच वर्षों में रबड़ की मांग का अनुमान लगाया है और क्या रबड़ के नियमित रूप से आयात करने के बारे में कोई योजना है ताकि इस वर्ष वाली कमी पुनः अनुभव न करनी पड़े और आयात को महीनेवार नियमित कर दिया जाये ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : हमें उस समय तक रबड़ का आयात करना होगा जब तक हमारे देश का आयात नहीं बढ़ता। सरकार प्रतिवर्ष स्थिति पर विचार करती है और जो भी अतिरिक्त मांग होती है उसे आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

**श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या योजना आयोग ने कहा है कि मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर को देश का उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाये। क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है। मेरी जानकारी है कि कीमत को ध्यान में रखते हुये विदेशी एकाधिपति देशी स्टाक को नहीं उठा रहे और सरकार ने विदेशों से आयात करने की अनुमति दे दी है और देश में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की नीति को त्याग दिया है ? कृत्रिम माल तैयार करने वाला एकमात्र प्लांट जल गया था। क्या सरकार ने उसके स्थान पर और प्लांट लगाने हेतु कार्यवाही की है ? क्या टेरिफ कमीशन को कीमत बढ़ाने का मामला सौंपा गया था और क्या सरकार को

रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो कमीशन के क्या निष्कर्ष हैं ? केरल की अर्थ-व्यवस्था में रबड़ का बहुत अधिक महत्व है। क्या आयात से पूर्व केरल सरकार से मंत्रणा की गई थी ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** जब भी रबड़ का आयात किया जाता है, राज्य सरकारों के विचार पर विचार किया जाता है। रबड़ के उत्पादकों, निर्माताओं और छोटे उत्पादकों की बात को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने सितम्बर, 1968 के अन्त तक पुनः बोने की योजना पर 3,84,54,123 रुपये राज-सहायता के रूप में व्यय किया है, इससे उत्पादन बढ़ाया जायेगा।

इस योजना पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है। हम अपना उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु जब तक हम आत्म-निर्भर नहीं हो जाते हमें आयात करना पड़ेगा। कृत्रिम रबड़ प्लांट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सितम्बर, 1967 के 678 टन के उत्पादन की तुलना में 1968 में 2732 टन उत्पादन हुआ। इस प्रकार कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकार इसे और बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

**श्री स०कुण्डू :** इसके वितरण की भी समस्या है। हम जानते हैं कि काफी समय से स्कूटर टायरों और साइकिल ट्यूबों की कमी चली आ रही है। इस बारे में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या रबड़ के उचित वितरण की कोई योजना है ताकि छोटे निर्माताओं को यह ठीक प्रकार से मिले और इस बारे में एकाधिकार वाले मनमानी न कर सकें ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सरकार कच्चे रबड़ के मूल्य के रुख जिससे बने हुए उत्पादनों के मूल्य निश्चित किये जाते हैं, के बारे में पूरी तौर से सतर्क है। यदि सरकार ने यह अनुभव किया कि मूल्यों की अस्थिरता से उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है तो सरकार न केवल आयातित रबड़ बल्कि देश में बनने वाले रबड़ की मंडी को इस तरह से नियंत्रित करेगी जिससे उत्पादकों और निर्माताओं को लाभ हो सके और उपभोक्ताओं पर भी भारी भार न पड़े।

**श्री स० कुण्डू :** मैंने देश में सप्लाई किये जाने वाले कच्चे रबड़ का उल्लेख किया था और कहा था कि साइकिल और स्कूटर टायर निर्माता उद्योगों को कम मात्रा में कच्चा रबड़ सप्लाई किया गया है और इसीलिये मैंने पूछा था कि क्या उनको और अधिक रबड़ सप्लाई करने का विचार है और क्या वे इसका वितरण इस प्रकार करेंगे कि इन लोगों को अधिक मात्रा में कच्चा रबड़ मिल सके और क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये और उत्पादन में वृद्धि हो सके।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि इस समय रबड़ का वितरण करने के लिये कोई सरकारी एजेन्सी नहीं है लेकिन सरकार वहां सरकारी एजेन्सी स्थापित करने के बारे में सोच रही है जो देश में इसका वितरण करेगी इसके वितरण पर नियन्त्रण रखेगी।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** चूंकि रबड़ के माल के निर्माण में कृत्रिम तथा प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग होता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों तथा कृत्रिम साधनों से उत्पादित रबड़ का प्रतिटन उत्पादन कितना है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** मूल्य 470 और 450 रुपये प्रति 100 किलो ग्राम के बीच अस्थिर रहा है। प्राकृतिक रबड़ का मूल्य आज 4700 प्रतिटन के बीच है और यह 575 रुपये प्रति 100 किलो और 470 रुपये प्रति सौ किलो के बीच अस्थिर रहा है। बहुत समय से रबड़ का मूल्य इन मूल्यों के बीच अस्थिर रहा है।

**श्री रंगा :** क्या सरकार को केरल के उत्पादकों से कोई शिकायतें या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या केरल सरकार ने उन अभ्यावेदनों के बारे में कोई रिपार्ट दी है कि न्यूनतम मूल्य जो भी निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है और रबड़ का उत्पादन अलाभप्रद हो गया है अतः आयातों और स्थानीय उत्पादन का 'पूल' बनाकर समान मूल्यों के लिये कुछ किया जाना चाहिए ताकि उत्पादकों को जो स्थानीय मूल्य मिलें वे लाभप्रद हों।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** उत्पादकों के हित में सरकार ने हाल ही में कच्चे रबड़ का अधिकतम मूल्य नियत किया है। इसीलिये मूल्य अब 450 रुपये से 470 रुपये के बीच हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में यह मूल्य बहुत अधिक है लेकिन ये अधिक मूल्य उत्पादन के लाभ में नहीं है क्योंकि यदि कच्चे रबड़ का मूल्य बहुत अधिक होगा तो उसे पुनः रोपण करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मूल्य के कम होने से उसमें रोपण करने का उत्साह ही नहीं रहेगा अतः निर्माताओं और उत्पादकों के लिये ऐसे उचित मूल्य निर्धारित किये जाते हैं जो कि उपभोक्ताओं के लिये भी लाभप्रद हों।

**श्री रंगा :** उत्पादकों के बारे में क्या किया गया है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** उत्पादकों को इस समय अधिकतम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मिल रहे हैं। हमने अधिकतम मूल्य 416 रुपये निर्धारित किये थे लेकिन इस समय मूल्य 470 और 510 रुपये प्रति 100 किलो ग्राम के बीच चल रहे हैं।

**Shri Randhir Singh :** Shri Kundu has mentioned about Car and Scooter and he has also defended the rich people. About fifty percent of our tractors have become useless due to shortage of tyres. The tyres are only available in black market. Whether the Government will remove the difficulties of the owners of the tractors and will act in such a way that the production of grain may increase to the maximum. So that the democracy in the country may flourish ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** We import so much due to shortage of raw rubber.

**श्री स० मो० बनर्जी :** यद्यपि मैं उत्पादकों की इन मांगों को स्वीकार करता हूं कि मूल्य और अधिक लाभप्रद होने चाहिए और साथ के साथ इनमें वृद्धि भी की जानी चाहिए। मैं

माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जैसे ही रबड़ के मूल्य में वृद्धि की जायेगी निर्माता शीघ्र ही विभिन्न टायरों के मूल्यों में वृद्धि कर देंगे जिसके परिणाम-स्वरूप अन्त में उपभोक्ता ही प्रभावित होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टायरों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादकों के लिये मूल्य में वृद्धि करने के लिये कोई ऐसी नीति निर्धारित की गई है जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे ? क्या इसके लिये कोई योजना बनाई गई है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** सरकार का विचार रबड़ उद्योग को अपने हाथ में लेने का है ताकि उत्पादकों को अच्छे मूल्य की सुविधाएं दी जा सकें और निर्माताओं को टायरों आदि की नियमित सप्लाई की जा सके और इस बात का भी ध्यान रखा जाये की इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ हो और उसे रबड़ के उत्पादों का अधिक मूल्य अदा करना पड़े।

**Shri Naval Kishore Sharma :** Whether the attention of the Minister has been drawn to the fact that the prices of the tubes and tyres are being increased. If he is aware of the facts the action Government is likely to take to stop the black marketing of tubes and tyres. If so, whether they will be successful or not ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** Our requirements are much more than our production. The Government import the rubber to meet this shortage. The main aim behind importing rubber is to reduce the prices of rubber. The consumer will be benefitted as a result of reduction in prices.

**श्री ए० श्रीधरन :** हमारे देश में केरल राज्य में ही रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पिछले कुछ वर्षों में रबड़ का उदारता से आयात किये जाने के परिणामस्वरूप रबड़ की खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

हाल ही में रबड़ के बारे में सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ है और भारत सरकार रबड़ उत्पादकों को रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन व सहायता दे रही है। उन रबड़ उत्पादकों को औसतन कितनी सहायता दी गई है जिनके पास 20 एकड़ भूमि है या जो छोटे उत्पादक हैं।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** मेरे माननीय मित्र को रबड़ के उत्पादन के बारे में ठीक सूचना नहीं दी गई है। वास्तव में देश में रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1963-64 में प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ का उत्पादन क्रमशः 37,487 टन और 8,075 टन था जबकि आज उसका उत्पादन 72,000 टन और 30,000 टन है। रबड़ के उत्पादन में कमी नहीं हुई है बल्कि इसमें वृद्धि हुई है। जहां तक छोटे उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता का प्रश्न है सरकार ने पुनः रोपण के उद्देश्य से राजसहायता के रूप में उत्पादकों को 30.94 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

**श्री ए० श्रीधरन :** इसमें से कितने प्रतिशत सहायता छोटे कृषकों को दी गई है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** मुझे आंकड़े एकत्रित करने होंगे ।

**Shri P. L. Barupal :** Some Hon. Members have talked of motor and cycle tyres. I will say something with regard to crores of cyclewala. They have to produce ration cards and token in case they have to purchase tyres and tubes and have to stand in line for hours.

**श्री बलराज मधोक :** रबड़ बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है । हमें बताया गया है कि इसकी मांग बढ़ रही है लेकिन उसके अनुसार इसकी सप्लाई में वृद्धि नहीं हुई है । सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का कोई सर्वेक्षण किया है कि केरल के बाहर भूमि रबड़ के बागान लगाने के लिये उपयुक्त हैं । दूसरे, क्या यह सच है कि रबड़ के बागान लगाने में अधिक बृद्धि न होने के कारण केरल सरकार पर प्रतिबन्ध लगाना और कृषकों द्वारा खाद्य सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर देना है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रबड़ बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है और इसका उत्पादन केवल कुछ ही क्षेत्रों में किया जाता है, क्या सरकार उन क्षेत्रों को पर्याप्त खाद्य सामग्री सप्लाई करेगी ताकि कृषक और सरकार रबड़ बागानों और अन्य नकद फसल की ओर खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में अधिक प्राथमिकता दें ? चूकि देश में प्राकृतिक रबड़ की कमी है तो क्या सरकार कृत्रिम रबड़ उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देगी । अब हमारे देश में केवल एक कारखाना है जो 2,000 टन उत्पादन कर रहा है । ताकि यह कमी यथासंभव शीघ्रता से पूरी हो सके ? क्या उपलब्ध सप्लाई जिसमें आयातित रबड़ भी शामिल है, को प्राथमिकता के आधार पर टायरों के निर्माताओं को दिया जायेगा क्योंकि उन्हें रबड़ की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है । रबड़ का आयात राज्य बीमा निगम द्वारा नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि उनकी वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है । अतः इस मामले में स्वतंत्रता से आयात करना पड़ता है ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** इस समय राज्य बीमा निगम द्वारा रबड़ का आयात नहीं किया जा रहा है । मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि यदि रबड़ उद्योग के मूल्य में बहुत अस्थिरता हुई तो इससे उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा और तब सरकार किसी राज्य एजेन्सी द्वारा मूल्य नियंत्रण करने के बारे में विचार करेगी । मैं कृत्रिम रबड़ के उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं । उसमें वृद्धि हुई है । 1967 में यह उत्पादन 678 टन था और सितम्बर, 1968 में यह उत्पादन 2,732 टन था । अतः रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

**श्री पीलु मोडी :** वह मासिक या वार्षिक उत्पादन के आंकड़े दे रहे हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** एक मास के ।

**श्री पीलु मोडी :** वे पूरे एक वर्ष के आंकड़े दें ताकि यह पता लग सके कि उत्पादन को बनाये रखा जा रहा है ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** मैं इसके वार्षिक आंकड़े भी दे सकता हूं । अप्रैल से सितम्बर, 1967 तक 7,614 टन उत्पादन हुआ था । चालू वर्ष में इसी अवधि में इसका उत्पादन

19,942 टन हुआ। अतः कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में 12,000 टन की वृद्धि हुई। जहाँ तक प्राकृतिक रबड़ का सम्बन्ध है मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि सरकार का रबड़ बागान लगाने के लिये राजसहायता देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा नई रबड़ बागान योजना पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं।

**श्री बलराज मधोक** : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : रबड़ बोर्ड जिसे रबड़ उद्योग के विकास का काम सौंपा गया है विभिन्न राज्यों जैसे अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ के बागान लगाने के विषय में जांच कर रहा है।

**श्री बलराज मधोक** : हाल ही में जब मैंने केरल राज्य का दौरा किया था तो मैंने देखा वहाँ रबड़ के कुछ बागानों को काटा जा रहा था और उनके स्थान पर लोग वहाँ धान बो रहे थे। क्या आप केरल राज्य को इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि उसे पर्याप्त चावल प्राप्त हो जायगा ताकि अधिक से अधिक भूमि पर रबड़ की खेती की जा सके।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : वहाँ राज सहायता की योजना चालू है। अधिक रबड़ उत्पादन करने की कुछ योजनाएं विचाराधीन हैं। मुझे रबड़ के पेड़ों के काटे जाने और उनके स्थान पर धान की खेती किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

**Shri Bibhuti Mishra** : May I know the total production of synthetic and natural rubber in the country and its demand thereto and the action Government is taking to fulfil this deficit ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : The production of natural rubber during 1967-68 was 64,468 tonnes and that of synthetic rubber was 19,942 tonnes. The deficit of natural rubber comes to near about 12,000 tonnes and that of synthetic rubber comes 3,000 tonnes. The total dificit comes to 15,000 tonnes.

Out of this dificit 11,000 tonnes have already been met with and the deficit of 4000 tonnes will be tried to meet by importing.

**Shri George Fernandes** : The prices of the tyres have been raised by six percent by the shopkeepers. I want to know whether these prices have been raised with the consultation of the Government. It has been said that the tyre manufacturers are in trouble. But there is no truth in it. Firestone Tyre Company earns lakhs of rupees from the tyre produced by that company. Whether you are aware of the rising of the prices, and whether the Government will impose some restrictions on raising these prices ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : So far as this question is concerned it is related with Ministry of Industrial Affairs and a discussion is going on between the Ministry and the Mill owners and a decision is shortly expected to be taken in this matter.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कारखाने में फेर बदल

*363. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर और कानपुर स्थित यूनिटों में फेर बदल करने के बारे में सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में समग्र रूप से कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करने की योजना है ।

(ख) उसमें कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं :- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के वर्तमान संगठन को तीन विभागों में विभक्त करना नामतः बंगलौर डिवीजन, मिग डिवीजन और कानपुर डिवीजन तथा इन डिवीजनों के अध्यक्षों को और अधिकार तथा प्रोत्साहन देना ।

## Manufacture of Aircraft Engines at Hindustan Aircraft Factory

*366. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the type of aircraft engines manufactured in the Hindustan Aircraft Factory at Bangalore ;

(b) the number of aircraft engines of Orpheus type manufactured by this factory so far ; and

(c) the types of Indian aircraft fitted with these engines ?

**The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :** (a) The types of aero-engines being manufactured at Hindustan Aeronautics Limited (Bangalore Division) are—

1. Orpheus 701
2. Orpheus 703
3. Dart RDa-7
4. Artouste III-B.

(b) It will not be in the public interest to disclose this information.

(c) Gnat, a light jet fighter aircraft is fitted with the Orpheus 701 engine.

HF-24 Mk.I, a fighter/bomber jet aircraft is fitted with Orpheus 703 engines.

HS.748, a transport aircraft, is fitted with RDa-7 engines.

Alouette helicopter is fitted with Artouste III-B engine.

**छोटा नागपुर और सन्थाल परगना की आदिम जातियां**

*368 **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के छोटा नागपुर और सन्थाल परगना की आदिम जातियों की दयनीय आर्थिक स्थिति की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन आदिम जातियों को प्रोत्साहन देकर तथा उद्योग विशेषतः लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योग और कृषि के शीघ्र विकास द्वारा उनकी प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिये 1968-69 की योजना के अन्तर्गत क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति· मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) . सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि आदिम जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चालू की गई हैं, फिर भी, काफी कुछ करना अभी बाकी है ।

वर्ष 1968-69 की योजना में, आदिम जाति के लोगों के लिए मकानों का निर्माण सहित आर्थिक विकास के कार्यक्रमों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के विस्तार पर 30 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है ।

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है । फिर भी, आशा है कि निधि के आवंटन में, इस क्षेत्र का तेजी से विकास करने के लिए राज्य सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देगी । इस संबंध में, 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

**Subsidies for Reducing Power Rates for Defence Production**

*369. **Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether subsidies are given by the Central and State Governments to reduce the power rates to be supp ied for defence production ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L .N. Mishra) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता**

*370. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-ब्रिटेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में विलम्ब करने के

लिए विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा ब्रिटेन पर पाकिस्तान का दबाव पड़ने के कारण हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो वार्ता होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) कोई विलम्ब नहीं हुआ है । परस्पर सहमत कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1968 के आरम्भ में बातचीत होगी ।

**उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध**

*371. **श्री योगेन्द्र शर्मा** :

**श्री बासुदेवन नायक** :

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी वियतनाम के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं परन्तु दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार के मामले में उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस देश के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने का है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ( श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). जी, नहीं । 22 सितम्बर, 1956 को किये गये एक करार के, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है, अन्तर्गत वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य (उत्तर वियतनाम) के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध हैं ।

**राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक**

*372. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है, सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 2336/68]

**Payments to News Agencies**

*373. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the amount paid to various news agencies in the first half of 1968 ;

(b) whether it is a fact that Government are aware of many cases in which payments were inordinately delayed ; and

(c) if so, the steps being taken to deal with such payments ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) Out of 21 Ministries/Departments from whom replies have been received, payment has been made only by 9 Ministries/Departments as shown in the statement laid on the Table of the House. Information in respect of other Ministries/Departments is awaited and will be laid on the Table of the House, on receipt. **[Placed in Library. See No. LT-2337/68]**

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना दल**

*374. **श्री रवि राय : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाड सरकार के हाल के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कमान के शब्द हिन्दी में नहीं होने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण)** : (क) और (ख). जनवरी 1968 में तामिलनाड के मुख्य मंत्री ने यह अनुरोध किया था कि उस राज्य में जो एन० सी० सी० यूनिटें हैं उनमें कमान शब्दावली को हिन्दी से अंग्रेजी में बदल दिया जाय। उसके बाद जो पत्र-व्यवहार हुआ उसमें मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने से सहमत हो जायं।

**International Awards to Indians**

*375. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Bal Raj Madhok :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 724 on the 28th August, 1968 and state :

(a) the number and names of those Indians who have so far been awarded international

awards or have been paid in cash by the official and non-official institutions in Pakistan, U. S. S. R. and other Communist countries ; and

(b) the grounds on which the said awards have been given to each of them ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) :** (a) and (b). The information asked for is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2338/68]**

## चीन की परमाणु शक्ति का अनुमान

*376. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने बहुत से परमाणु और उद्जन बम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). चीन की परमाणु शक्ति के बारे में सरकार का जो अनुमान है वह सदन को 13 मार्च, 1968 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर में बतलाया गया है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि चीन प्रतिवर्ष लगभग 20 किलो-टन क्षमता वाले लगभग 40 परमाणु बम बना सकता है । परमाणु शस्त्रों के निर्माण में चीन जो प्रगति कर रहा है उससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर सरकार बराबर ध्यान रखती है ।

## विदेशों में भारतीय दूतावासों का निरीक्षण

*377. **श्री क० लकप्पा :**

**श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को, वाशिंगटन तथा वोन में भारतीय दूतावासों का लगभग कब तक निरीक्षण किया जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). विदेश मंत्रालय का विदेश सेवा निरीक्षणालय मई, 1954 में शुरू किया गया था और 1960 तक यह कारगर तरीके से कार्य करता रहा और फिर प्रशासनिक कारणों से बंद कर दिया गया । 1964 में हालांकि यह फिर शुरू कर दिया था, लेकिन विदेशी मुद्रा के गम्भीर संकट और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण यह निरीक्षालय सितम्बर, 1966 तक कारगर तरीके से काम नहीं कर सका । विदेश स्थित मिशनों में कार्यक्षमता के स्तर को समान बनाये रखने में मिशन

प्रमुखों को सलाह देने और उनका मार्ग-दर्शन करने के अलावा यह निरीक्षालय विभिन्न मामलों में सिफारिश भी करता है ; जैसे विदेश भत्ता निर्धारित करने और प्रतिनिधि अनुदान, संपत्ति, आवास के लिए किराये की सीमाओं, प्रशासनिक मामलों और मिशनों के हिसाब-किताब को वित्तीय नियमानुसार रखने आदि के बारे में। सावधिक निरीक्षण के अलावा, इन मिशनों को नियमित रूप से कौंसली और प्रशासनिक रिपोर्टें तथा हिसाब-किताब के ब्योरे भेजना आवश्यक है जिनकी जांच-पड़ताल निरीक्षालय बराबर करता रहता है।

1964 से, विदेश सेवा निरीक्षकों ने 41 मिशनों का निरीक्षण किया है। मास्को और वोन स्थित मिशनों का पिछला निरीक्षण 1954 में किया गया था और वाशिंगटन स्थित मिशन का 1959 में ; अब इन मिशनों का अगले वर्ष निरीक्षण किया जावेगा। यह निरीक्षालय शीघ्र ही सिक्किम और भूटान का दौरा करेगा ; और अन्य बहुत से मिशनों का आगामी वर्ष में दौरा करेगा।

**हड़ताल के दिनों में समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई**

*378. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई से सितम्बर, 1968 की अवधि में समाचार-पत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा कुछ छापेखानों द्वारा तालाबन्दी के दौरान समाचार-पत्रों को अखबारी कागज बराबर मिलता रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में छापेखानों में कितना अखबारी कागज इकट्ठा हो गया था ; और

(ग) अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग तथा इसे चोर बाजार में जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) अखबारी कागज का लाइसेन्स तथा आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है और जब जुलाई, 1968 में हड़ताल शुरू हुई थी तो प्रकाशकों के पास अपने वार्षिक आवंटन के बदले अखबारी कागज का भण्डार मौजूद था।

(ख) हड़ताल के कारण यदि कोई बचत हुई हो तो वह कितनी है इसका पता नीति का निर्णय किये जाने के बाद ही लगेगा।

(ग) इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल नियमों के अन्तर्गत अखबारी कागज का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पर्याप्त व्यवस्था है और कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

**Rare Earth**

*379. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that total quantity of rare earth extracted is being exported at

present to foreign countries :

(b) whether it is also a fact that this product as a raw material is earning less profit while profits are likely to increase many times more if the elements are separated in the country itself ;

(c) whether it is further a fact that the production of rare earth being less at present, it is not profitable to separate its elements in the country ; and

(d) if so, the reasons for not expanding the factory to produce rare earth in adequate quantities ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) The bulk of the rate earths produced by Indian Rare Earths Ltd. is being exported at present.

(b) and (c). Indian Rare Earths is endeavouring to establish the sale of separate elements wherever this is economically justified.

(d) The capacity of the plant has been increased from time to time to meet the demands of rare earths chloride.

## दक्षिणी रोडेशिया की सरकार द्वारा किये गये अपराध

*380. **श्री प्र० के० देव :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी रोडेशिया में श्वेत जाति गुट के शिकार, विशेषकर मार्च, 1968 में अफ्रीकियों को फांसी पर चढ़ाने के घृणित अपराध के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है या उठाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) और (ख). जैसाकि 3 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 के उत्तर में लोकसभा में पहले ही बताया जा चुका है, इस वर्ष मार्च से मई तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था। भारत के प्रतिनिधि ने रोडेशिया में गैर-कानूनी और जातिवादी शासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 29 मई, 1968 को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इस गैर-कानूनी शासन की इसलिए निंदा की गई कि इसने अमानुषिक तरीके से लोगों को प्राणदण्ड दिया। इस प्रस्ताव में यूनाइटेड किंगडम की सरकार से यह भी कहा गया है कि वह इस तरह की सभी कार्रवाइयों को बंद कराने के लिए हर मुमकिन उपाय करे।

**दाबूदी बोहरा समुदाय के नेता का तनजानिया से निकाला जाना**

*381. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तनजानिया में भारतीय उच्चायुक्त अगस्त, 1968 में दाबूदी बोहरा समुदाय के नेता, डा० सईदना मुहम्मद बुरहानुद्दीन को वहां से निकाले जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में तनजानिया सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तनजानिया सरकार ने इस विरोध-पत्र का क्या उत्तर दिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति तंजानिया सरकार को भेजी थी ; यह विज्ञप्ति 14 अगस्त, 1968 को जारी की गई थी। इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) और (घ). जी हां। इस मामले को तंजानिया सरकार के साथ उठाया गया था। लेकिन, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए निष्कासन आदेश रद्द करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**2339/68]

**सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल**

*382. **श्री रा० बरुआ :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**परमानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा भूमि का अर्जन**

*383. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमानेन्ट मेगनेट्स कम्पनी द्वारा, जिसके प्रबन्ध निदेशक श्री कान्ती देसाई थे, भूमि के अर्जन के बारे में किसी संसद् सदस्य से प्राप्त ज्ञापन-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई के हाउसिंग कमिश्नर श्री छोटू भाई देसाई के हस्तक्षेप से, जो वर्तमान वित्त मंत्री के भाई हैं, इस कम्पनी ने वह भूमि कम कीमत पर प्राप्त की थी, जिसे पहले आवास बोर्ड ने मकान बनवाने के लिये कम कीमत पर अर्जित किया था और इस प्रकार इस कम्पनी ने काफी मुनाफा कमाया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसे धन कमाने का एक सामान्य तरीका मानती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस पूरे कांड की जांच कराने के लिये एक जांच समिति स्थापित करने का है ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (घ). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय अपने ही उस पत्र का है जो उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को लिखा था। उस पत्र में उल्लिखित आरोप संक्षेप में ये थे कि परमानेन्ट मैगनेट्स ने आवास बोर्ड, बम्बई से कुछ भूमि खरीदी थी; आवास बोर्ड ने यह भूमि मकान बनाने के लिए प्राप्त की थी; परन्तु हाउसिंग कमिश्नर ने इसे परमानेन्ट मैगनेट्स को बिकवा दिया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ आदिवासी काश्तकारों को भूमि के एक भाग से निकलवा दिया गया, और बाद में उन पर दबाव डालकर उनसे अपने अधिकारों को परमानेंट मैगनेट्स के हक में हस्तांतरण करवा लिया।

यह मामला बहुत वर्ष पुराना है और महाराष्ट्र राज्य सरकार से सम्बन्धित है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं :

सन् 1956-57 के लगभग आवास बोर्ड, बम्बई ने एक आवास योजना के लिए कुछ भूमि खरीदी, जिसका कुछ क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ से कुछ अधिक था। बाद में, खरीदे गये प्लाटों में से कुछ एक को बम्बई नगर निगम की एक विकास योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसलिए, आवास बोर्ड ने यह फैसला किया कि उस भूमि को जो कि औद्योगिक क्षेत्र में आ गई, ऐसे उद्योगों को, चालू बाजार-भाव पर बेची जाए, जिन्हें राज्य सरकार के औद्योगिक विभाग द्वारा मनोनीत किया जाए। मैसर्स परमानेंट मैगनेट्स ने जिनकी इस इलाके में पहले ही से 5,000 वर्ग गज के लगभग भूमि थी, राज्य सरकार के औद्योगिक विभाग को निवेदन किया कि वह एक भूमि खण्ड को जो कि फर्म के एक सर्वे नम्बर से जुड़ा हुआ था, प्राप्त कराने में फर्म की सहायता करे। राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग ने यह निवेदन आवास बोर्ड को भेजा और आवास बोर्ड ने 5 एकड़, 14 गुंठा भूमि-खण्ड उस फर्म को 5.50 रुपये प्रति वर्ग गज पर बेचने का निर्णय किया जो दर उस इलाके में चालू-बाजार भाव था। आवास बोर्ड का प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा 27 दिसम्बर, 1960 को मंजूर किया गया। आदिवासियों को निष्कासित किए जाने के बारे में कोई जानकारी राज्य सरकार के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

## चीन में नागा लोग

*384. **श्री हेम बरुआ :**

**श्री समर गुह :**

**श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन विद्रोही नागाओं की संख्या का अनुमान लगाया है जो इस समय चीनी सेना के तत्वावधान में पेकिंग में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या चीनियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर कुछ विद्रोही नागा विदेशी शस्त्रास्त्रों सहित नागालैंड लौट आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो हमारे शत्रुओं के साथ भारतीयों के ऐसे अनुचित एवं घृणित संबंध को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख). सरकार ने उन छिपे नागाओं की संख्या आंकी है जो सैनिक प्रशिक्षण के लिए चीन गए थे । इनमें कुछ उसके बाद लौट भी आए हैं । सदन स्वीकार करेगा कि सरकार के पास जो सूचना है, उसका विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) चीन-प्रशिक्षित छिपे नागाओं को वापस भारत में प्रवेश को रोकने के लिए सरकार सभी सम्भव कदम उठा रही है और इस ओर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के प्रबंधों को कड़ा कर दिया है । इस सिलसिले में, माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जो 13 नवम्बर, 1968 को दिया गया था ।

## रोडेशिया

*385. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल अथवा अन्य राजनयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से और क्या अभियान चलाये हैं जिससे रोडेशिया में मिस्टर जान स्मिथ की श्वेत अल्प-संख्यक सरकार के स्थान पर लोकप्रिय सरकार बनाई जा सके; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) विगत की तरह ही, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा राष्ट्रमंडल प्रतिबंध समिति में भी इसी बात पर बल दिया है कि रोडेशिया में गैर-कानूनी सरकार को खत्म करने का कारगर और जल्दी का एक ही तरीका है और वह यह कि ब्रिटेन ताकत से काम ले । भारत सरकार ने इस बात पर भी बल दिया है

कि ब्रिटेन को इस उपनिवेश को सिर्फ बहुसंख्यक शासन के आधार पर ही स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिसमें 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत की मान्यता हो ।

(ख) तदनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो प्रस्ताव नीचे लिखे अनुसार पास किए हैं :

(1) पहला 28 अक्तूबर, 1968 को, जिसमें ब्रिटेन से कहा गया कि वह रोडेशिया को तब तक स्वतंत्रता प्रदान न करे जब तक कि निर्बाध चुनाव न हो जाएं और इस उपनिवेश में बहुसंख्यक सरकार न बन जाए; और

(2) दूसरा 7 नवम्बर, 1968 को, जिसमें ब्रिटेन से कहा गया है कि इस गैर-कानूनी सरकार को खत्म करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाए । इसी प्रस्ताव में प्रतिबंधों का क्षेत्र विस्तृत करने तथा दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल पर प्रतिबंध लगाने की तात्कालिक आवश्यकता की ओर भी सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

**भारत के विरुद्ध दक्षिण कोरिया के साथ सांठ-गांठ करने का चीन का आरोप**

*386. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह दक्षिणी कोरिया के साथ सहयोग बढ़ाकर दक्षिणी कोरिया में अमरीका के आक्रमण वाले अड्डों को सुदृढ़ कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). अगस्त 1968 में दक्षिण-कोरियाई आर्थिक प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली यात्रा का उल्लेख करते हुए, चीन के आधिकारिक प्रचार माध्यमों ने यह आरोप लगाया कि इस यात्रा से यह संकेत मिलता है कि दक्षिण कोरिया में आक्रमण करने के उद्देश्य से अमरीकी अड्डों को मजबूत करने में भारत दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग कर रहा है । चीन के प्रचार माध्यमों द्वारा इस तरह तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने से किसी को विश्वास नहीं होता ।

**Aircraft Accidents**

*387. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of military aircraft which have met with accidents during the last three years and the names of places of accidents ;

(b) the loss of life and property sustained as a result thereof ; and

(c) the number of accidents which occurred as a result of sabotage and the details thereof ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :** (a) and (b). It will not be in the public interest to give this information. Such information is also not generally given by other countries. However, from the limited information available of accidents to military aircraft in other countries, our accident rate, on the whole, is lower than in most other countries. The total accident rate has also been coming down progressively during the last 3 or 4 years.

(c) Nil.

## वार्ता व्यवस्था

*388. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच असैनिक कर्मचारियों के लिये स्थायी वार्ता व्यवस्था को पुनः सक्रिय करने के लिये कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) :** (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय के लिए स्थायी परामर्श व्यवस्था की फिर से स्थापना करने की अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की मांग पर संघ के प्रतिनिधियों से अतीत में विचार-विमर्श हुआ है और जैसा कि, 28 अगस्त, 1968 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 738 के उत्तर में पहले ही बतलाया जा चुका है कि सरकार का विचार है कि पहले जैसे ढंग पर स्थायी परामर्श व्यवस्था का आयोजन संयुक्त परामर्श व्यवस्था योजना के अनुकूल नहीं बैठेगा। फिर भी, सरकार इस संबंध में संघ की विचारधारा को देखते हुये इसके लिए तैयार है कि विभागीय परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित तारीखों से कुछ दिन पहले विभागीय परिषद की बैठकों की कार्यसूची पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया जा सकता है। ऐसा विचार-विमर्श मंत्रालय स्तर पर ही हो सकता था और संयुक्त परामर्श व्यवस्था में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ सभी स्तरों पर सम्मिलित होने की शर्त पर यह मांग मानी गई थी। सरकार का दृष्टिकोण औपचारिक रूप से संघ को बतला भी दिया गया था किन्तु उनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है।

## लड़ाकू विमान

*389. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री जि० मो विस्वास :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जनार्दनन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विमान उद्योग ने दस वर्ष में उच्च कोटि के लड़ाकू विमान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो डिजाइन बनाने और देशी तकनीकी जानकारी के उपबन्ध होने संबंधी कठिनाइयों को कैसे हल किया जायेगा;

(ग) क्या इस परियोजना में तेजी लाने के लिये विमान उद्योग के सभी अनुसंधान विभागों को एक यूनिट के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) एक नया सैनिक विमान तैयार करने का प्रस्ताव तो है लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इन समस्याओं पर विचार कर रहा है ।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर डिवीजन ही अकेला इस समय देश में विमान के डिजाइन बनाने और उसके विकास करने के काम में लगा हुआ है । देश में उपलब्ध सभी सुविधाओं का उपयोग भले ही किया जाए लेकिन इस प्रकार विलय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारतीय व्यापारियों के संबंध में जाम्बिया के राष्ट्रपति का वक्तव्य**

*390. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा अल्जीरिया और पेरिस की यात्रा के अवसर पर रेडियों से राष्ट्र के नाम प्रसारित संदेश की ओर आकर्षित कराया गया है कि कुछ उद्योगों में विशेषकर भारत से सप्लाई किये जाने वाले कपड़े के व्यापारी जान बूझकर कीमतें बढ़ाते हैं तथा माल सप्लाई किये जाने वाले देश में अधिक धनराशि रखते हैं जिससे विदेशों के बैंकों में अधिक धन के लेखे बना सकें और उन्होंने ऐसे कठोर उपायों की घोषणा की है जिससे मुद्रा की अत्यधिक तस्करी को रोका जा सके तथा औद्योगिक कर्मचारियों को सेवामुक्त किए जाने से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार माल का बीजक बनाने से संबद्ध अनाचारों की निंदा करती है । जांबिया में इन अनाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो जांबिया सरकार का ही काम है, लेकिन जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, वह अपने कानूनों के संदर्भ में भारत के सप्लाई करने वालों के विरुद्ध आरोपों पर गौर कर रही है ।

**भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र**

2267. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में कितने वैज्ञानिक, तकनीकी,

प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी वर्गवार काम करते थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी स्थायी तथा अस्थायी थे; और

(ग) कुल अस्थायी कर्मचारियों में से कितने अस्थायी कर्मचारी तीन वर्ष तथा इससे अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क)

| | |
|---|---|
| 31 मार्च, 1968 तक वैज्ञानिक कर्मचारी | 1844 |
| ,, ,, ,, ,, तकनीकी ,, | 3777 |
| ,, ,, ,, ,, प्रशासनिक ,, | 1843 |
| सामान्य व्यवस्था तथा सहायक कर्मचारी | 1752 |
| कुल ... | 9216 |

(ख)

| | स्थायी | अस्थायी | कुल |
|---|---|---|---|
| वैज्ञानिक कर्मचारी | 680 | 1164 | 184 |
| तकनीकी कर्मचारी | 1059 | 2718 | 3777 |
| प्रशासनिक कर्मचारी | 428 | 1915 | 1843 |
| सामान्य व्यवस्था तथा सहायक कर्मचारी | 62 | 1692 | 1752 |
| | 2229 | 6987 | 9216 |

(ग) 4390 अस्थायी कर्मचारी तीन वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं।

**भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र**

2268. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सी० सी० एस० (टी एस) नियम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों के उपबन्धों को तीन वर्ष से अधिक सेवा करने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय

2269. **श्री जनार्दनन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों की वर्तमान सख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उच्चायुक्त के कार्यालय के रख-रखाव पर इस समय कितना धन वार्षिक व्यय किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यालय के कार्य-संचालन के व्यय में कमी करने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को निकाला गया है और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की बचत हुई ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) लंदन-स्थित भारत के हाई कमीशन में कई विभाग हैं जो कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विदेश-स्थित केंद्र हैं और मूल मंत्रालय ही उनके वित्त और अमले की की व्यवस्था करता है। 31-10-1968 को इसमें काम करने वालों की कुल संख्या 761 थी (भारत-आस्थानी—173, स्थानीय आमला—588) जिनमें से 137 चतुर्थ श्रेणी के थे।

(ख) 1967-68 का कुल खर्च 1,517,248 स्टर्लिंग पौंड अर्थात् 27,310,464/-रु० था। इसी वर्ष में विदेश मंत्रालय का वास्तविक खर्च 12,635,085/-रु० था।

(ग) जी हां। भारत का हाई कमीशन, लंदन, के काम के तरीके बड़े आंकने और किफायत करने के प्रश्न पर सरकार सोच-विचार कर रही है। मार्च-अप्रैल 1967 में विदेश सेवा निरीक्षक जब लंदन गए थे तब उन्होंने इस प्रश्न पर गौर किया था और उन्होंने पद कम करने की तथा हाई कमीशन में कार्य के विभिन्न कामों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की थी।

(घ) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में (31 अक्तूबर तक) नीचे लिखे पद (भारत-आस्थानी और स्थानीय) खत्म किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई वह प्रत्येक वर्ग के आगे दिखाई गई है :

| वर्ष | कितने पद कम किए गए (भारत-आस्थानी और स्थानीय) | अनुमानित बचत पौंड स्टर्लिंग में |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1965-66 | 46 | 62,289 |
| 1966-67 | 26 | 29,741 |
| 1967-68 | 76 | 93,621 |
| | कुल ... | 185,651 |

## शौकिया रेडियो आपरेटर

2270. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शौकिया रेडियो आपरेटरों (हैम्स) का असैनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था में एकीकरण करने के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित योजना का ब्योरा क्या है; और यह योजना कब लागू हो जायेगी;

(ख) इस समय काम करने वाले हैम्स के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है, लाइसेंस किन शर्तों पर दिये जाते हैं और ट्रांसमिटरों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं;

(ग) क्या कुछ हैम्स ऐसे कामों में लगे पाये गये हैं जो देश की सुरक्षा के लिये हानिकारक हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) अव्यवसायी रेडियो आपरेटरों (हैम्स) का असैनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था में एकीकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) अनुबन्ध 'ख' में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इस समय कुल 463 अव्यवसायियों को [अनुबन्ध (क) में उल्लिखित नाम] लाइसेंस दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2340/68]** अव्यवसायी उन संदेशों को आगे भेज देते हैं जो कि अव्यवसायी शुगल से संबंधित होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार संदेशों का या किसी तीसरी पार्टी के संदेशों को अव्यवसायी केन्द्रों से भेजे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। बिना वैध लाइसेंस वाले या लाइसेंस में निहित किसी भी शर्त को पूरा न करने वाले किसी भी अव्यवसायी केन्द्र को स्थापित करना या चलाना उसका इस प्रकार काम करना भारतीय तार अधिनियम 1885 के अन्तर्गत अपराध है।

(ग) और (घ). एक और विवरण यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

## भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

2271. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कोलार (मैसूर) द्वारा किस प्रकार के उपकरण तैयार किये जाते हैं और यह कम्पनी प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य का माल तैयार करती है ;

(ख) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और ये किस-किस देश के हैं और उन पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है;

(ग) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अपना उत्पादन लक्ष्य कब प्राप्त कर लेगी और उत्पादन आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस कम्पनी के प्रथम दस उच्चाधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उनके वेतन तथा अन्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) इस कम्पनी में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनकी वार्षिक मजूरी बिल की राशि कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ङ). एक विवरण जिसमें सूचना निहित है, संलग्न है।

**विवरण**

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के, जिसका रजिस्टर्ड मुख्यालय बंगलौर में है दो डिवीजन हैं, अर्थात बंगलौर का रेल कोच डिवीजन और कोलार की स्वर्ण की खानों का अर्थ मूवर डिवीजन। रेल कोच डिवीजन में कम्पनी रेल के लिए समग्र रेल के डब्बों का निर्माण कर रही है, जब अर्थ मूवर डिवीजन क्रालर ट्रैक्टर और भारी अर्थ मूविंग साजसामान जैसे कि स्क्रेपर, रीयर डम्प, आफ दी हाई वे रीयर डम्प ट्रक और मोटर ग्रेडर बना रहा है।

रेल कोच डिवीजन में उत्पादन 563.22 लाख रुपये तक का था, और अर्थ मूवर डिवीजन में 592.16 लाख रुपये तक का, अर्थात 1967-68 में कुल 1155.38 लाख रुपये का।

(ख) रेल कोच में कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं लगाया गया है। केवल यू० ए० ए० से एक विदेशी तकनीकी जिनका नाम है चार्ल्स आपाकी इस समय हैवी अर्थ मूविंग साजसामान के उत्पादन में तकनीकी सहायता देने के लिये, अर्थ मूवर डिवीजन में काम कर रहे हैं। इस तकनीकी के भरण-पोषण पर वार्षिक खर्च लगभग 60,000 रुपये होता है।

(ग) रेलकोच डिवीजन में लक्षित क्षमता स्थापित की जा चुकी है और उत्पादन तदनुसार हो रहा है। के० जी० एफ० में क्रालर ट्रैक्टरों और हैवी अर्थ मूविंग साज सामान के निर्माण की फैक्टरी को अभी नियमित रूप से कमीशन नहीं किया गया क्योंकि, संयन्त्र और मशीनें अभी आनी हैं। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण प्रायोजना की कार्यान्विति में कुछ बिलम्ब हुआ है। तदपि, आयात सी० के० डी० पैक्स और क्रमशः उन्नति कर रहे देशीय अंश से, उसके नियमित रूप से कमीशन किये जाने तक क्रालर ट्रैक्टरों और अर्थ मूविंग साजसामान का संयोजन, शुरू हो चुका है। आशा है 1972-73 तक फैक्टरी ऐसे साजसामान की लक्षित क्षमता स्थापित कर पाएगी।

(घ) कम्पनी के दस उच्च अधिकारियों के नाम, पद, वेतन और अन्य उपलब्धियों के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

| | | | रुपये |
|---|---|---|---|
| 1. | मेजर जनरल ओ० एम० मानी, मैनेजिंग डायरेक्टर | वेतन | 2,800.00 |
| 2. | श्री आर० एल० कपूर डि० जनरल मैनेजर रेलकोच डिवीजन, | वेतन | 2,500.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | श्री एन० आर भार्गव, डि० जनरल मैनेजर अर्थमूवर डिवीजन, | वेतन | 1,700.00 |
| | | प्रतिनियुक्ति भत्ता | 300.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| 4. | श्री कृष्ण नारायण रे, डि० जनरल मैनेजर, कमर्शल डिवीजन, | वेतन | 2,000.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| 5. | श्री सी० वी० नगेन्द्र, वित्त नियन्त्रक | वेतन | 1,480.00 |
| | | प्रतिनियुक्ति भत्ता | 290.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| | | नगर प्रतिकर भत्ता | 50.00 |
| 6. | श्री बी० आर० गोविन्द, मुख्य इंजीनियर, (निर्माण) | वेतन | 1,600.00 |
| | | प्रतिनियुक्ति भत्ता | 300.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 10,000 |
| | | नगर प्रतिकर भत्ता | 50.00 |
| 7. | श्री टी० के० सम्पत गोपाल, फैक्टरी सुपरिन्टेंडेंट, रेल कोच डिवीजन | वेतन | 1,540.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| 8. | श्री ए० एस० कुर्पद सेल्ज मैनेजर | वेतन | 1,480.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| | | नगर प्रतिकर भत्ता | 50.00 |
| 9. | श्री वी० आर० कृष्णास्वामी, मुख्य उत्पादन इंजीनियर अर्थमूवर डिवीजन | वेतन | 1,420.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |
| 10. | श्री कुरूप, सचिव तथा प्रशासनिक अधिकारी | वेतन | 850.00 |
| | | महंगाई भत्ता | 100.00 |

(ङ) कम्पनी के कर्मचारियों को कुल संख्या और वार्षिक उजरत बिल के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

(1) 1-11-68 को कर्मचारियों की कुल संख्या :

| | |
|---|---|
| रेलकोच डिवीजन | 3859 |
| अर्थमूवर डिवीजन | 1380 |
| कुल | 5239 |

(2) 1968-69 के लिये कुल अनुमानित उजरत बिल

| | |
|---|---|
| रेलकोच डिवीजन लगभग | 138 लाख रुपये |
| अर्थमूवर डिवीजन लगभग | 45 लाख रुपये |
| कुल लगभग .. | 183 लाख रुपये |

## गुजरात में परमाणु बिजलीघर

2272. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित करने के लिये ऐसे प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

**प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) और (ख). गुजरात राज्य सरकार ने उस राज्य में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का अनुरोध किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग इस समय भारत में कम लागत पर बिजली का उत्पादन करने के लिये बड़े परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के प्रश्न का अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों के परिणामों तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली कार्यक्रम के अनुसार गुजरात राज्य सरकार की प्रार्थना पर भी विचार किया जायेगा।

## चलचित्र वित्त निगम

2273. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र निर्माताओं के लिये चलचित्र वित्त निगम के माध्यम से और अधिक धन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण है जबकि चलचित्र वित्त निगम पिछले दो वर्षों में कुछ भी शुद्ध मुनाफा नहीं दिखा सका है; और

(ग) इस निगम द्वारा शुद्ध मुनाफा न दिखाये जा सकने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) से (ग). फिल्म उद्योग को उच्च कलात्मक गुणों से मुक्त ऐसी फिल्म, जिसकी व्यापारिक सम्भावनायें भी हों, को बनाने में सहायता देने के दृष्टिकोण से निगम को अतिरिक्त धन की व्यवस्था की आवश्यकता समझी गई है परन्तु अभी उसको और धन देने का निर्णय नहीं लिया गया है। निगम से पूंजी विनियोग पर केवल लाभ कमाने की उपेक्षा प्रोत्साहन देने के कार्य की आशा की जाती है।

## हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एककों के अनुसंधान कार्य

2274. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर और कानपुर स्थित दो यूनिटों में किये

गये अनुसन्धान कार्यों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या सरकार यूनिटों द्वारा किये जा रहे विशेष अनुसंधान कार्यों के बारे में रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेगी ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का बंगलौर डिवीजन या कानपुर डिवीजन कोई मौलिक अनुसंधान कार्य नहीं कर रहा है। फिर भी बंगलौर डिवीजन में एक संगठन है जो विमानों, पिस्टन तथा गैस टर्बाइन इंजनों, विमानों के उपकरणों और सम्बन्धित प्रौद्योगिक क्षेत्र में भू-उपकरणों के डिजाइन तैयार करने तथा उनके विकास के लिए बनाया गया है।

(ख) संलग्न विवरण में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उल्लेख है।

**विवरण**

(बंगलौर डिवीजन) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हस्तगत की गई मुख्य विकास प्रायोजनाएं।

(1) **एच० टी०** 2

सीरस मेजर मेक 3 इंजन सहित, दो टेण्डर सीटों वाला पिस्टन इंजन विमानों के चालकों के आरंभिक प्रशिक्षण के लिए उपर्युक्त एक अखिल धातु प्रशिक्षण विमान।

(2) **एच० एफ०** 24

बहु उद्देशीय संक्रियाओं के अभिकल्पित ब्रिस्टल अफिर्यस 703 इंजनों द्वारा चालित एक अतिस्वन लड़ाका विमान।

(3) **पुष्पक**

उडान क्लबों के लिए उपयुक्त एक आल्ट्रा लाईट 2 सीटों वाला विमान।

(4) **कृषक**

अल्प दूर, के यात्रियों के सफर के लिए, अन्तरिक्ष पर्यवेक्षण कार्यों के उपयुक्त चार सीटों वाला एक हल्का विमान।

(5) **एच० जे० टी०**-16

जेट विमानों में आरम्भिक चालक प्रशिक्षण के लिये साथ-साथ दो सीटों वाला वाईपर 2 टर्बो-जेट इन्जन द्वारा चालित एक आरंभिक जेट प्रशिक्षण विमान।

(6) **कृषि-विमान**

डिवीजन ने एक कृषि विमान और उस विमान के लिये उपयुक्त एक पिस्टन इन्जन का विकास हस्तगत किया है। पहला प्रारूप बनाया जा रहा है, और प्रारूप की पहली उड़ान शीघ्र ही प्रत्याशित है। विमान क्रिमी-नियन्त्रण हस्तगत करने और फस्लों पर औषध छिड़कने संबंधी संक्रियाओं के लिये अभिकल्पित किया गया है।

## विदेशों में भारतीय दूतावासों में प्रचार अधिकारी

2275. **श्री क० लकप्पा :**

**श्री कामेश्वर सिंह :**

**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 1 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल अधिक महत्व वाले दूतावासों में ही इस बीच प्रचार अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे दूतावासों के नाम क्या हैं जिनमें प्रचार अधिकारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) कितने दूतावासों में प्रचार अधिकारी उस देश की जहां वे कार्य कर रहे हैं भाषा जानते हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां ।

(ख) 47 मिशनों में प्रचार अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । जहां तक दो मिशनों जैसे दमिश्क और जेद्दा में प्रचार अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है, यह अभी विचाराधीन है । मिशनों की एक सूची इसके साथ संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-**2341/68]

(ग) 27 मिशनों के प्रचार अधिकारी संबद्ध देश की भाषा जानते हैं ।

### Expenditure on AIR Cultural Programmes

2276. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the expenditure incurred by Government on AIR's Cultural Programmes during 1967-68 ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### Commercial Broadcasts

2277. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the profit earned by All India Radio so far by introducing Commercial Advertising in the current financial year ;

(b) the additional time that Government propose to allocate for commercial advertising in case it has been a success ; and

(c) whether the introduction of this advertising service has served as a check on the flow of advertisements to other countries which were earlier broadcast from there ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):** (a) The net profit earned by AIR on the Bombay Commercial Service for the period of eleven months from 1st November, 1967, to 30th September, 1968, is Rs. 33,13,301/-. Commercial service from Calcutta was started from 15th October, 1968, and information about net profits earned at that station is not yet available.

(b) Though commercial advertising by AIR has been successful, yet, the question of increasing the time allowed for advertising has not been considered as yet. It may be considered after commercial service has been extended to other centres in the country.

(c) It should have, but it is not possible to indicate exactly at this stage what effect the commercial service of AIR has had on the earning of the commercial broadcasting services in neighbouring countries. Definite study of this aspect of AIR's commercial service will be made in due course.

**Manufacture of Cheap Radio Sets**

2278. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the progress made in the manufacture of small, light and cheap radio sets?

**The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):** The production of cheap radio receivers in the organised sector since 1966 is given below:—

| Year | Low Priced sets below Rs. 125/- |
|---|---|
| 1966 | 52,499 Nos. |
| 1967 | 206,587 Nos. |
| Up to Sept. 1968. | 328,276 Nos. |

The capacity for production of radio receivers, earmarked for the small scale sector is the same as for the organised sector. Separate figures of production of cheap sets in the small scale sector are not available although the production in this sector is mainly of cheap radio sets.

**स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों की विदेश यात्रा**

2279. **श्री प्र० के० देव :**
**श्री एन० शिवप्पा :**
**श्री रा० कृ० अमीन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री की विदेश यात्राओं के समय उनके साथ जाने वाले व्यक्तियों और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** मई, 1953 के बाद की दौरों की सरकार के पास जो सूचना सुलभ है वह संलग्न सूची में दी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2342/68**]

**पख्तूनिस्तान के बारे में राष्ट्रीय समिति का गठन**

2280. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
**श्री समर गुह :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पख्तूनिस्तान की मांग के समर्थन हेतु और सीमान्त गांधी को भारत में आमन्त्रित करने के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राष्ट्रीय समिति के कार्य को समर्थन प्रदान करने का है;

(ग) क्या सरकार को खान अब्दुल गफ्फार खां से पख्तूनिस्तान के समर्थन में सहायता के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) . इस बारे में सरकार की नीति और सूचना उन वक्तव्यों में निहित है जो 13 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में आधे घण्टे की बहस के दौरान विदेश उप मंत्री ने दिए थे।

**एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी**

2281. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री एस० आर० दामानी :**
**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** **श्री शारदा नन्द :**
**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना से कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अब तक सेवा मुक्त किया जा चुका है;

(ख) कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अन्य नौकरियों पर लगाया जा चुका है;

(ग) कितने एमरजेंसी कमीशन अधिकारियों को नौकरियों पर लगाया जाना शेष है; और

(घ) उनको लाभप्रद रोजगार देने के हेतु कितने अतिरिक्त अवसर बनाये जा रहे हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक आपाती कमीशन प्राप्त 3048 अफसरों को निर्मुक्त किया गया ।

(ख) 3048 निर्मुक्त अफसरों में से अक्तूबर, 1968 के अन्त तक जिन 1615 अफसरों को अन्य नौकरियों पर लगाया जा चुका है उनमें से कुछ तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं या गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में नियुक्त किए जा चुके हैं, कुछ को उनके पूर्व सिविल पदों पर फिर से नियुक्त किया गया है और कुछ स्वयं ही खेती बाड़ी के काम पर या किसी व्यापार में लग गए हैं । आपाती कमीशन प्राप्त 287 भूतपूर्व अफसरों के लिये अन्य नौकरियों पर लगाए जाने की व्यवस्था इसलिए नहीं की जा रही है कि उनमें से कुछ तो इस्तीफा देकर चले गए थे, कुछ अफसरों ने अन्य नौकरियां स्वीकार नहीं कीं और कुछ अनुशासनिक कारणों पर निकाल दिये गए थे ।

(ग) आपाती कमीशन प्राप्त शेष 1146 भूतपूर्व अफसरों को अभी अन्य नौकरी देने की व्यवस्था करनी है ।

(घ) आपाती कमीशन प्राप्त जिन अफसरों को नियुक्त किया गया है उन्हें अन्य नौकरियों पर लगाने के लिए सरकार ने जो विभिन्न उपाय किये हैं उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2343/68]**

**अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन का सम्मेलन**

2282. **श्री रा० बरुआ :**

**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व काहिरा में हुए अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन के सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था; और

(ग) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी, और इसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग). जहां तक सरकार का प्रश्न है, यह अफ्रो-एशियाई लोक एकता संगठन एक गैर-सरकारी संस्था है । इसके काहिरा सम्मेलन में भारत के हिस्सा लेने का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए, इस संगठन के सचिवालय से भारत सरकार को इस संगठन की कार्रवाई से संबद्ध कोई रिपोर्ट आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं होगी ।

**American Organisations in Sikkim**

2283. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of economic, Social and other types of American organisations which are active in Sikkim;

(b) since when these organisations are active in Sikkim with details of each organisation and its activities; and

(c) the number of American citizens who visited Sikkim during the last five years with the names of places they visited and duration of their stay there?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)**: (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Details are not available as statistics are not maintained on the basis of citizenship. Normally, visit to Gangtok alone was allowed and that too up to three days only.

**नागालैंड**

2284. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी, जो कि इस समय नागालैंड और आसाम के राज्यपाल के हाथों में है, राज्य सरकार को हस्तान्तरित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) नागालैंड राज्य में आंतरिक गड़बड़ी रहने की अवधि के दौरान कानून की व्यवस्था विषयक राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 371-क के उप-खण्ड (1) (ख) पर आधारित है। नागालैंड सरकार से इस बारे में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**आन्ध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन**

2285. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के रेडियो स्टेशनों के सुधार और विस्तार के लिये कोई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से उनका ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** :(क) जी, नहीं । ये योजनाएं अभी तैयार की जा रही हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**आकाशवाणी के प्रसारणों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करना**

2286. **श्री ए० श्रीधरन :**

**श्री क० लकप्पा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1968 के "पेट्रियट" में प्रकाशित इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी प्रायः तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आकाशवाणी के प्रसारणों में निष्पक्ष और सही जानकारी देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिस आलोचना का जिक्र किया गया है वह उचित नहीं थी । आकाशवाणी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वह निष्पक्ष और सही हों ।

**Haj Pilgrims**

2287. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Haj pilgrims authorised by Government for Haj travel during the last two years; and

(b) the amount of foreign exchange given to Haj pilgrims by Government for Haj travel during the above period ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):** (a)

| | | |
|---|---|---|
| 1967 | — | 15,200 |
| 1968 | — | 15,000 |

**Rs. in foreign exchange.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (b) | 1967 | — | 2,38,84,205 |
| | 1968 | — | 2,34,13,315 |

**चौथी योजना में औद्योगिक और निर्यात कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग**

2288. **श्री रा० बरुआ :**
**श्री बे०कृ० दास चौधरी :**
**श्री नि०रं० लास्कर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना में औद्योगिक और निर्यात कार्यक्रम तैयार करने में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ यदाकदा परामर्श करने के लिये छोटे कार्यकारी दल बनाये हैं :

(ख) यदि हां, तो इनके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) योजना आयोग को इन कार्यकारी दलों के सहयोग से किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**Staff with Communist Leanings in A. I. R.**

2289. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :**
**Shri Onkar Siugh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints to the effect that some senior officers of the Broadcasting Division of All India Radio have pro-communist leanings ;

(b) whether it is a fact that the said officers attach more importance to communist ideology in features, commentaries, talks, discussion, etc. ; and

(c) if so, the steps taken and the policy adopted by Government in this regard ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do no arise.

**Territory Under Occupation of Pakistan and China**

2290. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri J. N. Hazarika :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the area and details of Indian territory under occupation of Pakistan and China ;

(b) the area and details of Indian territory taken back after it was occupied by Pakistan and China ;

(c) the results of the peaceful negotiations if any, undertaken to recover the said territories ; and

(d) the further action taken or proposed to be taken by Government to take back the said territory in addition to sending, protest notes and undertaking peaceful negotiations which have yielded no results so far ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** (a) to (d). (i) In addition to 14,500 sq. miles of Indian territory in Ladakh under China's illegal occupation, there is also a little over 2,000 sq. miles of Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir, which as a result of the so-called broder agreement between Pakistan and China in March 1963, is under Chinese occupation ;

(ii) Pakistan is in illegal occupation of 30,500 sq. miles of Indian territory in Jammu & Kashmir;

(iii) On the Assam-East Pakistan border, in the area of the Lathitilla-Dumabari villages, Pakistan is in possession of 249 acres of land under working boundary arrangements. The alignment of the boundary in this area is the subject of a dispute with Pakistan. Recently the Government of Pakistan have agreed to discuss the question of the boundary at the level of Surveyors-General.

(iv) On the Tripura-East Pakistan border, Pakistan is in possession of 5 sq. miles of Indian territory in the upper reaches of the Fenny river. Here also, there is a dispute between the two countries about the alignment of the boundary ;

(v) In addition to the above, there are cases along the borders of West Bengal, Assam and Tripura with East Pakistan where one country is in possession of small areas of territory belonging to the other.

In regard to items (iii), (iv) and (v) above, the situation will be rectified when demarcation of the boundaries has been completed.

The Government of India will continue to pursue peaceful methods for the recovery of Indian territory under foreign occupation.

## प्रतिरक्षा के असैनिक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा

2291. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 31 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के मजूरी ढांचे की जांच करने के लिए एक स्पष्टीकरण समिति नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). युक्तिकरण समिति को स्थापित

करने के प्रश्न पर अन्तिम स्तरों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही कोई निर्णय निकल आने की आशा है ।

**वायु सेना की उड़ान शाखा**

2292. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना की उड़ान शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति की सम्भावनायें तथा रैंक समान अवधि वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा विशेष ड्यूटी अधिकारियों के बराबर होते हैं; और

(ख) क्या इस नियम को समान रूप से लागू किया जाता है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). प्रशासकीय और विशेष ड्यूटी ब्रांच की अपेक्षा सामान्य ड्यूटी ब्रांच (फ्लाइंग ब्रांच) में अफसरों के लिए समग्र रूप से पदोन्नति के अवसर अधिक अच्छे हैं ।

**फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड**

2293. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड की किस वर्ष स्थापना हुई और उस समय इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन थे और यह बोर्ड कब तक चलता रहा था; और

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के कौन-कौन सदस्य हैं और निगम का अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक कौन है, उनकी नियुक्ति कब की गई थी और उनकी कार्यावधि क्या है और उनकी नौकरी की शर्तें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** (क) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड की मार्च 1960 में स्थापना हुई थी । एक विवरण संलग्न है जिसमें 1960-61 से 1967-68 तक से निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2344/68]

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित हैं :

(1) श्री हिम्मत सिंह (अध्यक्ष)

(2) श्री पी० के० सामल (निदेशक)

(3) श्री ए० पी० वी० कृष्णन (निदेशक)

(4) श्री एच० आर० महाजनी (निदेशक गैर-सरकारी)

अन्यों को यथासमय नियुक्त किया जायेगा। श्री हिम्मत सिंह निगम के अवैतनिक अध्यक्ष हैं। उनकी 4 अक्तूबर, 1967 को दो वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था। अन्य तीन निदेशकों को 14 सितम्बर, 1968 को नियुक्त किया गया था। वे निगम की पहली वार्षिक साधारण बैठक तक इन पदों पर रहेंगे। निदेशकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता परन्तु केन्द्रीय सरकार की दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है। गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के अतिरिक्त प्रति बैठक, जिसमें वे उपस्थित हों, के लिये 25 रुपये दिये जाते हैं।

**फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड**

2294. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1. अनियमितताओं 2. चोरी 3. स्टाक में कमी 4. आग या अन्य कारणों से फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड को कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):** (क) और (ख). अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, आग या अन्य ऐसे ही कारणों से फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई को कोई हानि नहीं हुई।

**फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड**

2295. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड ने खरीद, ठेका तथा बिक्री सम्बन्धी कर्मचारियों की भर्ती (ऐसी नौकरियां जिनमें 500 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन दिया जाता है) के बारे में उचित नियम बनाये हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और वे कब तक बानए जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) फिल्म वित्त निगम, बम्बई ने 500 रुपए प्रति मास से अधिक वेतन वाली नौकरियों के लिए कर्मचारी भर्ती नियम बनाए हैं, परन्तु खरीद, ठेका तथा बिक्री के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं।

(ख) कर्मचारी भर्ती नियमों से सम्बन्धित उद्धरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2345/68]

(ग) खरीद, ठेका और बिक्री के बारे में यह बताया जाता है कि एक वित्तीय संस्थान होने से निगम में कोई बिक्री या बड़े पैमाने पर खरीद नहीं होती । खरीद स्तर के सप्लाइरों से कोटेशन मंगवाने के बाद, डी०जी०एस०एंड डी० की मार्फत या उपरोक्त द्वारा स्वीकृत दरों पर की जाती हैं । क्योंकि इस प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है, अत: कोई नियम बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

**फिल्म फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड**

2296. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कभी फिल्म फाईनांस कारपोरेशन के कार्य का सामान्य अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या इसकी कमियों का पता लगाने और इसके कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख). फिल्म वित्त निगम एक स्वायतशासी निकाय है, तथापि सरकार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इसकी समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखती है । किसी विशेषज्ञ के द्वारा इसका मूल्यांकन करने का विचार नहीं है ।

**केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा फिजी का दौरा**

2297. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने हाल में फिजी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने फिजी की स्वतंत्रता के प्रश्न पर श्री मेरा से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) और (ख). जी हां । केन्द्रीय श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री ने फिजी के मुख्य मंत्री के निमंत्रण पर 29 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1968 तक फिजी की सद्भावना यात्रा की थी । फिजी निवास के दौरान उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री और दूसरे नेताओं से विभिन्न मामलों पर, जिनमें फिजी के भविष्य का प्रश्न भी शामिल है, विचार-विमर्श किया ।

(ग) इस यात्रा से और खासतौर से इस बीच हुई बातचीत से फिजी और भारत के बीच समझ-बूझ और सहयोग बढ़ाने में योगदान मिला । केन्द्रीय श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री फिजी के नेताओं की बुद्धिमानी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए और फिजी के भविष्य के प्रति बहुत आशावादी भावनाएं लेकर भारत वापस लौटे हैं ।

**संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय शिष्ट मंडल में शामिल किये गये संसद सदस्य**

2298. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जाने वाले भारतीय शिष्ट मंडल में 5 संसद सदस्य शामिल किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन दलों से लिये गये हैं; और

(ग) उस पर क्या व्यय हुआ, उन्होंने क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और सरकार ने उन्हें किस हद तक लाभप्रद समझा ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां।

(ख) कांग्रेस पार्टी।

(ग) कुल मिलाकर करीब 2,06,332.00 रुपये का खर्च आने का अनुमान है। महासभा का सत्र अभी चल रहा है और 20 दिसम्बर, 1968 तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट उसके बाद ही मिलेगी। इसमें शक नहीं कि संसद सदस्यों के इसमें भाग लेने से लाभ हुआ है।

**ब्राजील के साथ परमाणु अनुसंधान के लिये करार**

2299. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

**श्री श्रीचन्द गोयल :**

**श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्राजील में परमाणु अनुसंधान में तकनीकी सहयोग देने के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो, किस प्रकार का सहयोग देने पर समझौता हुआ है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के मध्य सहयोग करने के लिये एक करार पर बातचीत जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**यू० ए० आर० ई० 300 इंजिनों का उड़ान परीक्षण**

2300. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1908 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच यू० ए० आर० ई० 300 इंजिनों के उड़ान विकास सम्बन्धी

परीक्षण अब पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

### केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2301. **श्री अदिचन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित 92 योजनाओं की वर्तमान सूची में भारी कमी करने के लिये सितम्बर 1968 में नई दिल्ली में हुई राज्यों के योजना सचिवों की बैठक में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप केरल की किन किन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** सापेक्ष प्राथमिकताओं और उपलब्ध साधनों पर विचार करने के बाद, सभी राज्यों में प्रचलित कतिपय योजनाओं के अलावा केरल राज्य से विशेषरूप से सम्बन्धित जिन योजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से निकालना पड़ा है वे हैं केरल बागान निगम तथा ट्रावन्कोर टिटानियम प्रोडक्ट्स ।

### Return of Underground Nagas from China

2302. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Underground Nagas who have returned from people's Republic of China and Pakistan after receiving training there ;

(b) the names of countries from which they get military and other assistance ; and

(c) the steps taken for checking these activities ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) and (b). Information regarding the numbers of Underground Nagas who have returned from China and Pakistan after receiving training is classified. These two countries have been rendering military and other assistance to the Underground Nagas.

(c) Security measures along the international border with Burma and Pakistan have been further strengthened. Patrolling has been increased and intelligence improved. Government of Nagaland have been provided with additionl police force for law and order duties.

**Broadcast of A "Family Favourite" Programme of Pattern of B. B. C.**

2303. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the British Information Centre, broadcasts on every Sunday a B. B. C. programme 'Family Favourite' in order to acquaint the British citizens living in various parts of the world, with the British traditions and culture and in that effort B. B. C. takes help from other information centres of other countries also ;

(b) if so, whether Government are considering a proposal to introduce such programme as to acquaint Indian people living abroad with Indian culture ;

(c) if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) Such a programme was broadcast by B. B. C. on Sundays some time back. But it is understood that B. B. C. has now discontinued it.

(b) Programmes designed to acquaint Indian overseas with Indian culture are already being broadcast by AIR in English, Hindi, Tamil and Gujarati.

(c) and (d). Do not arise.

**Broadcast of Mahatma Gandhi's Teachings**

2304. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while broadcasting the voice of Mahatma Gandhi on the All India Radio on the 2nd October, 1968, his teachings were broadcast in English ;

(b) if so, the reasons for selecting teachings expressed in English out of his teachings ; and

(c) whether the broadcast of his teachings in English did not offend his basic teaching of 'Swadeshi'?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : No, Sir. No such programme in English was broadcast from Delhi station of All India Radio on 2.10.68. Information about programmes broadcast from other stations on 2nd October, 1968, is being collected.

(b) and (c). Do not arise.

**Passports Issued by Indian Mission at Dubai**

2305. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian traders go to Dubai Port (Iran) illicitly and get Indian passports issued for return to India from Indian Mission there ;

(b) if so, the total number of such persons who did not possess passport for India but were issued Indian passport for return by the Indian Mission at Dubai during 1967 ; and

(c) whether Government propose to institute an enquiry into the matter ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat)** A number of Indians have gone to Dubai illicitly without travel documents. Passports or Emergency Certificates, as the case may be, are issued to them after due verification for return to India.

(b) There are no means to assess the total number of persons who went to Dubai without passports. 653 persons were issued passports by the Indian Mission at Muscat during 1967.

(c) The Government are taking necessary measures to prevent illicit departure of such persons. No enquiry is, therefore, called for.

## संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल में डा० रूडोल्फ-डी-मैलो का शामिल किया जाना

2306. **श्री हेम बरुआ :** **श्री मीठालाल मीना :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री बलराज मधोक :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा में हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधिमंडल में डा० रूडोल्फ-डी-मैलो को शामिल किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त की और किन अन्य योग्यताओं के कारण उन्हें चुना गया था ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि उनके पास पी० एच० डी० की उपाधि है, किन्तु सरकार को इतना मालूम है कि वे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं ।

## Chinese proposed Nuclear Test in Indian ocean

2307. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Raghuvir Singh Shastri**
**Shri Narendra Kumar Salve :** **Shri R. K. Sinha :**
**Shri Sitaram Kesri :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that China has decided to conduct a nuclear test in the Indian ocean :

(b) if so, Government's reaction thereto : and

(c) the steps taken to meet the situation arising out of the test ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :** (a) Government have no reliable information on this.

(b) and (c). Do not arise.

**Anti-Indian Propaganda by Pakistan**

2308. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan have intensified its anti-Indian propaganda to instigate the Muslims living in India ; and

(b) if so, the steps taken by Government to counter this malicious propaganda ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have been countering this malicious propaganda through statements by official spokesmen and through other information media at their disposal. Recently, when the Foreign Minister of Pakistan speaking in the U. N. General Assembly debate, made allegations about the messacre of Muslims in India, the Minister of State for External Affairs promptly rebutted these allegations.

The Government also continue to take up the issues with the Government of Pakistan through protest notes. We have drawn Pakistan's attention to the fact that such anti-Indian proganda not only violates the Nehru-Liaiquat Pact and the Tashkent Declaration, but also acts as an impediment in the process of normalization of relation between the two countries. There has been no positive response from the Government of Pakistan so far.

**आयुध कारखानों के महानिदेशक के मुख्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना**

2309. **श्री समर गुह :**

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के महानिदेशक के मुख्यालय को कलकत्ता से कानपुर ले जाया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को कानपुर ले जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) नये भवनों के निर्माण के लिये कितना धन व्यय होगा तथा कलकत्ता से स्थानान्तरण की लागत सहित नये स्थान पर नई संस्थापना के लिये अन्य कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा कर्मचारियों के संघ ने इस प्रतिरक्षा संस्था के स्थानान्तरण पर आपत्ति की है ; और

(ङ) आयुध कारखानों के महानिदेशालय के कलकत्ता से कानपुर में स्थानान्तरण से कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा सुरक्षा पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं। इस कार्यालय का एक छोटा सा भाग आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरीज ग्रुप जो आर्डनेंस फैक्टरियों के अतिरिक्त महानिदेशक के नियन्त्रण में है, कानपुर आने वाला है।

(ख) इस कार्यालय के कानपुर में आने से पांच फैक्टरियों के एक समूह में प्रशासन समन्वय तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था अच्छी हो सकेगी। इन फैक्टरियों में से से दो कानपुर में और एक शाहजहानपुर में स्थित है।

(ग) इस कार्यालय के फर्नीचर और रिकार्ड के स्थानान्तरण तथा वहां के अफसरों एवं स्टाफ को दिये जाने वाले यात्रा-भत्ता पर आने वाला खर्च लगभग 1 लाख रुपया होने का अनुमान है। उसके लिए एक नई इमारत बनाने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और वर्तमान सरकारी इमारतों में ही उसके लिए स्थान उपलब्ध करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) जी हां। जिन परिस्थितियों में इस कार्यालय को हटाने का निर्णय किया गया है उनसे तथा इस स्थानान्तरण से होने वाले लाभों से उन्हें अवगत कराया गया है।

(ङ) चूंकि आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरीज ग्रुप के अफसरों तथा स्टाफ को आर्डनेंस फैक्टरियों के महानिदेशालय की संयुक्त वरीयता सूची में ही रखा जायगा, इसलिये उनकी सेवा-शर्तों पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**प्रतिरक्षा जनसम्पर्क विभाग**

2310. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार सहित प्रतिरक्षा जनसम्पर्क विभाग के पत्रकारिता सम्बन्धी कर्मचारियों के केन्द्रीय सूचना सेवा में विलय के प्रस्ताव को जो एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रस्ताव में कई उलझनें हैं जिनका बारीकी से विचार करने की तथा विभिन्न संबंधित मंत्रालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की मंजूरी की आवश्यकता है। इसके अनुसार मामले पर कारवाई की जा रही है।

**कूपर एलन एन्ड कम्पनी, कानपुर**

2311. **श्री क० रमानी** :

**श्री सी० के० चक्रपाणि** :

**श्री मुहम्मद इस्माइल** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6213 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कूपर एलन एंड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर को अपने हाथ में लेने संबंधी प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय उन अन्य मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जो कि इस संबंध में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय से सम्बन्धित किसी भी पहलू से सम्बन्धित हों। अन्तिम निर्णय लेने में अभी और समय लगेगा।

**पाकिस्तान के विधि मंत्री द्वारा कच्चाटीबू द्वीप के ऊपर से उड़ान**

2312. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री स० मो० बनर्जी**
**श्री शिव चंद्र झा :** **श्री ही० ना० मुकर्जी**
**श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री रवि राय**
**श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री सीताराम केसरी**
**श्री कु० ग० देशमुख :** **डा० सुशीला नैयर**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**
**श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** **श्री ई० के० नायनार**
**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री यज्ञ दत्त शर्मा**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री न० कु० सांघी**
**श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री वेणी शंकर शर्मा**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विधि मंत्री श्री एस० एन० जफर अक्तूबर, 1968 में श्रीलंका की वायुसेना के विमान में भारत के कच्चाटीबू द्वीप के ऊपर भारत सरकार की अनुमति के बिना उड़े थे और बाद में उन्होंने कहा कि यह द्वीप निःसंदेह श्रीलंका का भाग है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार से पत्र-व्यवहार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो परिणाम क्या है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) हमारे पास जो सूचना सुलभ है उसके अनुसार कच्चाटीबू पर पाकिस्तान के कानून

मंत्री श्री एस० एम० जफर की उड़ान की योजना श्रीलंका की सरकार ने नहीं बनाई थी। श्रीलंका के उस विमान के चालक ने, जिसमें यह मंत्री महोदय यात्रा कर रहे थे, उनके पूछने पर श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर उड़ान करते समय विमान से कच्चाटीबू की ओर संकेत करके ही बताया था।

(ख) और (घ). इस बारे में सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने का सवाल ही नहीं उठता।

**A. I. R. Earnings Through Commercial Broadcasts**

2313. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the expenditure incurred on the Commercial Broadcasts on the All India Radio and the earnings therefrom so far?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):** Information about expenditure (excluding capital expenditure) and earnings of commercial service from the Bombay Vividh Bharati Centre for the period of eleven months from 1st November 1967 to 30th September 1968 is as follows:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | Income after deducing commission | — | Rs. 37,03,101 |
| (ii) | Expenditure on service | — | Rs. 3,89,800 |
| (iii) | Net Profit : | — | Rs. 33,13,301 |

Commercial service from the Calcutta Vividh Bharati Centre was started from 15th October 1968 and information about expenditure and earnings of that centre is not available as yet.

**नौसैनिक अकादमी**

2314. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**

**श्री सीताराम केसरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसैनिक अकादमी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित नौसैनिक अकादमी के लिए कौन सा स्थान चुना गया है;

(घ) अकादमी स्थापित करने पर आरम्भ में कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने तथा परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(च) क्या प्रस्तावित नौसैनिक अकादमी की स्थापना हो जाने पर विशेषीकृत तकनीकी कोर्सों के लिए नौसैनिक अधिकारियों को विदेशों में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी जैसा कि अब तक किया जा रहा है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) जी नहीं ।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते ।

**विमानों के उपकरणों का निर्माण**

2315. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, लिमिटेड ने विमानों के उपकरणों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाने की स्थापना के लिए एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने मिग विमानों की पूरी मरम्मत करने के लिए एक कारखाने की स्थापना हेतु सरकार को एक और प्रस्ताव भी भेजा है;

(ग) इस कारखाने में बनने वाले उपकरण देश की मांग की किस सीमा तक पूर्ति कर सकेंगे और इन दोनों परियोजनाओं से कितनी आय/लाभ होगा;

(घ) सरकार इन दोनों परियोजनाओं के बारे में कब तक निर्णय कर लेगी ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) जी हां ।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने वर्तमान मिग डिवीजनों के द्वारा नासिक हैदराबाद और कोरापुत में ओवरहालिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा है ।

(ग) देश में बनाए जाने वाले विमानों के लिए कल पुर्जों तथा उपकरणों की आवश्यकता-पूर्ति की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ाने की योजना है । इन दोनों परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा में काफी बचत होगी ।

(घ) सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के तीन मिग डिवीजनों में ओवरहालिंग सुविधाएं उपलब्ध करने का पहले ही निश्चय कर लिया है । विमानों के सहायक उपकरणों के उत्पादन के प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है और उसमें अन्तिम निर्णय की तारीख अभी बतलाना कठिन है ।

## नौसेना में मछुए

2316. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना में मछुआ समुदाय के कितने लोग कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समुदाय की समुद्र में दक्षता तथा किसी अन्य कार्य करने में उसकी सामान्य अयोग्यता के कारण नौसेना में इस समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) वर्तमान मत्स्यपालन सम्बन्धी स्कूलों में मछुओं को समुद्र सम्बन्धी शिक्षा पर व्यय के लिए सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समुदाय के लिए पदों का कुछ प्रतिशत सुरक्षित करने में संवैधानिक आपत्ति क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) वंशानुगति व्यवसायों के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) चूंकि नौसेना में भरती जाति या वर्ग के आधार पर नहीं होती है और नौसेना में प्रवेश के लिए समुद्री जीवन में अभिरुचि रखने की ही एक मात्र आवश्यक योग्यता नहीं मानी जाती, तब यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) वास्तविक स्थिति यह है कि इस सम्बन्ध में लगभग सारा खर्चा सम्बन्धित सरकारें वहन करती हैं।

(घ) संवैधानिक आपत्ति कोई नहीं है। संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य में रोजगार देने के मामले में सभी को सामान्य अवसर दिया जाय और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाय। यद्यपि इस व्यवस्था से किसी भी राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जो कि राज्य की दृष्टि में उसके अधीन विभिन्न सेवाओं में पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व न रखते हों, सुरक्षित स्थान रखने से नहीं रोका जा सकता। फिर भी संविधान राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि सामान्य रूप से सभी पिछड़े वर्गों के स्थान पर किसी एक विशेष वर्ग के लिए वह सुरक्षित स्थान रख सकें।

## प्रतिरक्षा पर व्यय

2317. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के कुछ मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में प्रतिरक्षा पर किये जाने वाले व्यय में कमी करने का सुझाव दिया था ताकि उस धन राशि को विकास कार्यक्रम पर लगाया जा सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथीयो जना के प्रतिरक्षा कार्यक्रम के लिये 6,000 करोड़ रुपये से कम धनराशि का नियतन नहीं किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) एक मुख्य मंत्री ने 17 और 18 मई, 1968 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सामरिक क्षमता को किसी प्रकार कम किये बिना रक्षा व्यय में कमी करने का सुझाव दिया है ।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरा रक्षा न पर होने वाले खर्चे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ). रक्षा व्यय में कटौती करने के प्रश्न पर बराबर ही विचार किया जाता रहा है और इस सम्बन्ध में कुछ उपाय भी किये गये हैं तथा कुछ अन्य विचाराधीन हैं ।

**पाकिस्तान रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार**

2318. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पाकिस्तान द्वारा हाल में भारत विरोधी प्रचार बहुत तेज कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कितने विरोध पत्र भेजे गये हैं और उनका क्या परिणाम रहा है;

(ग) भारत विरोधी प्रचार किस प्रकार का है और सरकार ने इसको निष्प्रभावी करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) 1966 की ताशकन्द घोषणा के बावजूद पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत विरोधी प्रचार किये जाने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) पकिस्तान रेडियो बराबर जोरों से भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है ।

(ख) से (घ). पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार में यह दिखाने में खासतौर पर जोर दिया जाता है कि काश्मीर भारत से अलग होना चाहता है, नागा और मिजो स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भारत युद्ध की तैयारियां कर रहा है और फरक्का बांध से पूर्व पकिस्तान को जबर्दस्त नुकसान होगा ।

भारत सरकार ने मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता तथा विदेश स्थित अपने मिशनों के जरिए पाकिस्तान रेडियों के इन झूठे आरोपों का खण्डन किया है । आलइण्डिया रेडियो भी पाकिस्तानी रेडियो के झूठे आरोपों का खण्डन करता रहा है ।

पाकिस्तान सरकार को कई विरोध पत्र भी भेजे गये हैं जिनमें यह कहा गया है कि इस तरह का भारत विरोधी प्रचार ताशकंद घोषणा, नेहरू लियाकत संधि के विपरीत है और इससे

दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में अड़चन पड़ती है। हमारे विरोधों से पाकिस्तानी प्रचार में कोई संयम नहीं आया है।

'भारत के प्रति घृणा' का यह आन्दोलन, मौका मिलने की भारत की निन्दा करने की पाकिस्तान की जानी मानी नीति के अनुरूप ही है।

**नागाओं तथा मिजोओं द्वारा हथियार डालना**

2319. **श्री हिम्मतसिंहका :**

**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और बर्मा में कई नागा और मिजों विद्रोहियों ने हथियार डाल दिये हैं।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने नागा तथा मिजो विद्रोहियों ने हथियार डाल दिये हैं; और

(ग) उन्होंने कितने और किस प्रकार से हथियार डाले हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) से (ग). बर्मा में कितने छिपे नागाओं ने आत्मसमर्पण किया है इसकी सही सूचना सरकार को प्राप्त नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जुलाई, 1968 से 30 सितम्बर, 1968 तक नागालैंड और मणिपुर में अत्मसमर्पण करने वाले नागाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**विवरण**

| मास | कितनों ने आत्म-समर्पण किया। | सुपुर्द किये गये शस्त्र |
|---|---|---|
| जुलाई, 1968 | 12 नागालैंड<br>17 मणिपुर | कोई नहीं |
| अगस्त, 1968 | 9 नागालैंड<br>5 मणिपुर | कोई नहीं |
| सितम्बर, 1968 | 46 नागालैंड<br>8 मणिपुर | कोई नहीं |

**संगणकों का निर्माण**

2320. **श्री उमा नाथ :**

**श्री गणेश घोष :**

**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अधिक संगणक बनाने के लिए संगणक उद्योग का

विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्योग के विस्तार के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(घ) देश में कुल कितने संगणक बनाये जायेंगे ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (घ). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की तकनीकों और कार्यप्रणालियों, सरकारी तथा रक्षा संबंधी युद्धनीतियों, उद्योग की उत्पादन प्रणालियों और प्रबन्ध व्यवस्था की कला में कम्प्यूटरों का काफी महत्व होने के कारण, विश्व भर में उनका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। भाभा समिति के अनुसार 1975 तक लगभग 5,500 कम्प्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी। देश में कम्प्यूटरों की पर्याप्त उत्पादन क्षमता बनाने का विचार है।

इसके लिए आगामी तीन वर्षों में कुल लगभग 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे कम्प्यूटर निर्माता स्वयं कुछ अन्य मदों के निर्यात से उपलब्ध करेंगे।

**प्रतिरक्षा अनुसंधान**

2321. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन कार्यकारी वर्ग अर्थात् मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय वैज्ञानिक और मूल्यांकन की तथा वैज्ञानिक विश्लेषण वर्ग को अधिक सुविधाएं देने और अनुसंधान के पहलुओं पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से इनको मुख्यालय संगठन से अलग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). जी नहीं। इन वर्गों को वैज्ञानिक सलाहकार, सेनाओं के मुख्यालयों और अनुसंधान तथा विकास संगठन के मुख्यालयों के साथ अधिकतर दैनिक सम्पर्क बनाए रखना जरूरी है। अगर उन्हें अलग किया जाय तो उनकी कार्यदक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसके अतिरिक्त उन्हें अलग करने पर उनके लिए भूमि, बिल्डिंग, परिवहन और प्रशासन संबंधी सुविधाओं पर अनावश्यक व्यय भी होगा।

**चौथी पंचवर्षीय योजना**

2322. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों द्वारा पत्रों/संसद् में प्रश्नों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के

बारे में दिये गये विभिन्न सुझावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रति सामान्य दृष्टिकोण, उद्देश्य और प्राथमिकताओं के बारे में विचार करते समय विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो 31 अगस्त, 1968 तक मंत्रालयवार और राज्यवार कितने पत्र/संसद प्रश्न प्राप्त हुए;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की जब इस उद्देश्य के लिए बैठक होती है तो सदस्यों को उनके सुझावों पर विचार करने के आश्वासन/उत्तर के निर्णय से सूचित किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) इस प्रकार के सभी सुझावों पर, विषय के अनुसार योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों या राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है। यह अच्छा होगा यदि राष्ट्रीय विकास परिषद् मुख्यतया नीति सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों तक अपना सरोकार रखे और उसे इस प्रकार के व्यक्तिगत सुझावों की जांच करने की आवश्यकता न पड़े।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

**आकाश वाणी के नये केन्द्रों की स्थापना के लिये विचाराधीन प्रार्थनाएं**

2323. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए, किन्हीं राज्यों का अनुरोध सरकार द्वारा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों को राज्यवार किन-किन राज्यों और स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) इन पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस बारे के सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):** (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्रप्रदेश में श्री काकुलम, तिरुपति और करीम नगर; मैसूर में मंगलौर; उत्तर प्रदेश में झांसी; अन्दमान तथा निकोबार द्वीप ससूह में पोर्टब्लेयर और हरियाणा में गैर-सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों से अन्य प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के बारे में निर्णय हो जाने पर इन प्रार्थनाओं पर अन्तिम निर्णय किये जायेंगे। इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। उसी अवस्थान पर इस पर होने वाले व्यय के बारे में भी कुछ बताया जा सकेगा।

## 1970 से 1979 के बीच भारत की सुरक्षा को खतरा

2324. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के बाद के दस वर्षों में भारत की सुरक्षा के खतरे के संबंध में ब्रिगेडियर रेड्डी साहनी द्वारा किये गये अध्ययन की उप-पत्तियां सरकार को मिल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख): ब्रिगेडियर रेड्डी साहनी (सेवा विसुक्त) द्वारा तैयार किये गये पत्र का सारांश संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2346/68]

(ग) भारत की सुरक्षा को होने वाले खतरों पर तीनों सेनाध्यक्ष बराबर विचार विमर्श करते रहते और सरकार देश के हित में रक्षा और विकास कार्यों के लिए सभी उपलब्ध साधन प्रस्तुत करती रहती है।

## केन्द्रीय विधि मंत्री के भाषणों की जांच के लिये केरल सरकार का अनुरोध

2325. **श्री बासुदेवन नायर :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री सी० के० चक्रपाणि :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्री ई० के० नायनार :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कि केरल में केन्द्रीय विधि मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन द्वारा हाल में दिये गये भाषण राज्य की निर्वाचित सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये लोगों को खुले आम उकसाने वाले नहीं थे केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उन भाषणों की जांच करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) मुख्य मंत्री ने शिकायत की है कि विधि मंत्री ने कुछ ऐसे भाषण दिये थे, जो उनकी राय में आपत्तिजनक, रोष दिलाने वाले और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित थे।

(ख) मुख्य मंत्री को हाल ही में लिखे अपने एक पत्र में विधि मंत्री ने अपने भाषण के सार को संक्षेप में बताया है। उन्होंने मुख्य बात यह कही थी कि मार्क्सवादी और उनसे

प्रभावित साथी केरल में अराजकता फैला रहे हैं ; और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी उनकी कार्यवाहियों को कानून के अनुसार रोकने का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। विधि मंत्री की राय में ऐसी हालत में लोगों के सामने इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि वे अपने जान, माल और इज्जत की रक्षा के लिये अपने आपको संगठित करें। विधि मंत्री का कहना है कि उनके भाषणों में राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के आशय की कोई बात नहीं थी।

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का वाशिंगटन में वक्तव्य**

2326. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वाशिंगटन में दिये गये इस आशय के वक्तव्य के बारे में पता है कि चीन भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ-साथ स्थायी किलाबन्दी कर रहा है और हवाई पटरियां बना रहा है और वह यह नहीं जानते हैं कि इससे चीन हमारे लिए कितनी कठिनाइयां उत्पन्न कर देगा ;

(ख) क्या मन्त्री के लिये संसद को सूचना देने से पूर्व विदेश में इस प्रकार की नवीनतम जानकारी देना उचित है ; और

(ग) चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख). विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाशिंगटन में अखबार वालों के एक स्वागत समारोह में भारत के प्रति चीन के रवैये के सन्दर्भ में चीन-सीमा पर चीन के सैनिक रुख का सामान्य शब्दों में उल्लेख किया था। उन्होंने ऐसा कोई विवरण अथवा नई सूचना नहीं दी जो संसद को मालूम न हो।

(ग) सरकार ने सदन को सूचित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा के किसी भी खतरे का मुकाबला करने तथा भारत की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिये अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में उचित व्यवस्था कर दी गई है।

**छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन**

2327. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि श्री ए० फौनसिया नाम के एक व्यक्ति ने जो बिहार तथा उड़ीसा सर्किल के एम० ई० ओ० के पद पर थे दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के अपने पत्र संख्या डी० 4241 वी० तथा ओ० 15 द्वारा दीनापुर छावनी में एक कोठी की जगह पर पुन: कब्जा करने की धमकी देकर उस कोठी के मालिक को अभिस्वीकृति विलेख निष्कासित करने पर वाध्य किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो बलात ग्रहण का प्रथम दृष्टया अपराधी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के अन्तर्गत दण्डनीय है ;

(ग) क्या इन अधिकारियों को मुकदमों से बचाने की सरकार की नीति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। चूंकि सम्पत्ति का यह हस्तान्तरण करार में दी गई शर्तों के प्रतिकूल होने वाला था इसलिये सैनिक सम्पत्ति अधिकारी (एम० ई० ओ०) ने सम्पत्ति पर अधिकार करने वाले व्यक्ति के पास इस सम्बन्ध में एक नोटिस भेजा कि वे कारण बतलाएं जिनसे उस सम्पत्ति पर अधिकार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हस्तान्तरण-कर्ता ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए नियमानुकूलन के लिये प्रार्थना की और करार की शर्तों के अनुसार "स्वीकृत विलेख" के कार्यान्वयन के लिये सहमति प्रकट की।

(ख) से (घ). ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

## सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा निगम, 1951

2328. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गवर्नर जनरल के 1836 के आदेश संख्या 179 का सारांश आम जनता के लिये उपलब्ध है जो सैनिक भूमि नियम पुस्तिका में दिया हुआ है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : जी हां। गवर्नर जनरल के 1836 के आदेश संख्या 179 की एक प्रति 7 अगस्त 1968 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3059 के उत्तर में सभा के पटल पर रख दी गई थी।

## छावनी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

2329. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने छावनी बोर्डों को ये हिदायतें दी हैं कि वे मकानों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण करने के इच्छुक प्रार्थियों से प्राप्ति विलेखों (एक्नोलजमेंट डीड) की मांग करें ; और

(ख) यदि हां, तो किन तारीखों से और इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। फिर भी परिषद में गवर्नर जनरल के 12 सितम्बर, 1836 के सामान्य आदेश संख्या 179 के अधीन विहित शर्तों के अनुसार किसी अनुदान के हस्तान्तरण करने वाले को 'स्वीकृति विलेख' में अंशदान करना पड़ता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता में विद्युत चालित संगणक**

2330. **श्री गणेश घोष :**

**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

**श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता में एक विद्युत चालित संगणक लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संगणक का प्रयोग अनुसन्धान कार्य के लिए किया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो संगणक लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान में एक संगणक केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग). भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता में एक आई० बी० एम० 1401 संगणक यंत्र काम कर रहा है और इसे मुख्य रूप से अनुसंधान-कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है। एक हनीबेल एच 400, संगणक मशीन भी प्राप्त की गई है किन्तु इसे अभी लगाया नहीं गया है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**आजाद हिन्द फ़ौज के सैनिक**

2331. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

**श्री शारदा नन्द :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1968 में सरकार ने घोषणा की थी कि आजाद हिन्द फौज के उन सैनिकों के जिन्हें भारतीय सेना से बर्खास्त किया गया था अथवा निकाल दिया गया था जब्त किये गये वेतन तथा भत्ते उन्हें पुनः दिये जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तव में आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों के जब्त किये वेतन तथा भत्तों की कुल राशि का केवल दसवां भाग से भी कम उन्हें दिया जा रहा है जिसका कारण यह बताया जाता है कि आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के केवल चालू बही खाते (लैजर एकाउण्ट्स) रखे गये थे और वे ही उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन बही खातों को फिर से तैयार करने और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को हुई हानि के लगभग की राशि उन्हें देने के लिये कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार ने अगस्त 1967 में इस निर्णय की घोषणा की कि आजाद हिन्द फौज के उन सैनिकों के जब्त किये गये वेतन तथा भत्ते उन्हें पुनः दिये जायेंगे ।

(ख) और (ग). जिन सैनिकों का अपना चालू खाता लेखा मौजूद है, उनकी वास्तविक रूप में जब्त की गई वेतन और भत्ते की कुल राशि में से (1) उनकी कैद के दौरान पारिवारिक नियतन के रूप में उनके परिवारों को दी गई धनराशि और (2) 1948, 1963 और 1965 में जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें या उनके उत्तराधिकारियों को तदर्थ आधार पर दी गई धनराशि को घटा कर शेष धन की अदायगी की जा रही है । इतने समय के बाद बहुत से सैनिकों का चालू खाता लेखा उपलब्ध नहीं है । ऐसे मामलों में उनके समकक्ष ओहदे के ऐसे सैनिकों को मिलने वाली औसतन धनराशि की अदायगी की जा रही है जिनके पास व्यक्तिगत चालू खाता लेखा उपलब्ध हैं । व्यक्तिगत चालू खाता लेखाओं को फिर से तैयार करने के लिये कोई रास्ता नहीं है ।

**उत्तर भारत में परमाणु बिजली घर**

2332. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर भारत में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजली घर को उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये केन्द्र से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रार्थना पर विचार किया गया है ?

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उस राज्य में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है ।

(ख) उत्तरी बिजली क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का पूरा पूरा लाभ उठा कर नये परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के प्रश्न का परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इस समय अध्ययन किया जा रहा है । इन अध्ययनों के परिणामों तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली कार्यक्रम के अनुसार गुजरात राज्य सरकार की प्रार्थना पर भी विचार किया जायेगा ।

**दक्षिण पूर्वी एशियाई समुद्र में रूसी युद्ध पोतों का प्रवेश**

2333. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

**श्री मृत्युंजय प्रसाद :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री एक वक्तव्य के अनुसार जो 22 अक्तूबर 1968 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था रूसी युद्ध पोतों का एक बेड़ा दक्षिण-पूर्वी एशियाई समुद्र में प्रविष्ट हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस बारे में क्या जानकारी है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). रूसी युद्ध पोतों का कोई बेड़ा दक्षिण-पूर्वी एशियाई समुद्र में प्रविष्ट हो गया है—इसके सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**फोर्ट विलियम, कलकत्ता**

2334. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि रायल कलकत्ता टर्फ क्लब के मैदान के पीछे, जो एक ऐसे क्षेत्र में आता है, जिसमें किसी गैर-सरकारी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई भूमि खरीदने या कोई ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं है, फोर्ट विलियम के निकट एक मस्जिद बनाने के कुछ प्रयत्न रोक दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि फोर्ट विलियम की सुरक्षा तथा लोगों को प्रतिरक्षा संस्थान से दूर रखने के लिये ऐसी कार्यवाही पहले भी की गई थी ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि यद्यपि निर्माण-कार्य बन्द कर दिया गया है, तदापि यह भूमि अब भी कुछ लोगों के कब्जे में है जहां समय समय पर नमाज पढ़ी जाती है जिससे अन्ततोगत्वा यह प्रमाणित किया जा सके कि यह एक धार्मिक स्थान है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह अत्यावश्यक सैनिक संस्थान की सुरक्षा के विरुद्ध नहीं है और क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में व्यक्तियों तथा संस्थाओं के घुसने पर रोक लगाने का है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

**काश्मीर के बारे में सुरक्षा परिषद में भारत की मूल शिकायत**

2335. **श्री देवेन सेन :**

**श्री भोला नाथ मास्टर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1968 के 'स्टेट्समैन' समाचार पत्र में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद को भेजे गये । जनवरी, 1948 के भारत के मूल पत्र में काश्मीर के भारत का अंग होने का कोई उल्लेख नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने और स्थिति का स्पष्टीकरण करने का सरकार का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां। सरकार ने बयान का मुख्य पाठ तथा इस सम्बन्ध में अखबारी खबरें भी देखी है।

(ख) भारत द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1968 को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाम प्रेषित पत्र में विशिष्ट रूप से यह कहा गया कि जम्मू और कश्मीर भारत में सम्मिलित हो चुका है और यह भारत का अंग है। भारत द्वारा भेजे गये पत्र के सम्बद्ध पैराग्राफ की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2347/68] उससे यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है वह तथ्यतः गलत है।

**Broadcast of Price Bulletins From A. I. R.**

2337. **Shri Valmiki Choudhary**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the broadcasting of the price Bulletins have been discontinued from the Delhi Station and other Stations of A. I. R. ;

(b) if so, the reasons therefor

(c) whether such Bulletins are again going to be broadcast with a view to keep a check on the prices of articles of daily use ; and

(d) if so, the decision taken in this regard ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)**: (a) Yes Sir ; since April, 1968.

(b) Government was doubtful about the utility of these broadcasts.

(c) and (d). No such proposal is under consideration for the present.

**पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सोने के आभूषणों का जब्त किया जाना**

2338. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कादियान (पंजाब) के स्वर्गीय गुरदयाल की विधवा श्रीमती लीलावती से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसके सोने के उन आभूषणों को वापस दिलाया जाये जिन्हें पाकिस्तान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1962 में उस समय जब्त कर लिया था जब वह खोकरामर अप्रवजन सीमा चौकी के रास्ते से होकर पाकिस्तान से वापस आ रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके आभूषणों की वापसी के लिये पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ इस मामले में बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बार-बार अनुस्मारक देते रहने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार से कोई अन्तिम उत्तर नहीं प्राप्त किया गया है ।

**टेलीविजन तथा रेडियो के लिये एशियाई समाचार अभिकरण**

2339. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने टेलीविजन और रेडियो के लिये एक एशियाई समाचार अभिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एशियाई देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हाल में हुए एशियाई प्रसारण संघ के सम्मेलन में और किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख). इस मास नई दिल्ली में हुए एशियाई प्रसारण संघ सम्मेलन में आकाशवाणी ने यह सुझाव दिया था कि टेलीविजन के लिए एशियाई समाचार अभिकरण स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक छोटी समिति गठित की जाये । परन्तु यह सुझाव सम्मेलन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

(ग) एशियाई प्रसारण संघ सम्मेलन का कार्यक्रम समिति में एशियाई रीजन के प्रसारण संगठनों के सामान्य रुचि के विविध मामलों पर विचार-विमर्श किया गया, जैसे एशियाई प्रसारण पर अन्तरिक्ष संचार का संभाव्य प्रभाव, बच्चों के लिए शौक्षणिक फिल्मों का संयुक्त निर्माण, कार्यक्रम और सूचना का विनिमय, कार्य प्रसारण, श्रोता अनुसंधान, परिवार नियोजन के लिए रेडियो और टेलीविजन का योगदान और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों एवं संस्कृतियों का पारसपारिक प्रशंसा का प्रसारण । एशियाई प्रसारण संघ सम्मेलन की इंजीनियरी समिति ने भाग लेने वाले देशों में रेडियो/टेलीविजन के क्षेत्र में टेकनालोजी सम्बन्धी विकास पर विचार किया और परस्पर रुचि की जानकारी का आदान-प्रदान किया, यूनेस्को की सहायता से कोला लामपुर में राजनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट को स्थापना, बीडियो/टेप्स/फिल्मी के विनिमय पर सिफारिशों जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई । समिति ने सेटेलाइट (satellite) प्रसारणों के टेकनोलोजी/आर्थिक पहलुओं पर डाटा एकत्र करने और उनका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

**पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये अल्प-संख्यक समुदायों को बसाने के लिये पाकिस्तान से राज्य क्षेत्र मांगना**

2340. **श्री एन० आर० दमानी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से देश का विभाजन हुआ है तब से अब तक क्या सरकार ने अथवा उसके प्रवक्ताओं ने पाकिस्तान सरकार को कभी यह सुझाव दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान का कुछ राज्य क्षेत्र भारत को दिया जाये ताकि पाकिस्तान से योजना बद्ध ढंग से निकाले गये अल्प-संख्यक समुदायों को उस भाग में बसाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कब दिया गया था और इस सुझाव पर बाद में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले लाखों करोड़ों शरणार्थियों के बसाने के भारी काम को देखते हुये इस प्रकार की मांग न करने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार दूसरे के प्रदेशों पर किसी तरह का दावा करने के खिलाफ है ।

**चलचित्र निर्माताओं द्वारा धोखा-धड़ी**

2341. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 14 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय चलचित्र निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों द्वारा सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की वाणिज्यिक सेवा के साथ सांठगांठ करके की गई कई लाख रुपये की धोखाधड़ी के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उन चित्र निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह धोखाधड़ी की है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) जी, नहीं । अभी जांच चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Hindi Cell in the Department of Atomic Energy**

2342. **Shri Nardeo Snatak** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Department of Atomic Energy have implemented the order of the Ministry of Home Affairs to the effect that there should be a Hindi cell attached with every Officer of the rank of Joint Secretary ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) and (b). The existing Hindi Cell in the Department, which is being suitably strengthened, is considered adequate for the present work-load.

**Use of Hindi in Department of Atomic Energy**

2343. **Shri Nar Deo Snatak** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the extent to which the Department of Atomic Energy has implemented the orders issued from time to time by the Central Government regarding the use of Hindi, on various subjects such as maintaining in Hindi the service books of Ciass IV employees working in Hindi speaking areas, printing of all types of forms in Hindi and preparing the seals of the officers in Hindi ;

(b) the orders which have not been implemented by the Department and the reasons therefor ; and

(c) the time by which all the aforesaid orders are likely to be implemented ?

**Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) to (c). The Department has a Hindi Cell and produces its Annual Report, Gazette Notifications, Budget and Treaties in Hindi. Hindi is also used in dealing with Parliament Questions as required.

Only two units of the Department are located in Hindi-speaking areas. Some Hindi boards and letter-heads have been introduced in the Branch Secretariat at Delhi. Steps are being taken to introduce the use of Hindi in the Kotah Unit.

The Department has no form of any interest to the general public.

It operates at a number of places in India, often with small units, with personnel transferable from one region to another. It deals mostly with subjects of scientific and highly technical nature in regard to which the immediate use of Hindi presents obvious difficulties. However, the use of Hindi is expected to be extended progressively.

**पाकिस्तान की मिजुओं को सहायता**

2344. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि सशस्त्र विद्रोहियों की सहायता

करने के लिए हाल में दो से अधिक बार पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार करके मिजो जिले में घुस आये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक विद्रोही मिजो नेता ने पूर्वी पाकिस्तान में चलने वाले एक विदेशी बैंक से बहुत बड़ी धनराशि निकाली थी और उसे वह धनराशि भारतीय मुद्रा में दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इसकी पुष्टि के लिए सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**शंधाई में कैद भारतीयों की रिहाई**

2345. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी अधिकारियों द्वारा शंधाई में कैद किये गये दो भारतीय राष्ट्रजन श्री माखन लाल दास तथा गुरदयाल सिंह लम्बी नजरबन्दी के बाद हाल ही में रिहा किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नजरबन्दी के क्या विशिष्ट कारण थे और उन्हें कितनी अवधि का कारावास दण्ड दिया गया था ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) श्री माखन लाल दास की नजरबन्दी का कथित कारण उन पर लगाया गया बलात्कार का आरोप है और उन्हें पांच वर्षों के लिए 29 अक्तूबर, 1967 से 28 अक्तूबर, 1968 तक बन्दी बनाया गया था । श्री गुरदयाल सिंह की नजरबन्दी का कथित कारण उनका चीन के सम्बन्ध में आसूचना एकत्र करना है । वे 16 सितम्बर. 1967 से 23 सितम्बर, 1968 तक नजरबन्द थे ।

**बेकार घोषित गोला बारूद**

2346. **श्री मुहम्मद यूसुफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7·62 गोला-बारूद की लाखों बेकार गोलियां किरकी तथा वारनगांव आयुध कारखानों में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी अधिक गोलियां बेकार घोषित की जाने का कारण यह है कि इनके निर्माण में त्रुटि रह गई थी, जिसकी ओर प्रबन्धकों को ध्यान देना चाहिये था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). रक्षा भण्डारों के उत्पादन में निरीक्षण के दौरान मदों को बेकार घोषित करना कोई असामान्य बात नहीं है और खास कर गोला-बारूद की मदों में तो इसका परिहार नहीं किया जा सकता। 7·62 गोली उत्पादन की नई मद है जिसके उत्पादन की व्यवस्था विभिन्न स्तरों में किया जा रहा है। जब नई मदों का उत्पादन किया जाता है तो अधिकतर तब तक की वे मदें काफी बड़ी संख्या में बेकार पड़ जाती हैं जब तक कि उनकी उत्पादन व्यवस्था पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। इस मामले में कुछ गोले बारूद की जांच की जा रही है और नई मद को देखते हुये संदिग्ध गोला बारूद की मात्रा असामान्य रूप से अधिक नहीं है। इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाये जा चुके हैं।

## बिहार में रेडियो सेटों के लिये बैटरियों की कमी

2347. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 अक्तूबर, 1968 को 'इण्डियन नेशन' (पटना) में, प्रकाशित हुये इस समाचार के आधार के बारे में पूछताछ की है कि, तिरहुट डिवीजन में बिहार सरकार के जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिये गये 1700 रेडियो सेट बैटरियां न होने के कारण बेकार पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## भूमिगत नागाओं द्वारा गठित नई पार्टी

2348. **श्री रा० कृ० सिंह** : **श्री शारदा नन्द** :
**श्री श्रीनिवास मिश्र** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं के एक प्रभावशाली वर्ग ने एक नया दल तथा नई सरकार बनाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नया दल भारत सरकार के साथ बातचीत करने के पक्ष में है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री को इस नये दल से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पुनः वार्ता आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख). 1 नवम्बर, 1968 को सताखा में श्री कुघातो सुखई के नेतृत्व में छिपे नागाओं के जिस दल की बैठक हुई थी उसमें एक वक्तव्य जारी करके म्हेश्यू के नेतृत्व में छिपे नागाओं के फिजो समर्थक दल की व्यवस्था को और स्वर्गीय काइतो द्वारा स्थापित व्यवस्था को खत्म करके कुघातो सुखई की अध्यक्षता में "काउंसिल आफ नागा पीपुल" (नागाजन परिषद्) नाम की एक नई पार्टी की स्थापना की और छिपे नागाओं की तथाकथित "क्रांतिकारी सरकार" नामक व्यवस्था की घोषणा की थी। इस नई पार्टी के नेताओं ने घोषणा की कि नागा राजनीतिक समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान खोजने के लिये वे भारत सरकार से बातचीत फिर शुरू करने के पक्ष में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नागालैण्ड की सरकार राज्य की कानून के अनुसार गठित सरकार है और नागालैण्ड के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार भी नागालैण्ड के विभिन्न मतों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने को तैयार हैं बशर्ते कि नागालैण्ड के बारे में इस बुनियादी स्थिति को स्वीकार किया जाये कि वह भारत संघ का एक अंग है और गैर-कानूनी कार्रवाइयां बन्द कर दी जायें खास तौर से विदेशों से हथियार और गोला-बारूद का आयात।

## योजना के लिये पंचायत को एकक मानना

2349. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजना के लिये पंचायत को इकाई मानने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख). यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि सम्बद्ध दशाओं को ध्यान में रखते हुये वे क्षेत्रीय आयोजन के लिये एकाई का निश्चय कर लें।

## नेपाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास

2350. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विराट नगर (नेपाल) और रक्सौल में सरकार वाणिज्य दूतावास का कार्यालय खोल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नेपाल में इस समय यदि कोई ऐसे कार्यालय हैं तो कितने ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग). प्राप्तकर्ता देश की सलाह से विराट नगर और बीरगंज (रक्सौल में नहीं जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है वह तो भारत में ही है) में कोंसलावास खोलने के लिये जांच की जा रही है ।

## रोमांचकारी समाचार-पत्र

2351. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और अमरीका की तरह भारत में भी रोमांचकारी समाचार-पत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इसमें कितनी सफलता मिली है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) जी, हां । ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं जो पत्रकारिता नैतिकता के स्वीकृत स्तर के अनुरूप नहीं होतीं ।

(ख) जब ऐसी पत्रिकाएं अश्लीलता आदि सम्बन्धी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करती हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाती है तथापि, कुछ ऐसी भी पत्रिकाएं हैं जो कानून की दृष्टि से ज्यादा शरारती तो न हों, पर स्वीकृत पत्रकारिता नैतिकता के अनुरूप नहीं होतीं । भारतीय प्रेस परिषद् का एक कार्य इस प्रकार की पत्रिकाओं के विरुद्ध शिकायतें लेना और उन पर निर्णय करना है । अक्तूबर, 1968 तक प्रेस परिषद् ने "रोमांचकारी पत्रकारिता" से सम्बन्धित 9 शिकायतों पर विचार किया । परिषद् ने तीन शिकायतें ठीक समझीं और सम्बन्धित सम्पादकों की निन्दा की ।

## Condition of Gurudwaras in Pakistan

2352. **Shri Ram Avtar Sharma :**
**Shri Chengalraya Naidu :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the poor condition of Gurudwaras in Pakistan ;

(b) if so, whether Government have drawn the attention of Pakistan Government towards this; and

(c) if the reply to parts (a) and (b). above be in the affirmative, the reaction of Pakistan Government thereto ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)**: (a) and (b). Yer, Sir.

(c) The response of the Government of Pakistan has not been encouraging. They contended that the Gurdwaras in Pakistan are being maintained properly. However, the Government are persisting in their effort to have proper arrangements made for the upkeep of the Gurdwaras in Pakistan.

**Film Studio at Ghaziabad**

2353. **Shri Ram Avtar Sharma :**
**Shri D. Basumatari :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have granted liberal loans up to nearly Rs. 32 lakh and land at very cheap rates to film producers and industrialists for setting up a film studio near Ghaziabad (U. P.);

(b) the names of such producers and industrialists; and

(c) the terms at which such loans were granted?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) to (c). A statement indicating information received from the Government of U. P. is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2348/68]**

**Renting of a House by Department of Defence Production at Calcutta**

2354. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Defence Production have rented house No. 44, Park Street, Calcutta on six and a half lakhs of rupees annually;

(b) whether the Deputy Financial Adviser, Ministry of Finance has raised an objection in regard thereto; and

(c) if so, whether any action has been taken by Government to get the amount of rent reduced?

**The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra)**: (a) Yes, Sir. The building No. 44 Park Street, Calcutta has been hired at a monthly rental of Rs. 54,590/-.

(b) The Government sanction was issued after obtaining the concurrence of Ministry of Finance (Defence).

(c) The rate of rent and the assessed monthly rent were considered reasonable by the Land Acquitision Collector, Calcutta and the Military Estate Officer, respectively.

**Hill District of U. P.**

2355. **Shri J. B. S. Bist:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the discontentment among the people of all the eight hill districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government are preparing any scheme to remove such discontentment;

(c) whether Government are contemplating any immediate steps to grant more powers to the recently constituted Hill Development Council;

(d) if so, the nature thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):** (a) and (b). Presumably, the Hon. Member is referring to the desire for faster development of the hill districts and for larger allocations. Government sympathise with this desire and are themselves anxious to provide for the quickest possible pace of development which available resources and priorities may permit.

(c) to (e). The Hill Development Board is an Advisory Body and its recommendations are given due consideration by the State Government in the formulation and execution of the developmental plans of the hill districts. No difficulties have been experienced in the working of the Board; however, if any are brought to Government's notice they will be duly considered.

**Admission of N. C. C. Cadets to the I. M. A.**

2356. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the cadets having 'C' certificate of Senior Division N. C. C. are given preference and special concessions for admission to the Indian Military Academy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the particulars of concessions given to them in respect of age, education and qualifications?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna):** (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

**प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने में लिये योजना आयोग में एक अलग विभाग तथा अलग एक मंत्रालय**

2357. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखा, बाढ़ तथा चक्रवातों जैसी व्यापक प्राकृतिक आपत्तियों के स्थायी रूप से बने रहने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति का कुशलतापूर्वक

सामना करने के लिए योजना आयोग में एक अलग विभाग तथा एक अलग मंत्रालय बनाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में स्थायी रूप से क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख). आपाद्कालीन सहायता संगठन योजना पर कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय में पहले ही एक छोटा संगठन है। यह संगठन इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

**आकाशवाणी से 'वीर रस' कार्यक्रम को आरम्भ करना**

2358. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'जयमाला' आदि की तरह 'वीर रस' कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कार्यक्रम कब से आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिये कितना समय नियत किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**भारत तथा नेपाल के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता**

2359. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में भारत तथा नेपाल के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के दौरान किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किये जाने की संभावना हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) काठमांडू में 15 से 19 नवम्बर 1968 तक भारत सरकार और नेपाल के महामहिम की सरकार के बीच मंत्रिस्तर पर बातचीत हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बलिराम भगत ने किया था और नेपाली प्रतिनिधि-मंडल का नेपाल के महामहिम की सरकार में वाणिज्य, उद्योग और वित्त मंत्री, श्री सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत ने।

(ख) 19 नवम्बर, 1968 को सदन की मेज़ पर उन विषयों का एक विवरण रखा गया था जिस पर इस बातचीत में विचार-विमर्श किया गया था और जो निर्णय इसमें लिए गए थे।

**तैवान का शिष्टमंडल**

2360. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
**श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री अदिचन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1868 में तैवान का एक शिष्टमंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि साम्यवादी चीन सरकार ने इस शिष्टमंडल की भारत यात्रा पर आपत्ति करते हुए भारत सरकार को एक विरोध पत्र भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो चीन द्वारा भेजे गये विरोध पत्र का ब्योरा क्या है; और इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने चीन सरकार को क्या उत्तर भेजा है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) ताईवान के तीन लोग सितम्बर 1968 में निजी यात्रा पर भारत आए थे।

(ख) जी हां।

(ग) इनकी यात्रा का उद्धरण देते हुए चीनी विरोध-पत्र में भारत पर आरोप लगाया गया है कि वह संयुक्त राज्य अमरीका के 'दो चीन का षड़यंत्र' में सहयोग दे रहा है। चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने के प्रश्न पर भारत सरकार का रवैया और भारतीय कानून के अनुरूप ताईवान के लोगों की निजी और गैर-सरकारी यात्राओं के लिए अनुमति देने के बारे में हमारी नीति चीन सरकार को पहले कई मौकों पर बहुत साफ तौर पर बताई जा चुकी है। चीनी नोट का समुचित उत्तर यथा समय भेज दिया जाएगा।

**Resolution Passed by African Student's Union Re. Recruitment of Goan Youths in the Portuguese Army**

2361. **Shri S. M. Joshi:**
**Shri George Fernandes:**
**Shri Srinibas Misra:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolution passed in the annual session of the African Students' Union inaugurated by the Deputy Speaker of Maharashtra Vidhan Sabha in Poona that the Goan Youths are being recruited in the Portuguese army with the help of the Brazil Embassy in Delhi to oppress the freedom-lovers in Africa ;

(b) if so, whether Government have ascertained the facts in this regard ; and

(c) if so, the details thereof and the steps being taken by Government to check such activities by foreign Embassies ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):** (a) Yes, Sir, the Government are aware of the resolution passed by the African Students' Association (India) at their annual session in Poona.

(b) Yes, Sir.

(c) The Brazilian Embassy in New Delhi have informed us that as a protecting power for Portuguese interests in India, they have been issuing Portuguese passports to persons of Goan origin at their request. But, there is no information with us that these persons are being recruited in the Portuguese Army to fight freedom-fighters in Africa.

We have, however, asked the Brazilian Embassy not to issue Portuguese passports to Indian citizens residing in Goa without consulting us.

## पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन

2363. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन करने के प्रश्न के बारे में हाल ही में ढाका में भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां। 9 और 10 नवम्बर 1968 को ढाका में एक सम्मेलन हूआ था।

(ख) इस सम्मेलन में आगामी क्षेत्र कार्य मौसम के दौरान पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के खास-खास भागों के सीमांकन कार्य करने के कार्यक्रम पर सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत ये बातें शामिल है :

(1) भाड़सिंहेश्वर क्षेत्र में और खम्भे गाड़ना।

(2) चिलहाटी मौजा की पश्चिमी सीमा का अंकन।

(3) उच्चतम न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का निषेधाधिकार खत्म कर देने पर बेरूबाड़ी संघ में सीमाकन का कार्य प्रारम्भ करना।

(4) 4 दिसम्बर 1968 से बागे विवाद I और II के अंतर्गत, गंगा के साथ-साथ नदी सीमा के मौसमी सीमांकन का प्रारम्भ।

**विकास दर**

2364. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विकास दर निश्चित करने के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व संसद के विचार जानने के लिये योजना आयोग की कार्यवाही की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) चौथी योजना के प्रारूप को जैसे ही अन्तिम रूप दिया जायेगा वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

**भूमिगत नागाओं का नया प्रधान**

2365. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
**श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री शारदानन्द :**
**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तातार हो-हो (भूमिगत नागा संसद) के 'अध्यक्ष' नये विद्रोही नागा प्रमुख श्री कुम्बेमो मुर्री ने एक वर्ष पूर्व तब तक के लिये भूमिगत 'प्रेजीडेंट' की शक्तियां ग्रहण की थीं, जब तक कि श्री महेसियु कैतो गुट के कब्जे में रहेगा और उसने 'आपातकालीन' स्थिति घोषित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उसकी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग). अपने नेता, म्हेश्यू के लापता हो जाने के बाद, चुम्बेमो ने अपने आपको छिपे नागाओं की व्यवस्था का कार्यकारी 'अध्यक्ष' घोषित कर दिया है और नागालैंड में तथा-कथित 'आपाती स्थिति' की घोषणा कर दी है । उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा है कि 'स्थिति को सामान्य' बनाने के लिए वे आवश्यक उपाय करें । बताया जाता है कि ये घटनाएं छिपे नागाओं की आपसी फूट का परिणाम हैं । स्थिति पर निगाह रखी जा रही है ।

**एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी**

2367. **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1968 को भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधि-

कारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला था और अपनी कठिनाइयों के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने उनकी मांगों कोसहानुभूतिपूर्वक सुना था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और प्रधान मंत्री उनसे कहां तक सहमत थीं और उन्होंने उनकी कितनी मांगों को स्वीकार किया था ?

**प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) उनकी प्रमुख मांगे इस प्रकार थीं : आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को अब आगे से निर्मुक्त न किया जाय ; उनके लिए कुछ पदों को सुरक्षित रखा जाय ; विश्वविद्यालय विशेष अल्पकालिक कोर्स चलाए जिससे कि आपाती कमीशन प्राप्त अफसर अपनी शैक्षिक योग्यता तथा तकनीकी शिक्षा को पूरा कर सके या उनमें और प्रवीणता प्राप्त कर सकें ; स्वयं किसी व्यवसाय, कृषि कार्य या उद्योग में लगने की इच्छा रखने वाले ऐसे अफसरों को मुक्त आर्थिक सहायता दी जाए, और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये उन्हें आयु, शैक्षिक योग्यता और भाषायी प्रतिबन्धों से सम्बन्धित शर्तों में रियायत दी जाय, इन सभी भागों पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है ।

**बाढ़ द्वारा एक महिला को पूर्वी पाकिस्तान बहा ले जाना**

2368. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :** **श्री कंवर लाल गुप्त**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री हेम बरुआ :**
**श्री समर गुह :** **श्रीमती शारदा मुकर्जी**
**श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि उत्तरी बंगाल में पिछली बाढ़ में श्रीमती गीता बागची को, जो एक भारतीय डाक्टर की पत्नी हैं, जलढाका पुलिस स्टेशन में सिद्धेश्वरी गोपालकर गांव से बहाकर पूर्व पाकिस्तान में रंगपुर गांव में ले गई है ;

(ख) क्या उसे पाकिस्तान से भारत वापस लाने के लिये कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग). सरकार को 6 नवम्बर, 1968 को जो रिपोर्ट मिली थी इससे यह संकेत मिलता है कि श्रीमती गीता बागची पिछले दिनों उत्तर बंगाल की बाढ़ में बहकर पूर्व पाकिस्तान में पहुंच गई थी और वे गांव सिद्धेश्वरी-गोपालकर, थाना, जलढाका, जिला, रंगपुर (पूर्व पाकिस्तान) में एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक के यहां आश्रम लिए हुए हैं । जब पूर्व पाकिस्तान

सरकार से इस बारे में कहा गया तो पूछताछ करने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि इस पते पर श्रीमती गीता बागची का पता नहीं चल सका।

बाद की अखबारों की खबरों के अनुसार श्रीमती बागची को गोलुम्दा, थाना जलढाका, जिला, रंगपुर, पूर्व पाकिस्तान, में यूनियन बोर्ड के चेयरमैन, श्री सुलेमान ने अपने यहां प्रथम दे रखा है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के उप हाई कमिश्नर, ढाका, से तत्काल निवेदन किया गया कि वे पूर्व पाकिस्तान सरकार से फिर कहें और फौरन उनकी (श्रीमती गीता बागची की) भारत वापसी का प्रबंध करें। अब हम ढाका से इस बारे में जवाब आने का इंतजार कर रहे हैं।

इस मामले में अखबारों की ताजा सूचनाओं से पश्चिम बंगाल सरकार को भी अवगत करा दिया गया है कि अगर वे सीमा अधिकारियों के जरिए कुछ सहायता कर सकते हों तो करें।

**मणीपुर के लिये युद्ध प्रतिकर**

2369. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत महायुद्ध के कारण हुई क्षति के लिये सरकार ने मणीपुर के लिये युद्ध प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की है ;

(ख) मणीपुर में दावेदारों को ऐसे प्रतिकर की कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) क्या न्यायालयों में ऐसा कोई दावा विचाराधीन है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). 1946-47 से लगभग 2,98,00,000 रुपये मंजूर किये गये और वितरित किये गये।

(ग) इम्फाल, मणीपुर में मुन्सिफ के न्यायालय में कोई दावा विचाराधीन नहीं है।

**देहरादून स्थित राष्ट्रीय इन्डियन मिलिटरी कालेज में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी कैडेट**

2371. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इंडियन मिलटरी कालेज, देहरादून में इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी कैडेटों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 के लिये योग्यता तथा वित्तीय साधनों के आधार पर जिन विद्यार्थी कैडेटों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनकी सूची क्या है ; और

(ग) यदि उपयोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उक्त छात्रवृत्तियों की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण)** : (क) जी हां।

(ख) (1) कैडेट वी के जैसानी।

(2) कैडेट ए के रक्सेना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत में रेडियो सेट**

2372. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष देश में कुल कितने रेडियो सेट कार्य कर रहे थे और उनका मूल्य अनुमानतः कितना था; और

(ख) रेडियो सेट निर्माण उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई है और उसकी वार्षिक क्षमता क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) देश में प्रयुक्त होने वाले रेडियो सेटों का एकमात्र अधिकृत रिकार्ड उनके लाइसेंसों की संख्या ही है। 31 दिसम्बर 1967 को यह संख्या 75,79,468 थी। इन सेटों की अनुमानित कीमत 190 करोड़ रुपये हैं।

(ख) सुयोजित क्षेत्र में लाइसेंस शुदा वार्षिक क्षमता 18 लाख सेटों के उत्पादन की है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिये इतनी ही संख्या सुरक्षित की गई है। चूंकि, रेडियो रिसीवर सेटों के निर्माताओं की अधिकतर संख्या लघु उद्योग क्षेत्र में ही है, अतः इस मद पर लगी राशि के संबंध में सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्तमान स्थापित क्षमता के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह राशि लगभग 6-7 करोड़ रुपये की होगी।

**Per Capita Income in Bastar and Surguja Districts of M. P.**

2373. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the per capita income in Bastar and Surguja Districts of Madhya Pradesh in the years 1966-67 and 1967-68 ;

(b) whether the said income was more or less than the national per capita income ; and

(c) whether it is a fact that the per capita income in the said districts during the above two years was far less than the National per capita income ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) to (c). Estimates of per capita income are prepared by the Statistical Bureaux of the Statistical Bureaux of the States for the state as a whole, and not district-wise. It is, therefore, not possible to compare the per capita income at the national level with the per capita income of the two districts mentioned.

**"Jhuk Gaya Aasman" Film**

2374. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Information and Braodcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that abuses have been frequently made use of in the film "Jhuk Gaya Aasman" ;

(b) whether Government have received some complaints in regard to this film ; and

(c) if so, the action taken against the persons responsible for approving the film for exhibition and the reasons for which the fact that the film is full of abuses was ignored while giving the approval for the exhibition thereof?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):** (a) No abuse which can be regarded as objectionable from the point of view of censorship, have been passed in the film "Jhuk Gaya Aasman".

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Release of Films**

2375. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films approved for exhibition by the Indian Board of Film Censors during the last six months, the names of those films and the names and addresses of the producers of these films ;

(b) whether the said Board has not accorded approval in the case of some films and if so, the names of those films ;

(c) the names of films where no cut at all was applied by the Censor Board ; and

(d) the reasons separately in the case of films where cuts were applied ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

**आजाद हिन्द फौज का रजत जयन्ती समारोह**

2376. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि नेताजी द्वारा अस्थायी सरकार बनाने और आजाद हिन्द फौज की रजत जयन्ती के अवसर पर 21 अक्तूबर, 1968 को दिल्ली स्टेशन से इस विषय पर कोई वार्ता अथवा चर्चा प्रसारित नहीं की गयी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**आकाशवाणी पत्रिका में गलती**

2377. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आकाशवाणी' के नवम्बर, 10-16, 1968 के अंक में यह

कहा गया था कि 14 नवम्बर, 1968 को 9-30 रात्रि को डा० राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर एक प्रसारण होगा जबकि वास्तव में इस तिथि को डा० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म दिवस न होकर श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है; और

(ख) यदि हां, तो यह गलती कैसे हुई और इस गलती से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय में पूछ ताछ की जा रही है और इसके पूरा होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाई की जाएगी ।

**बेरुबाड़ी का सीमांकन**

2378. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुबाड़ी का सीमांकन-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्री सुधांशु मजूमदार और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अर्जी पर कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 1968 को निर्णय किया था जिसका निष्कर्शांश इस प्रकार है :

> "परमादेश के रूप में एक आदेश जारी करके प्रतिवादियों को संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960, के खण्ड (2) (क) के अर्थ की परिधि में 'नियत दिन' (अपोइन्टेड डे) घोषित करने से और बेरुबाड़ी संघ संख्या 12 का पाकिस्तान को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उक्त संघ को सीमांकित करने के लिये स्तम्भों का निर्माण करने से तब तक के लिये रोका जाए जब तक समुचित विधानांग द्वारा ऐसा कानून पास न कर दिया जाय जिसमें अर्जीदारों को उनके विवादग्रस्त प्रदेशों के बारे में मुआवजा देने की व्यवस्था हो ।"

इस निर्णय के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है जिस पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है ।

**सोवियत संघ के नक्शों में काश्मीर**

2379. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ द्वारा प्रकाशित नवीनतम नक्शे में जम्मू और

काश्मीर के पाकिस्तानी अधिकृत समस्त क्षेत्र को भारत का भाग दिखाया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र के मुख्यालय मुज्जफराबाद और मीरपुर को भी भारत में दिखाया गया है; और

(ग) क्या गिलगिट, हुन्जो और स्कर्ड को भारतीय अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग). हुंजा के एक हिस्से को छोड़कर जो कि चीन का हिस्सा दिखलाया गया है, पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर भारत का ही अंग दिखाया गया है। चीन भारत की सीमा के सही रेखांकन पद पर सोवियत समाजवादी संघीय गणराज्य की सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

---

## ध्यान दिलाने की सूचनाओं (प्रक्रिया) के बारे में

## Re : CALLING ATTENTION NOTICES (PROCEDURE)

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने की सूचना के विचारार्थ लेने के पहले, मैं उस प्रक्रिया को बताना चाहूंगा जिसका मैं पालन करता आ रहा हूं। कभी-कभी मुझे 30 से 40 तक ध्यान दिलाने की सूचनायें मिल जाती हैं जिसमें से मुझे केवल एक सूचना स्वीकार करनी पड़ती है।

**Shri Madhu Limaye (Monghyr)** : The Rules provide for two. You can accept two, but don't.

**अध्यक्ष महोदय** : होता यह है कि 8 या 10 दिन के बाद ध्यान दिलाने की कुछ सूचनाओं को अस्वीकार करने के बाद इसी प्रकार की ध्यान दिलाने वाली सूचनायें फिर आ सकती हैं और यदि वे महत्वपूर्ण हों तो उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है, दो माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। मैंने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पहिले किसी दिन किसी ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार नहीं किया गया और यदि उसको कुछ दिन के बाद स्वीकार किया गया तो उन लोगों के नाम भी, जिनकी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें पहले अस्वीकार की गई थीं, अन्य सदस्यों के नामों के साथ जोड़ दी जायेंगी और उसके बाद बैलट होगा। अत: अब कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि उन सूचनाओं की विषय वस्तु में कुछ अन्तर होगा, तो इसका निर्णय कार्यालय करेगा।

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर)** मेरा निवेदन यह है कि प्राथमिकता पहिले दिये गये नामों को दी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्राथमिकता देने की कोई बात नहीं है, सभी नामों का बैलट किया जाता है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

**श्री बलराज मधोक** : (दक्षिण दिल्ली) आज केवल तीन नाम हैं। क्या आप हमें मौका दे रहे हैं।

**Shri P. L. Barupal** (Ganga nagar): You have remarked that the important issues are given preference over others. I donot understand the meaning of important matters. I had given a Calling Attention Notice which was in connection with the death of 22 persons in the camps in Bikaner District in Rajasthan a week ago. Is it not a important matter ? I had given news paper cutting also about this and I had also received a telegram.

**अध्यक्ष महोदय :** राजस्थान के अकाल का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह मामला ध्यान दिलाने की सूचना का नहीं है। मैंने आज सायंकाल को इस विषय पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेंगे।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्तियों की नीलामी

**श्री बे० कृ० दास चौधरी** (कूच बिहार) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा उन भारतीय नागरिकों की सम्पत्तियां, जो विभाजन के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये, शत्रु सम्पत्तियों के रूप में नीलाम किये जाने और पाकिस्तान द्वारा प्रीमियर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया की आस्तियां अपने कब्जे में ले लिये जाने का कथित समाचार।"

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान और उसके फौरन बाद पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में पहिले भारत आये व्यक्तियों की सम्पत्तियों सहित पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया और उनको शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया।

जनवरी 1966 में हस्ताक्षरित ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हो गये थे, कि वे :

"संघर्ष के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति और आस्तियों की वापसी के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।"

भारत ने इसके तत्काल बाद दोनों पक्षों द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों और अस्तियों को लौटाने के विषय पर चर्चा करने के लिये अपनी सहमति प्रगट की। परन्तु पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में 1967 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में निवासी अल्पसंख्यकों की अनेक सम्पत्तियों पर बलात कब्जा कर लिया और इनको भी शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया।

अक्तूबर, 1968 में इस बात की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान सरकार 1965 के संघर्ष के दौरान और उसके बाद जब्त की गई कुछ सम्पत्तियों को नीलाम के द्वारा बेंच रही है।

भारत सरकार 1966 से लगातार इस प्रश्न के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करती आ रही है। सरकार ताशकन्द घोषणा के संगत उपबन्ध की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाती आ रही है और एक दूसरे को जब्त की गई आस्तियों और सम्पत्तियों की वापसी के बारे में चर्चा करने पर जोर दे रही है। हम जब्त की गई नई सम्पत्तियों तथा उनको बिक्री के विरुद्ध भी विरोध प्रगट करते आ रहे हैं। हमने यह बताया है कि उनकी यह कार्यवाही मनमानी है और अन्तर्गतीय कानून और प्रथा के विपरीत है तथा यह ताशकन्द घोषणा का घोर उल्लंघन है।

नीलाम की जाने वाली कोई भी सम्पत्ति खराब होने वाली नहीं है, और न ही पाकिस्तान सरकार ने हमें यह बताया है कि इनमें से कुछ माल खराब हो रहा है। इन मामलों में भी निपटारा दोनों सरकारों के बीच सहमति से होना चाहिये और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सम्पत्ति मामूली कीमत पर न बेची जाय और उसकी बिक्री की कीमत सरकार के पास जमा की जानी चाहिए और सम्पत्तियों और आस्तियों की वापसी के समय इसके हिसाब में लग जाना चाहिये।

हमने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम उस अधिकार को मान्यता नहीं देंगे जिसकी पाकिस्तान अथवा कोई और पक्ष नीलामी अथवा किसी अन्य साधन से इस प्रकार की गैरकानूनी बिक्री से मांग करे।

अभी तक पाकिस्तान सरकार से इस प्रश्न पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

जहां तक पाकिस्तान द्वारा प्रीमियर इन्श्योरेंश कम्पनी आफ इण्डिया की आस्तियों को अपने कब्जे में लेने का सम्बन्ध है, सरकार ने कल के समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखें हैं और वह पूरे तथ्य मालूम करने के बाद इस बारे में कारवाई का निर्णय करेगी।

**श्री बे० कृ० दास चौधरी :** श्रीमन्, माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार की कठोर नीति के सामने कितनी विवश है। पाकिस्तान सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करके मनमाने तरीके से सम्पत्तियों को अर्जित कर रही है और उनका निपटारा कर रही है। यह बात ताशकन्द घोषणा के विपरीत है। इस सब का कारण भारत सरकार की कमजोर नीति है। सरकार ने 3 अप्रैल, 1964 को इस सभा में पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्देशित करने के बारे में एक संकल्प पारित किया था। पता नहीं इस संकल्प को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं।

पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले 80 लाख अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। फिर भी सरकार कहती है कि वह पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रही है और पाकिस्तान सरकार

कोई भी उत्तर नहीं दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विरोध पत्र भेजने की बजाय कोई कड़ी कार्यवाही करेगी। मेरा अभिप्राय यह है कि क्या सरकार हस्तक्षेप का तरीका अपनायेगी जैसा कि विश्व के अन्य देशों में किया गया है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से ली गई और नष्ट हुई सम्पत्तियों के बारे में भारतीय नागरिकों को कोई मुआवजा दिया जायेगा।

तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले 80 लाख अल्पसंख्यकों की जान और माल की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

**श्री ब० रा० भगत :** मैं माननीय सदस्य के विचारों का स्वागत करता हूं। परन्तु यदि हम पाकिस्तान के साथ कुछ समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं, तो वे इसको हमारी कमजोरी न समझें। पता नहीं माननीय सदस्य का कड़ी कार्यवाही से क्या मतलब है।

पाकिस्तान इस बात का लाभ उठा रहा है कि उसने हमसे चार गुना अधिक भारतीय सम्पत्तियों को जब्त किया है। यदि हम कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही करते हैं, तो वह पाकिस्तान के लाभ में होगी और इसके साथ साथ यह दोनों देशों के बीच हुये करार और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भी विपरीत होगी।

जहां तक पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है यह सच है कि उनका जीवन हर समय खतरे में है। नेहरू-लियाकत करार के अन्तर्गत दोनों देशों में अल्प-संख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है, परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। हमारा इरादा तो यह रहता है कि समस्त विवादों का हल दोनों सरकारों के बीच हुए करार के सिद्धान्तों और दोनों देशों की घोषणा के अनुसार होना चाहिये। दूसरे कोई भी समस्या उस समय हल की जा सकती है जब कि दोनों देशों की सरकारों के आपसी सम्बन्ध अच्छे हों और विश्वास का वातावरण तैयार किया जाय।

**Shri George Fernandes** (Bombay-South) : It is a matter of great astonishment that a Government having such wide powers depends on newspapers for information such as the seizure of assets of the Premier Insurance Company of India by Government of Pakistan. From this statement, it also appears that during Indo-Pak conflict, in 1965, Pakistan had seized properties of minorites in Pakistan and after Tashkent Agreement also, the Pakistan Government seized many properties of minorites in East Pakistan while the Hon. Minister said that we should settle these matters through negotiations and according to the principles of different Pacts and Tashkent Declaration. When it is clear that Pakistan Government is not at all prepared for negotiations and the Government itself admits that there has been flagrant violation of international law, why it is not prepared to refer this matter to International Court of Justice.

Recently, Shri Pulin Dey, member of East Pakistan Assembly has come to India after leaving his entire property there. He had met the Prime Minister. Did Shri Pulin Dey give some information to the Prime Minister about the condition of minorites there ? If so, what action Government is going to take on it ?

**Shri B. R. Bhagat :** We will consider the suggestion of Hon. Member of refering the case to the International Court of Justice. Regarding the information given by Shri Dey, nothing can be said without proper consideration over the matter.

**Shri George Fernandes :** How long the consideration would go on ? The Hon. Prime Minister should reply to it. The information is being called for from him.

**Shri B. R. Bhagat :** The information given by Shri Dey is being ascertained from our High Commissioner in Pakistan. His views have been sought. After taking into consideration all the aspects, necessary action will be taken.

**Shri Balraj Madhok :** It is a very important question and I would request the Hon. Prime Minister to give an authentic reply to it. The different agreements entered into between India and Pakistan should be adhered to by both the countries. These agreements are not one-sided when Pakistan Government is not responding to these agreements, which is binding upon it, why our Government is not adopting the same attitude. The Pakistan Government has been disposing of properties in Pakistan, which is more than 4 times than that in India and our Government is doing nothing in this respect. Would Government compensate those persons, whose properties are being disposed of by Pakistan, by auctioning the properties of those people who have migrated to West Pakistan or East Pakistan.

When Pakistan is not prepared to implement old agreements, is there any justification for starting talks on any fresh matter with them ? Are Government going to enter into talks with them only when they are prepared to carryout the old agreement on their side ?

In case this issue to be taken to the International Court, will Government take steps to counter act the Pakistani propaganda through our embassies abroad ?

When Pakistan is not prepared to have talks on any agreement can the climate be improved with Pakistan ? In such circumstances is it justified to adopt any conciliatory attitude towards a hostile country ? I want answers to all these questions.

**Shri B. R. Bhagat :** It is correct that the present environment with Pakistan is not good. It is in the interest of Pakistan and India both to improve this environment. Therefore we have suggested to Pakistan to settle all our problems through negotiations. If Pakistan has not implemented properly any agreement during the past days, it is not proper not to start any talks with them on that very basis. Our policy is to settle such disputes whenever such an opportunity arises.

So far as the question of paying compensation by selling the properties left by Muslims in India is concerned, it is not to our advantage as well as against principle. Pakistan is ready to accept this position as the properties left by Indians there are much more.

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### 'एप्रोच टु दी फोर्थ फाइव इयर प्लान' आंकड़ा-संग्रह (केन्द्रीय संशोधन नियम)

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) 'एप्रोच टु दी फाईव ईयर प्लान' की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 2333/68]

(2) आंकड़ा-संग्रह अधिनियम, 1953 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आंकड़ा-संग्रह (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2967 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 2334/68]

## सदस्य का जेल से स्थानान्तरण और रिहाई
## TRANSFER FROM JAIL AND RELEASE OF MEMBER

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली, के अधीक्षक से प्राप्त क्रमशः दिनांक 25 और 26 नवम्बर, 1968 के दो पत्रों की सूचना सभा को देता हूं जिसमें बताया गया कि :—

(1) "लोक-सभा के सदस्य श्री मधु लिमये को सेंट्रल जेल, पटना, से स्थानान्तरित करके 23 नवम्बर, 1968 को सेंट्रल जेल, नई दिल्ली, में लाया गया था और उन्हें 25 नवम्बर, 1968 को भारत के उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, के समक्ष पेश किया जायेगा । मध्यान्तरिक अभिरक्षा के वारंट (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344) क पीछे सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सदर, मुंगेर के न्यायालय द्वारा लिखे गये दिनांक 20 नवम्बर, 1968 के पृष्ठांकन की अनुक्रिया में सदस्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107-117(3) के अन्तर्गत मामले में 28 नवम्बर, 1968 को उक्त न्यायालय के समक्ष भी पेश किया जायेगा । "

(2) "श्री मधु लिमये को भारत के उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, के समक्ष 25 नवम्बर, 1968 को पेश किया गया और उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा उसी दिन रिहा कर दिया गया । "

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : आपने कहा है कि ये सूचनाएं सेंट्रल जेल, नई दिल्ली के अधीक्षक से प्राप्त हुई हैं और इनमें कहा गया है कि 23 नवम्बर 1968 को श्री मधु लिमये को उस जेल में लाया गया था । आज 27 नवम्बर है । इस तरह की सूचना तो आपको तुरन्त भेजी जानी चाहिये । इतनी देरी क्यों हुई ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कहा गया है कि स्थानांतरण 23 नवम्बर को किया गया । हमें यह पता लगाना होगा कि वे मुंगेर से यहां कब पहुंचे ।

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### चालिसवां प्रतिवेदन

**श्री खाडिलकर** (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी
## INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—Contd.

**अध्यक्ष महोदय :** अब इस पर खण्डवार विचार किया जायगा । इसको यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिये क्योंकि निश्चित से अधिक समय लिया जा चुका है ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : देश के सभी श्रमिकों के संदर्भ में हम भी श्रमिकों से सहानुभूति रखते हैं । श्रमिकों का समर्थन करने वाले दलों को इस बात को ध्यान में रखकर कोई बात करनी चाहिये ।

मेरे दूसरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि धरना देने तथा अन्य प्रकार की सत्याग्रह के उपबन्ध को गाड़ियों के चलने में बाधा डालने वालों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये अपितु उनको भी इसके अन्तर्गत लाना चाहिये जो किसी भी सुविधा के जनता द्वारा प्रयोग के मार्ग में बाधा डालते हैं ।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

इस उपबन्ध को प्रत्येक रेल कर्मचारी पर लागू किया जाना चाहिये ।

मैं श्रमिकों के किसीवर्ग विशेष का समर्थक न हो कर देश के सभी श्रमिकों का हितैषी हूं । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur) : The Indian Railways Act of 1890 is very old and it should be amended in the light of the changed circumstances. Though it has been amended many times but it still requires changes so that the difficulties of the railway employees may be solved or the obstacles in the way of the functioning of railways may be removed.

In this very context I have suggested that the punishment should be extended from 2 to 5 years and the fine from Rs. 500 to Rs. 1,000. I hope the Hon. Minister will accept my amendment.

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर सात मिनट पर पुन: समवेत हुई**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock**

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair ]

## जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में
## RE : STRIKE BY L. I. C. EMPLOYEES

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि श्रम मंत्री बीमा कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप उन्हें इस बारे में यहां पर कल वक्तव्य देने के लिये कहें बाद में हम यह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं कि कुछ नहीं किया जा सका ।

**श्री श्रीचन्द गोयल** (चण्डीगढ़) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सरकार यह तर्क देने की आदी हो गई है कि राजनीतिज्ञों का इसमें हाथ है । यहां पर आम राय यह है कि श्रम मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें ताकि हमें पता लग सके कि सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : Farmers will not remain behind. They are not getting proper price for sugarcane. They are agitating in Haryana.

**Shri George Fernandes** (Bombay-South) : In today's paper there is a half-page advertisement about L.I.C. to the effect that nobody would be rendered unemployed by the introduction of computors. I request you to ask the Labour Minister and if possible the Finance Minister to find a solution to this issue in the House rather than publicising it through newspapers.

**Shri S. M. Johsi** (Poona) : This is a serious matter and the Labour Minister should be asked to make a statement here.

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : इस हड़ताल से पालिसीधारियों के हितों को जोखिम पहुंच सकती है । इसलिये श्रम मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

**Shri Sheo Narain** (Basti) : The Hon. Members opposite are giving wrong information. Half the employees of the L.I.C. have given in writing that they will not go on strike. The House is being misled by giving wrong information.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : यह एक गम्भीर मामला है । इस बारे में यहां पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रतिपक्षी सदस्यों ने इसे एक गम्भीर मामला बताया है और श्रम मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहा है । संसद् कार्य मंत्री ने इसे देख लिया है और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता ।

**Shri Randhir Singh** : (Rohtak) The cane growers should be given adequate prices.....

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जब यह मामला आपकी अनुमति से उठाया गया है और माननीय सदस्यों ने श्रम मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहा है तो आपके यह कहने से ही काम नहीं बन जाता कि श्रम मंत्री ने यह सब सुन लिया है। मंत्री महोदय को इस बारे में चुप्पी नहीं साधनी चाहिये और अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिये। इस मामले में अवश्य ही एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मध्याह्न भोजन के बाद पुनः एकत्रित होने पर कोई भी सदस्य कोई मामला उठा देता है। इसलिये इसमें अनुमति का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। परन्तु चूंकि बहुत से सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, संसद् कार्य मंत्री जिनकी इस हड़ताल को रोकने में बहुत अधिक रुचि है, अवश्य ही इसे ध्यान में रखेंगे।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : The Hon. Minister should not keep mum and tell us what the demands of the workers are and to what extent they can meet them. If there is any difficulty, leaders of all parties should be invited for talks otherwise the Government would be held responsible.

**Shri Sheo Narain** : They have uprooted Juggiwalas and labourers in Delhi.

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो कुछ कहा गया है, वह संबद्ध अधिकारियों को पहुंचा दिया जायेगा।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : The Deputy Speaker has stated that what has been said here will be conveyed in the proper quarters. Dr. Ram Subhag Singh is sitting here. He should say so.

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दिये जाने पर इसे उठाया गया है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसलिये मैं चुप रहा। फिर भी यहां पर जो कुछ कहा गया है उसे सम्बन्धित मंत्री तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।

---

## भारतीय रेलवे (संधोधन) विधेयक—जारी
## INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—Contd.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी। हम खण्ड 2 पर विचार कर रहे थे।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Sir, I have given two amendments on clause 2 of Indian Railways (Amendment) Bill. My first amendment is that the new clause 100A and 100B, which is being added to the Railways Act, may be dropped because it will set back the fundamental rights of the common citizens and Railway employees. It is not in the interest of common citizens. Moreover the present Railway Act empowers the Government with

sufficient rights. Hence there is no need of this clause and I oppose it. In case this clause will be added in the present Act then the offences will become cognisable and Police will take undue advantage thereof. The right which is given to Police to arrest any one without warrant infringes the fundamental rights of our citizens. Hence I submit that there is no need of such a clause and it should be dropped.

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad) : Sir, the poor people and the labourers are being exploited today and the question of their interest is most important question to be considered. I know that Government has in view this thing that the people are being exploited and put into vissiferous tendencies and that is why they have brought this Bill in this House. But at the same time I would like to submit that the people will be deprived of their right even to represent their genuine demands. They should be given the right to go on strike lawfully. But clause 100A and 100B deprives them of their this basic right. Therefore my submission is that if this Bill is passed and the labourers are deprived of their right then the other consequence may follow.

The Hon. Minister had said that a tribunal has been appointed for the labourers. So my submission is that had the grievances of the labourers been heard by the tribunal then the question of strike had not to arise at all. I want to assure the Government that our 99 per cent labourers are patriots. They have no ill-feelings in them but they are forced to go on strike when they find that they cannot feed their families because the prices are so high and their voice is not heard by anyone.

Further my submission is that there must be a provision in this Bill that if any employee is forced to leave the train under certain circumstances then he should be exempted from the enforcement of this law. Moreover to go on a strike while giving due notice is a lawful thing. Therefore he should not be penalised for that. Hence I oppose this Bill.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : गत वर्ष बड़ी-बड़ी कोयला खानों के मालिकों ने रेलवे से यह मांग की थी कि कोयले के दाम बढ़ा दिये जायें वरना वे कोयला नहीं देंगे। बाद में उन्होंने वास्तव में कोयला देना बन्द भी कर दिया था। यह कोयला खान मालिकों द्वारा रेलवे के विरुद्ध हड़ताल थी। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक गाड़ियां बन्द करनी पड़ी थीं जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा था परन्तु तब न तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी और न ही कोई अध्यादेश जारी किया गया था।

1960 में जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो एक अध्यादेश जारी किया गया था परन्तु हड़ताल के बन्द होते ही उसे रद्द कर दिया गया था तथा उसे कानून के रूप में नहीं बदला गया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस बार कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। क्या सरकार के पास कोई ऐसे मामले आये हैं कि रेलवे कर्मचारी गाड़ियों को रास्ते में छोड़ कर चले गये थे परन्तु सरकार ने ऐसा कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। इस बीच केवल यही अन्तर हुआ है कि सरकार ने श्रम-विरोधी रवैया कड़ाई से अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार इन अध्यादेशों को कानून के रूप में इसलिये बदल रही है क्योंकि कानून बन जाने से

अध्यादेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी स्वयं ही इस कानून के दोषी बन जायेंगे । यह कानून तो केवल पुलिस अथवा न्यायालयों के माध्यम से उन्हें तंग करने के लिये ही बनाया जा रहा है । इससे रेलवे कर्मचारी किसी भी स्थिति में हड़ताल नहीं कर सकेंगे । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी देश में, जहां हमारे जैसी सरकार है, इस तरह का कानून है ? रेलवे हड़ताल तो अन्य देशों में भी होती है । दो तीन महीने पहले ब्रिटेन में भी रेल कर्मचारियों ने "धीरे काम करो" हड़ताल की थी । इसके परिणामस्वरूप बहुत सी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था । यात्रियों को भी बहुत असुविधा हुई थी परन्तु हमने नहीं सुना कि वहां पर अध्यादेश जारी किया गया था । अतः मैं जानना चाहता हूं कि वहां ऐसी हालत में क्या किया जाता है ।

यह भी कहा गया है कि यह कानून रेलगाड़ी को लाइन पर ही छोड़े जाने के बारे में है । अतः मान लीजिये कि यदि वह गाड़ी को वास्तव में न चला रहा हो तो क्या वह हड़ताल कर सकता है ? पठानकोट में सब कुछ गाड़ी के स्टेशन से छूटने से पहले ही हो गया था । पहली गाड़ी जो 6-20 पर प्रस्थान करने वाली थी वह वहां से रवाना न हो सकी क्योंकि उसे चलाने के लिये कोई भी न आया । इस पर पुलिस ने मारपीट आदि आरम्भ कर दी । अतः इससे यह बात गलत सिद्ध होती है । इस कानून का मतलब यह होगा कि किसी भी हालत में हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसा कानून है जो पहले कभी नहीं बना है तथा ऐसा कानून किसी अन्य देश में भी नहीं है । यह केवल लोगों को तंग करने के लिये ही बनाया जा रहा है । मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार इसे वापिस ले ले और अध्यादेश को समाप्त कर दे ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं मैं केवल उन्हीं को बोलने का अवसर दूंगा क्योंकि हम पहले ही समय सीमा पार कर चुके हैं ।

**Shri Madhu Limaye :** The Hon. Members have still to speak on this clause.

**श्री सीता राम केसरी :** (कटिहार) कल आपने इस सभा में मुझे वचन दिया था कि आप मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अनुमति दें ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमें खण्डवार विचार कर लेना चाहिए । यदि मैं आपको अनुमति दे देता हूं तो मुझे अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी । अतः मैं आपको बाद में अनुमति दे दूंगा ।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया हुआ है । माननीय मंत्री श्री चे०मु० पुनाचा ने कल एक राजनैतिक भाषण दिया था परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इस विधान को लाने की क्या आवश्यकता थी । भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन करके दंड की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसके सम्बन्ध में पहले ही कई

अधिनियमों में व्यवस्था है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 तथा 154 में तथा बहुत से अन्य अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था पहले ही है। अब सरकार इसके अलावा और शक्ति प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार के अधिनियम बनाने से हमारा लोकतंत्र कहां रहेगा। इससे भारत में समूचे लोकतंत्रात्मक आन्दोलन को ठेस पहुंचती है। जिसके लिये सरकार उत्तरदायी है। आपने आवश्यकता पर आधारित मंजूरी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। आपने उनकी किसी भी कठिनाई को दूर नहीं किया है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अत: मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये तथा उन्हें अपना संशोधन विधेयक वापिस ले लेना चाहिए।

**Shri George Fernandes** (Bombay—South) : I have moved six amendments for which I have stood here. I have moved in my amendment that the punishment for two years should be reduced to three months and fine from Rs. 500 to Rs. 50 and the following words be added at the end of clause 100 A :—

"Provided that if the Railway servant abandons his duty in pursurance of the notice of strike served by a trade union, the provision of this section shall not apply."

My submission is that this Bill is not going to serve any purpose to protect the Railway property because there are already many penal legislations in India for that purpose. The very aim of this Bill is to deprive the Railway employees of their right to go on strike. I would not object if punishment is awarded to a person for leaving the train if he is in a drunken state or on account of some quarrel with his higher authorities. But if he gives a notice to go on a strike along with fellow members of the union then his request should be acceded to. Hence I would like to submit that these employees sdould not be deprived of their right of strike.

The report submitted by the Accident Committee has revealed that the loss to the Railways is incurred on account of mismanagement of Railways and the Railways accident also take place on account of improper arrangements. But we do not see any officers being punished on this account. The capitalists who evade income-tax to the tune of crores of rupees are not penalised but if an employee gives a notice for strike then he will be given an imprisonment for two years according to this Bill which is not proper. Hence I submit that my amendment should be accepted and punishment reduced. Similarly the amount of fine should be reduced from Rs. 500 to Rs. 50 and after clause 100 (B) the following words should be added :—

"Provided that this section shall not apply to any acts done in pursuance of a demand for better amenities to railway servants or passengers."

I hope that the Railway Minister will accept these amendments of mine.

**श्री चे० मु० पुनाचा** : मैं खण्ड 2 पर पेश किये गये संशोधनों पर ही प्रकाश डालूंगा।

**Shri Onkar Lal Berwa** : Mr. Deputy Speaker, injustice has been done with me. In protest against it, I walk out from the House.

[**तब श्री ओंकार लाल बेरवा सभा छोड़कर चले गये**
**Shri Onkar Lal Berwa then left the House**]

**श्री चे०मु० पुनाचा** : बहुत से संशोधन पेश किये गये हैं जो भिन्न-भिन्न बातों से सम्बन्धित हैं। मैं एक-एक संशोधन को लेऊंगा। मान लीजिये दंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपनी सुरक्षा के लिये गाड़ी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आना चाहिये।

जहां तक श्री लोबो प्रभु के संशोधन का सम्बन्ध है, वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के अभिप्राय से लाया गया है। हम शब्द "एब्सटेन" के अन्तर्गत इस विधान के क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ाना चाहते। केवल "एबनडनमेंट" ही प्रस्ताविक विधेयक के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा। अत: मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं। ड्यूटी छोड़कर जाने के मामले को आनुशामिक नियमों के अनुसार निपटाया जा सकता है।

दंड के बारे में जो यह सुझाव दिये गये हैं कि इसके तीन महीने से कम अथवा 50 रुपये किया जाय यह पांच वर्ष होना चाहिये और जुर्माना 1,000 रुपये। मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हू।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या रेलवे कर्मचारियों के अपनी शिकायतों को पेश करने के अधिकार को छीन लिया जाना चाहिये। मूलभूत अधिकारों के साथ-साथ हमारे कुछ दायित्व भी हैं। कोई भी अधिकार दायित्वों के बिना नहीं होता है, व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर भी कोई चीज है, जैसे कि समाज और देश की सुरक्षा। ये बातें संविधान में स्पष्ट कर दी गई हैं। अत: इस विधेयक में जो कुछ किया गया है, वह रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों को कम करने के लिये नहीं किया गया है अपितु इन अधिकारों की देश के कल्याण, समाज की आवश्यकताओं और रेलवे के भलीभांति संचालन के लिये अपेक्षा की गई है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस विधेयक के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारी कानूनी हड़ताल कर सकेंगे ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): On a point of order, Sir. The main point raised is this that by passing this Bill, Government is not only placing restrictions on the right of strike, but as a matter of fact this right is being snatched away. Mr. Deputy Speaker, Sir, you are a lawyer. You very well know the difference between the two placing of restrictions on the right and snatching away the right for ever. The Hon. Minister said that he would not reply. In these circumstances, we will not allow the passing of the Bill.

**उपाध्यक्ष महोदय** : हड़ताल करने के मूलभूत अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु एक प्रश्न यह रखा गया था कि क्या यह पूर्ण प्रतिबन्ध है अथवा यह इस पर एक उचित प्रतिबन्ध है। मुझे इसके बारे में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मौकों पर उचित प्रतिबन्ध की परिभाषा की है। मैं इस बारे में मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। श्री नारायण राव, मैं

बार-बार कह चुका हूँ कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठ जाइये। उचित प्रतिबन्ध के प्रश्न के बारे में, जैसा कि मैंने कहा है, न तो यह सभा और न मैं अन्तिम निर्णय देने की स्थिति में हूं। इसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकेगा।

**Shri Madhu Limaye :** You can decide about it.

**उपाध्यक्ष महोदय :** जी, नहीं। आप कृपया बैठ जाइये।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) ; In the constitution, it is provided that the rights can be curtailed in public interest. For defence purposes, or for railway, canal or any public purpose the land can be acquired even if the farmer resist it. Therefore, I submit that the imposition of restriction in public interest either temporarily or permanently, on the right to strike is quite valid as prorided in the Constitution. Hence, I support the Bill.

**श्री क० नारायण राव** (बोब्बिली) : कामेश्वर प्रसाद बनाम सरकार वाले मुकदमें में 1962 अथवा 1963 में यह निर्णय दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत जो मूल अधिकार है उसमें हड़ताल करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को एसोशियेशन बनाने का अधिकार है।

वर्तमान मामले में आपके और सुप्रीम कोर्ट के विनिर्णय के बाद यह प्रश्न कि क्या हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना उचित है या नहीं, नहीं उठता। संघ बनाने के अधिकार का जहां तक सम्बन्ध है, इस अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होता है। जब तक कि कार्मिक संघ यह सोचकर न चले कि रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करना भी उनकी गतिविधियों का एक अंग है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये, अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की चर्चा पूर्णतया असंगत होगी।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, Sir if this is a **prima facie** case, in which there is violation of constitution, the Chair can take notice of it. To ascertain whether it is **prima facie** a case of constitution or not, it is necessary to determine whether the strike would be banned completely after the passing of the Bill.

In my opinion, if there is total ban on the strike then it is **prima facie** a case contrary to the constitution. In case it is not a blanket ban, it will be a reasonable restriction and it will be decided by the Court.

**श्री स० मो० बनर्जी** : जब यह विधेयक आया था, तो हमने यह कहा था कि इस विधान द्वारा रेलवे कर्मचारियों के मूलभूत अधिकार कम किये जा रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव पेश किया थाजिस पर आपने कोई विनिर्णय नहीं दिया था और सभा ने इस प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया था।

समस्त कार्मिक संघ 1926 के भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति पंजीबद्ध कार्मिक संघ का सदस्य है, तो उसे हड़ताल करने का अधिकार है यद्यपि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मूलभूत अधिकार नहीं हो सकता है। मैं इस बारे में आपसे सहमत हूँ। मेरे संघ के संविधान के अनुसार एक उपबन्ध है, जिसको भारत सरकार ने

स्वीकार किया है, कि मत संग्रह किया जाना चाहिये क्योंकि यह हो सकता है कि कुछ मामलों में अधिकांश कर्मचारी सहमत न हों। जब तक 75 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में न हों, तब तक हड़ताल नहीं होगी।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह एक उचित प्रतिबन्ध है। रेलवे कर्मचारियों के मन में यह भय समाया हुआ है कि उनके हड़ताल करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगने की सम्भावना है। यही कारण है कि लोग संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में शामिल नहीं हो रहे हैं। अतः श्री लिमये द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न पूर्णतया उचित है। आप इस संवैधानिक प्रश्न पर अपना विनिर्णय न दें। हम चाहते हैं कि महान्यायवादी यहां आयें।

मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। क्या पंजीबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त संघ को भी, जो हड़ताल के लिये मत संग्रह करने के बाद हड़ताल करने का 14 दिन का नोटिस भी देता है, हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**Shri George Fernandes** (Bombay-South) : I support the point of order raised by Shri Madhu Limaye. Nobody can challenge the fundamental rights. There is no controversy about it. The courts in the country have given their verdict about the fundamental right.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I would submit that we should not proceed in this matter in a hurried manner. This is a very important question. It is a question of snatching away the fundamental rights of several lakh railway employees. The matter should receive utmost attention at the hands of the Government. Article 13 (2) should be interpreted correctly by you.

The second thing I would like to say is about article 14. I donot agree with the views expressed by some members that right to strike is not a fundamental right. Even if, for a moment, it is accepted, I would submit that we should see article 14. This article 14 provides for equality before the law. Even if we feel that the right to strike is not a fundamental right and if you are trying to deprive them of the right given to them under the Industrial Desputes Act, the article 14 about equality before the law would be operative in this case. Government has no authority to bring forward a bill of this type in contravention of part three of fundamental principles.

**Shri Madhu Limaye** : Mr. Deputy Speaker, Sir, you have yourself accepted it that in case, I prove prima facie that this legislation goes contrary to the fundamental rights, the Hon. Speaker is empowered to give a ruling on it.

During discussion, it has been observed whether the right to strike is a fundamental right. This thing needs your attention. The second thing is whether this right, whether it is fundamental or legal, is being snatched through this bill. Government would have to prove before you that this is there but that has been regularised or controled. Government should convince that they are not trying to snatch away this right but they are regularising or controlling it. The article 13 (2) says :

The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by

the Part". In article 12, the state has been defined :

"In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament".

We have to see, does this Bill not contravene the articles 13 and 14 of the constitution about equality before the law and protection of the laws ? The legislative competence of the Government is to be decided.

The right of collecting bargaining has been accepted as fundamental right and it is part of the right to form association. Hence a right to strike inferred from the right of association as well as the right not to work.

**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई-मध्य दक्षिण) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना विनिर्णय देने से पूर्व संविधान में एक अन्य उपबन्ध पर विचार करें। इस अध्यादेश से हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। यदि यह मान लिया जाये कि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है तो भी काम करने अथवा काम न करने का अधिकार तो है ही। दूसरे मैं कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही मजूरी करता हूं। अतः मुझसे परामर्श किये बिना मेरी सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरे किसी से जबर्दस्ती काम नहीं लिया जा सकता। यदि आप अध्यादेश द्वारा ऐसा करना चाहेंगे तो यह संविधान के अनुच्छेद 23 (1) का उल्लंघन होगा।

उप-खण्ड (2) के उपबन्ध में कहा गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु यदि सरकार अनिवार्य सेवा लागू करना चाहे तो उसको किसी से विभेद नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों के अन्य वर्गों की तुलना में रेलवे कर्मचारियों के साथ इस मामले में भेदभाव किया जा रहा है। अतः यह धर्म, जाति, जात अथवा वर्ग अथवा इनमें से किसी एक के अन्तर्गत आता है। अतः वह अनिवार्य श्रम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री जि० मो० विस्वास** (बांकुरा): हम रेलवे तथा विधि मंत्री को सुनना चाहते हैं। (**अन्तर्बाधा**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मैं विधि मंत्री तथा रेलवे मंत्री को बुलाऊंगा। अन्य कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। (**अन्तर्बाधा**)*

**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) विरोधी दलों के सदस्यों को इस मामले पर्याप्त समय दिया गया है। श्री डांगे ने भी अपने तर्क दिये हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन तर्कों का उत्तर देने के लिए आप श्री के० नारायण राव को, जिनको कानून की जानकारी है, दो अथवा तीन मिनट का समय दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रंधीर सिंह भी बोलना चाहते हैं श्री के० नारायण राव भी बोलना चाहते हैं। उस समय विधि मंत्री यहां पर नहीं थे अतः उन लोगों को समय दिया गया था। श्री लिमये ने कुछ टिप्पणियां की थीं और मैंने चर्चा को उस बात तक ही सीमित रखा था।

*सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

इसको सामान्य चर्चा के लिए नहीं रखा गया था। परन्तु जब इस पर सामान्य चर्चा आरम्भ हो गई तब मैंने उनको विचार व्यक्त करने की अनुमति दी। मैंने श्री के० नारायण राव को भी सुना है। जहां तक इस ओर का सम्बन्ध है विधि मंत्री उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पर पहले ही काफी समय व्यय किया जा चुका है। अतः इस चर्चा को नहीं बढ़ाया जायेगा।

अब माननीय विधि मंत्री बोलेंगे। यदि वह पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं तो मैं दो अथवा तीन मिनट में उनको बता सकता हूं।

**श्री तिरुमल राव** : मुझे आशा है कि आप ऐसा कोई स्थायी सिद्धान्त नहीं बनायेंगे कि मंत्री के उपस्थिति के समय कांग्रेस दल के सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण मामलों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बहुत अनुचित है।

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)**: प्रश्न यह है कि क्या हड़ताल करने का मूल अधिकार है

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्षमा कीजिए। इसका निर्णय हो चुका है। इसमें कोई मूल अधिकार नहीं है। मूल प्रश्न यह है। यह शंका व्यक्त की गई है कि वर्तमान अध्यादेश से हड़ताल करने के अधिकार छीन लिए जाने की सम्भावना है।

**श्री गोविन्द मेनन** : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने पहले यह निर्णय दे दिया है कि हड़ताल करने का कोई मूल अधिकार नहीं है।

**श्री मधु लिमये** : ऐसा किसने निर्णय दिया है ?

**श्री गोविन्द मेनन** : यह विनिर्णय दिया गया है। यदि फिर भी माननीय सदस्यों को कोई सन्देह है तो मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है "कि जहां तक हड़ताल पर रोक लगाने का सम्बन्ध है इस नियम को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि हड़ताल करने का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है।" यदि यह मूलभूत अधिकार है तो इसको संविधान के भाग 3 में दिया होना चाहिए यदि कोई चीज संविधान के भाग 3 में नहीं दी गई तो उसको मूलभूत अधिकार नहीं समझा जा सकता।

इस विधेयक के खण्ड 2 में जो दो उपबन्ध अर्थात 100क तथा 100ख जोड़े गये हैं वे इस प्रकार हैं-

"यदि किसी रेलव कर्मचारी को ड्यूटी के समय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच रेलगाड़ी, रेल-कार अथवाकोई अन्य रोलिंग स्टाक चलाने सबंधी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वह कर्मचारी उस स्टेशन अथवा स्थान पर पहुंचने से पूर्व अपनी ड्यूटी छोड़ देता है तो

मैं पूरा उपबन्ध पढ़ना नहीं चाहता । दूसरा उपबन्ध 100 ख इस प्रकार है :

"यदि कोई रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के समय अथवा ड्यूटी पर न होते हुए भी अथवा कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी प्राधिकार के अनधिवास से तथा धरना देकर रेलगाड़ी, रेल कार अथवा अन्य रोलिंग स्टाक के चलने में बाधा डालेगा अथवा बाधा डालने का प्रयास करेगा तो ....आदि आदि

अब प्रश्न यह है कि यदि यह संसद् ऐसा उपबन्ध बनाना चाहती है जिसमें रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को दो स्टेशनों के बीच छोड़ने से रोका गया हो तो इस कानून में कोई गलती नहीं है ।

स्थिति यह है कि सातवीं अनुसूची की सूची एक में दिये गये किसी भी मद के बारे में यह संसद कानून बना सकती है यदि भाग तीन में एक अथवा दूसरे अनुच्छेद से ऐसा करने पर कोई रोक न लगाई गई हो । **(अन्तर्बाधा)**

जहाँ तक अनुच्छेद 14 का सम्बन्ध है उसमें ऐसा नहीं है कि एक नियम सब प्रकार के लोगों पर लागू होगा । यह ठीक है कि इस अनुच्छेद में समानता का उल्लेख किया गया है परन्तु यह एक निश्चित वर्ग के अन्तर्गत लागू होता है । यह सभा कर्मचारियों के वर्ग बना सकती है और रेलवे कर्मचारियों को उपबन्ध 100-क और 100-ख में रखा जा सकता है । अतः अनुच्छेद 14 इस पर लागू नहीं होता ।

कानून का प्रश्न उत्पन्न होने पर विरोधी दलों द्वारा यह कहा जाना कि महान्यायवादी को बुलाया जाये कोई लाभदायक नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि उपबन्ध 100-क और 100-ख असंवैधानिक हैं तो उनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह था कि क्या इस संशोधन के पश्चात कोरी रोक लगाई जाने से देश में कर्मचारी वर्ग के सीमाओं के अन्तर्गत हड़ताल करने का अधिकार छिन जाता है अथवा नहीं । यदि यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है तो प्रश्न का उत्तर हो गया । यह विद्यमान रेलवे अधिनियम का एक संशोधन है ।

**श्री गोविन्द मेनन :** हड़ताल करने का अधिकार नहीं लिया गया है । इन दो उपबन्धों में जिन बातों की मनाही की गई है वही उनसे ली गई हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उत्तर बहुत स्पष्ट है । यह शंका व्यक्त की गई थी कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लग जायेगी । विधिमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विधेयक का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है ।

**श्री स० कुण्डू :** अप्रत्यक्ष रूप से भी इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री पुनाचा इस स्पष्टीकरण से सहमत हैं ।

**श्री स० कुण्डू :** एक कानून द्वारा दिया गया अधिकार दूसरे कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** हम जिन सामाजिक नीतियों का अनुमान करते हैं, उनके कारण ही इसको मूलभूत अधिकार का महत्व प्राप्त हो गया है । इससे अधिक और कुछ नहीं । मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि यह मूलभूत अधिकार नहीं है । यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

अब माननीय मंत्री अपना उत्तर पूरा करेंगे ।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** मैंने अपना उत्तर पूरा कर दिया है । मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं दस मिनट समय बढ़ा रहा हूं । मैं श्री कुन्डू तथा श्री लिमये के संशोधन मतदान के लिए पृथक-पृथक रखता हूं ।

मैं संशोधन संख्या एक मतदान के लिए रखता हूं ।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

पक्ष में 46 , विपक्ष में 116

Ayes 46 , Noes 116

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं अब अन्य सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मत विभाजन के समय मैं कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसमें किसी सदस्य को अपने संशोधन पर मतविभाजन कराने का निषेध हो ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री कुन्डू की बात तुरन्त स्वीकार कर ली थी ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** हम चाहते हैं कि प्रत्येक संशोधन को मत विभाजन के लिए रखा जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखता हूं ।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

पक्ष में 45 , विपक्ष में 125

Ayes 45 , Noes 125

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** (केन्द्रपाड़ा) : अन्य संशोधनों को कल लिया जाना चाहिए। हमें सूखे की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिए रखता हूं।

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**पक्ष में** 44; **विपक्ष में** 125

Ayes 44; Noes 125

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखता हूँ।

**लोक सभा में मत-विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**पक्ष** 47 : **विपक्ष में** 129

Ayes 47; Noes 129

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज के संशोधन संख्या 15, 16 तथा 17 इकट्ठे मतदान के लिये रखता हूं।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** उनको एक-एक करके मतदान के लिये रखा जाना चाहिए।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** उनको एक-एक करके मतदान के लिये रखा जाना चाहिए। हो सकता है कि मैं एक के पक्ष में तथा दूसरे के विपक्ष में अपना मत दूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रक्रिया नियमों में एक नियम यह भी है कि यदि अध्यक्ष की राय में मतविभाजन के लिये अनावश्यक तौर पर कहा जाता है तो अध्यक्ष सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर खड़ा होकर अपनी राय बताने को कह सकता है। अतः वह इस प्रकार सभा के निर्णय के बारे में घोषणा कर सकता है।

मैंने इस नियम को कब लागू नहीं किया है। इस मतदान के पश्चात् मैं इस नियम को लागू करने जा रहा हूँ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रत्येक मतदान के पश्चात् विधेयक का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कुछ सदस्य अभी तक बाहर हैं और उनको मतदान में भाग लेने आने के लिये आपको उन्हें अवसर देना होगा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** आप इस सभा के अधिकारों के संरक्षक हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि सत्तारूढ़ दल किसी भी चीज पर चर्चा करना नहीं चाहता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** वास्तव में इस विधेयक के लिये कार्य सलाहकार समिति ने तीन घण्टे का समय रखा था। इस पर लगभग 9 घण्टे व्यय हो चुके हैं। फिर भी मैंने कहा था कि यदि हम खण्ड-वार चर्चा आज समाप्त कर लेते हैं तो मैं तृतीय पाठन में कल फिर अवसर दूंगा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** हम मतदान का काम कल पूरा कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस मामले में हमें कुछ प्रक्रिया का अनुसरण करना है। सदस्यों को इस पर चर्चा करने के लिये आठ घण्टे से अधिक समय दिया जा चुका है। इस खण्ड को आज समाप्त कर लें। अगले खण्ड पर चर्चा कल कर लेंगे। मैं खण्ड 2 के अन्य संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये**

**The Amendments were put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

**लोक सभा में मतविभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**पक्ष में** 122; **विपक्ष में** 41

**Ayes 122; Noes 41**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 2 was added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अन्य खण्डों पर कल चर्चा की जायेगी।

## सूखे की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

## MOTION RE: DROUGHT CONDITIONS

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में सूखे की स्थिति के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा 18 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण पर विचार किया जाये।" इस समय मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि देश में सूखे की स्थिति के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा 18 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण पर विचार किया जाये।"

**श्री जार्ज फानेन्डीज** (बम्बई-दक्षिण) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अमृत नाहाटा** (बाड़मेर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री कुन्डू** (बालासौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** (जालौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री रंगा** (श्रीकाकुलम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री मीठा लाल मीना** (सवाई माधोपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री सीताराम केसरी** (कटिहार) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

**डा० कर्णीसिंह** (बीकानेर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री प० ला० बारूपाल** (गंगानगर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री शिंकरे** (पंजिम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री रंगा** : कुछ दिन पूर्व हम बाढ़, सूखा तथा समुद्री तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति की चर्चा कर रहे थे । आज प्रसन्नता की बात है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री स्वयं एक प्रस्ताव लेकर आये हैं तथा सभा को अवसर प्रदान किया है कि सूखा के कारण हुए जनता के दुःखों पर चर्चा की जा सके ।

मैं एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह है राजस्थान में सूखे के कारण हुई स्थिति । जिन जिलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वे हैं जालौर, बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर । वहां 3377 गांवों तथा 24 लाख जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ा है । अन्य जिलों पर भी प्रभाव पड़ा है । वहां से पशुओं को बाहर भेजना पड़ा अथवा उन्हें बेचना पड़ा अथवा लोगों को मुफ्त भी दे दिये । राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच इस सम्बन्ध में समझौता हुआ है कि चारे की कमी के कारण वे अपने पशुओं को वहां ले जा सकते हैं ।

यह देश इस सारी घटना को खामोशी से नहीं देख सकता । इसके लिये कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि यह राष्ट्रीय आपत्ति है ।

राजस्थान के मित्रों को मेरा सुझाव यह है कि वहां 200 नलकूप खोदे जायें । यह कार्य एक या दो वर्षों में पूरा होना चाहिये । पानी वहां मुफ्त दिया जाना चाहिये तथा खाद्यान्न राजकीय सहायता से दिया जाना चाहिये । वहां सड़कों का निर्माण होना चाहिये तथा गांवों को बिजली सप्लाई होनी चाहिये । यह कार्य अगली वर्षा ऋतु तक जारी रहना चाहिये ।

अब मैं अपने क्षेत्र में समुद्री बाढ़ के कारण आई क्षति का उल्लेख करूंगा । सारे अक्तूबर में वर्षा 593 इंच होती थी परन्तु इस वर्ष यह 1247 इन्च हुई है । जिन स्थानों पर यह अधिक वर्षा हुई है उनके नाम है : सोमपाता, इच्छापुरम तथा टक्कली । सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार आम, नारियल तथा काजू के लगभग 3,64,613 पेड़ समाप्त हो गये हैं । अब वहां एक भी फार्म बाकी नहीं है । प्रत्येक पेड़ का मूल्य 300 रु०, 500 रु० तथा आम के पेड़ का तो 1000 रु० मूल्य है । पेड़ों की कीमत ही 12 करोड़ रु० के लगभग है । अब वहां सब उजड़ा दिखाई पड़ता है जैसे लड़ाई का क्षेत्र हो जहां शव ही शव हों । नये पौदे भी वहां नहीं हैं । वे भी केरल, असम, पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों से मंगाने पड़ेंगे । भारत सरकार को लोगों को यह सुविधायें देनी होंगी ।

वहां के जिलाधीश ने 7 नवम्बर को 50,000 रु० की राशि मंजूर की । उन्होंने कहा कि प्रति परिवार प्रतिदिन एक किलो अन्न दिया जायेगा । परन्तु वह केवल अब तक एक ही बार दिया गया है । जिलाधीश वहां क्षेत्र में पहुंच ही नहीं सके । वहां के सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां पहुंच गये परन्तु जिलाधीश के लिये यह संभव नहीं हुआ कि वहां पहुंच सकते ।

मैंने प्रधान मंत्री को वहां की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वह केन्द्र सरकार के अधिकारियों का एक दल वहां का दौरा करने भेजेंगी ताकि वह बता सके कि हम क्या सहायता कर सकते हैं । परन्तु जब मैं 21 तारीख को वहां से लौटा तो मुझे पता चला कि वह दल अभी गया ही नहीं है । मैंने इसका कारण पूछा तो उप प्रधान मंत्री ने कहा कि तीन सप्ताह की अवधि बहुत अधिक नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत से दल नहीं हैं जिन्हें जगह-जगह भेजा जा सके । हमें इन्तजार करने को कहा गया ।

हमारे मित्र खाद्य तथा कृषि मंत्री भी सहायता नहीं कर सके । आंध्र सरकार के अकाल आयुक्त को वहां भेजा गया । वह 8 तारीख को वहां पहुंचे तथा आंध्र के कृषि मंत्री 10 तारीख को वहां पहुंचे । उस समय तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश देने नहीं गया था । वहां के लोग 15 दिन तक सरकार के रहम पर बैठे रहे ।

उप प्रधान मंत्री ने मुझे पत्र लिखा है कि उनके पास आंध्र प्रदेश सरकार से अभी प्रतिवेदन नहीं आया है । यह राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के बीच क्या हो रहा है । वहां की सरकार ने अपने दिल्ली स्थित सलाहकार को प्रतिवेदन भेजा है । मुझे विश्वास है कि यह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में अवश्य प्राप्त हुआ है । फिर वित्त मंत्री जी कैसे कहते हैं कि उन्हें यह प्राप्त नहीं हुआ है ।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने जनता के लिये 50 लाख रु० की राशि मंजूर की है । यह बहुत कम है । उनका कहना है कि यह तक्कावी ऋण है तथा नारियल उत्पादकों के पुनर्वास के लिये है तथा किसानों द्वारा पशु आदि खरीदने के लिये है । यह राशि प्रति परिवार को 500 रु०

दी जायेगी। क्या यह पर्याप्त होगी ? उन्हें 10 लाख की सहायता नहीं अपितु कम से कम 2 करोड़ रु० की सहायता दी जानी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें अधिक से अधिक 200 रु० की राशि दी गई है। मैं श्री जगजीवन राम से पूछना चाहता हूं कि क्या 200 रु० में एक परिवार का मकान बन सकता है ? इसके लिये 50 लाख रु० चाहिये।

मछुवों को केवल 20 दिन के लिये मुफ्त चावल दिया गया। उन्हें 2 महीनों तक यह चावल देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि मछली पकड़ने वालों के लिये 10 लाख रुपये नकद मंजूर करने चाहिये ताकि वे अपनी नावों की मरम्मत कर सकें। कम्बलों के लिये 2 लाख रु० देना चाहिये। सड़कों की मरम्मत के लिये 15 लाख रु० की आवश्यकता है। सिंचाई के साधनों के लिये 25 लाख रु० की राशि चाहिये जबकि सरकार केवल 2½ लाख रु० दे रही है। स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिये 5 लाख रु० की राशि चाहिये। छोटी सिंचाई योजना के लिये 3 करोड़ रु० की आवश्यकता है। कुल मिलाकर 10 से 15 करोड़ रुपये इन सब कार्यों के लिये चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र सरकार ने कितनी राशि मांगी है।

केन्द्रीय दल ने उड़ीसा के लिये केवल 7 करोड़ रु० की राशि की सिफारिश की है। यह तो बहुत कम है। क्योंकि वहां सारा राज्य तबाह हो गया है।

आंध्र सरकार अपने राज्य के लिये बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने 50 लाख रु० मंजूर किये हैं। वहां के राजस्व बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि उन्होंने सारे जीवन में ऐसी तबाही नहीं देखी है। खाद्य मंत्री ने भी स्थिति की गंभीरता के बारे में कहा है और उसे स्वीकार किया है। आंध्र में 20 जिलों पर तबाही का प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने केवल 7 करोड़ रु० मंजूर किये हैं। उन्होंने एक करोड़ रु० और मंजूर किया है।

मैं चाहता हूं कि सदन इसकी गंभीरता को समझे।

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी सहायता उन क्षेत्रों को दी जा रही है वे मेरे द्वारा प्रधान मंत्री को दी गई इस चेतावनी के परिणामस्वरूप दी गई है कि मैं यह नहीं चाहता कि यह सहायता हमेशा की भांति जिला कलेक्टर के द्वारा दी जाये। इसके लिये राजस्व बोर्ड के सदस्य के पद का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये जो राजनीति से परे हो, निष्पक्ष हो और वह इस सहायता को निष्पक्ष रूप से लोगों को दें।

**Shri P. L. Barupal:** Rajasthan and particularly Bikaner, Jodhpur, Jasulmer, Badmer and Jalloure have been very badly effected by drought this year. It is nothing new for Rajasthan. We are living in a Scientific age today and it is very sad that even twenty one years after attaining the freedom we are not able to supply even drinking water to the people of India. There is a great shortage of drinking water in Rajasthan. People are not able to get drinking water up to thirty miles. There is no arrangement to supply water to them.

The Government should find out some permanent solution to solve this problem.

It should not be considered as the problem of Rajasthan alone but it should be considered as the problem of India as a whole. The construction work on Rajasthan canal should be started on war footing.

People are suffering due to shortage of foodgrains. The Government should take active steps to provide foodgrains to them.

It is sad that Government is paying more attention towards big cities like Delhi, Bombay and Calcutta. On the one hand Government is spending huge sums in constructing huge buildings in these big cities on the other hand the essentials of life are denied to the people on the pretext of shortage of funds.

There had been people in Rajasthan who had not been able to get food for the last three days and they had been dying of hunger. The condition of the Harijans is specially pitiable. The foodgrains supplied to the people is not fit for the animals even.

Fifty per cent people have become blind due to lack of nutritious elements.

Serious view should be taken of the famine conditions, prevailing in the country. The Government should stop constructing big buildings. It should also stop supplying costly furniture in Government offices. On the other hand Government should do some positive work for the welfare of the famine stricken people.

Pakistan has constructed seventeen miles long and 15 feet high wall on its border, but nothing has been done on our 1400 miles long border.

Not only the cattle will die but the children will also die due to famine. Even if it rains the farmers will not be in a position to do cultivation. In addition to the assistance to be given to the farmers they should be provided with bull, seeds and implements. Adequate assistance should immediately be given to Rajasthan.

A great injustice has been done with Ganganagar. Due to supply of water to Pakistan, there has been fifty percent reduction in Ganganagar water, there is great anger among the people due to shortage of water.

The Hon. Minister is aware of the situation prevailing in Rajasthan and therefore, he should try to provide as much assistance to Rajasthan as possible.

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आशा है कि अब श्री बारूपाल मेरी बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार चर्चा करना ध्यान दिलाने की सूचना से अच्छा है । अब उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि इस प्रकार बहुत से सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ।

मैं यह अनुभव करता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये एक घण्टे का समय पर्याप्त नहीं है । अतः हम इस चर्चा को 6 बजे स्थगित करेंगे और फिर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे । इस विषय पर फिर कभी चर्चा की जा सकेगी जब मंत्री महोदय को सुविधा होगी ।

**डा० कर्णी सिंह :** पिछली बार जब हमने सूखे की स्थिति पर चर्चा की थी तो हममें से बहुत से सदस्यों ने यह प्रयास किया था कि सरकार अकाल की स्थिति को स्वीकार कर ले और यह

घोषित कर दे कि वहां सूखे की स्थिति है। इसी प्रकार कई महीने टल जाने के बाद इस स्थित को स्वीकार किया गया। राजस्थान के लोगों का कहना है कि ऐसा बुरा अकाल पिछले पचास वर्षों में कभी नहीं पड़ा। देश के सब भागों के लोगों और दलों को छः महीने तक अकाल का मुकाबला करने के लिये सहायता देनी होगी।

सरकार को इसके लिए कोई स्थायी हल खोजना पड़ेगा क्योंकि विदेशों पर हर समय इस बात पर निर्भर करना बहुत ही अपमानजनक होगा। अगामी वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन को प्राथमिकता देकर हमें इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए।

अकाल ही एक ऐसी समस्या है जिसका देश को शताब्दियों से सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आधुनिक तकनीकी सहायता द्वारा इस समस्या को स्थायी तौर पर हल किया जा सकता है।

इसके बावजूद कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मर, जोधपुर और जालौर जिले अकाल से बुरी तरह पीड़ित थे, विशेषज्ञों के दल ने उन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी बीकानेर क्षेत्र का दौरा नहीं किया। विशेषज्ञों के दल को उन जिलों का अवश्य दौरा करना चाहिए था और वहां पर विशेषकर पानी की समस्या को हल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए था। न केवल बीकानेर में बल्कि जैसलमेर और राजस्थान में जहां पानी बहुत नीचे है वहां के लिए केवल एक कुएं के लिए केवल 12½ रुपये राज-सहायता दी गई है। उसे बढ़ाकर 50 रुपये की जानी चाहिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लोगों को पीने के पानी के लिए 20 से 30 मील तक अधिकतर चलकर जाना पड़ता है कुओं की मरम्मत के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुझे इस बात की सूचना मिली है कि अकाल शिविरों में कुछ लोगों को चालीस दिन तक की मजदूरी नहीं मिली है। आजकल मुसीबत का जमाना है अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक अकाल कैम्पों के खोले जाने का सम्बन्ध है ऐसी खबरें मिली थीं कि सरकार ने यह कहा है कि वह इन कैम्पों को 10 मील के बीच खोलेगी लेकिन कुछ कैम्प तो 20 से 30 मील की दूरी पर खोले गये हैं। सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अकाल कैम्प 10 मील के भीतर खोले जाएं।

जहां तक चारे का सम्बन्ध है कुछ स्थानों पर खोले गये चारे के डिपो पर्याप्त हैं। मेरा सुझाव यह है कि चारा उस स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए जहां पशुओं को लाया जा सके और जहां पानी उपलब्ध हो।

पिछले कुछ दिनों में चारे का मूल्य 8 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़कर 11 रुपये प्रति क्विन्टल हो गया है। चारे के मामले में भी राज-सहायता दी जानी चाहिए। चारे का मूल्य घटा

कर उस कीमत तक लाना चाहिए जो कीमत किसान अदा करने में समर्थ हों। चारे के लिए दी जाने वाली राज-सहायता किसानों को शीघ्र प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे यथाशीघ्र चारा प्राप्त कर सकें।

नहर की खुदाई करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन 1/95 रुपये दिये जाते हैं। यह मजदूरी काफी नहीं है।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kota): I am sorry to point out that the Jan Sangh Member has not been called here in his turn after the Swatantra Party Member has spoken. This is in contravention of democratic principles.

We often find that Rajasthan suffers from drought after the winter season since the water dries up in summer. But this year for want of rains it is even before the winter season. The drought in Rajasthan is not a new thing, but our Government do not take it seriously and do not care for the people's sufferings.

Unfortunately the Rajasthan canal has not been completed and only one-fourth portion of it has been built. Had it been completed, it would have secured our border area from defence point of view and also would have provided enough water to Rajasthan. I can not find money as the reason for it because they are constantly increasing the army of Ministers.

Today, 12 lakh people and 18 lakhs cattle are suffering from shortage of food. Government have set up only 18 camps instead of 30 as promised earlier and there also only 3200 cows are looked after as against 36,000. Besides that, owing to shortage of water in Rajasthan only 36 out of 280 tube wells are functioning. This clearly shows the negligence of Government in this behalf. In addition to the above, a number of actually affected areas have not been declared as affected by drought. They have got some political interest in it. They have formed such a Famine-Code that even the badly affected areas may also not be declared affected ones. This code should be changed or thrown away, but the labourers should get mouthful of food.

Both men and cattle are dying of starvation but the Railways are determined to earn profits and are adamant to give only 20% discount in regard the wagons transporting fodder. This facility as also ration should be provided free of cost to the sufferers. People in these areas had to eat plum-bushes even. People have deserted border areas and Pakistan will take maximum benefit of it. The Government should, therefore, arrange for the security of Rajasthan and rehabilitate the people in border areas by giving all adequate provisions for them and their cattle.

The meagre amount of Rs. three crores provided by the Prime Minister and the Finance Minister is not enough to meet the needs of 12 lakhs of people and 18 lakhs of cattle. Do not the Government feel their responsibility? Even the business of Bombay and Calcutta have shown some sympathy and given a help of Rs. one crore. Chief Minister Shri Sukhadia has himself agreed that at least 60 crores of rupees are required to normalise the fate of the people in Rajasthan. Therefore the centre and state both should take immediate steps in this regard. The first need is to save them from the clutches of death. Preventive measures should be taken up later on.

It is a matter of deep regret that half of the water is being given to Pakistan just at the point of a threat. If this water is given to Rajasthan the areas of Ganganagar, Barmer, Jasalmer

etc. will become evergreen. The German and Japanese engineers have already given their survey report also but Government's discussions are never finalised. They have rather sucked Rajasthan. I want that the grants should not be given with a political consideration. There has been a scandal of lakhs of rupees in 1966-67. I can put details also. Those were the election days and money was required. So the funds were fully misappropriated. Money provided for the help to the sufferers was misappropriated by putting down wrong and false entries and names in the registers. I want that the Centre and State both should appoint officials to inquire into the corrupt practices of the corrupt officials there and bring them to look.

The irrigation authorities are also very corrupt. They demand heavy amount for providing water. These people have thus created famine situation. No body is going into their misdeeds. On the other hand, many people are making money in the name of medicines, milk-tins etc. whereas the people are given such rotten food grains that even the animal will not like to smell. But none cares for all these things. I want that there should be a permanent solution to this problem. If such a situation arises in Kerala, you will find strikes, riots and incidents of sabotage, and the Ministers will rush to that place. But no body cares for the poor people of Rajasthan who are crying for a grain today. I, therefore, want that the drought situation in Rajasthan should be met on war basis. All the border people should be rehabilitated.

The problem of Rajasthan should not be treated a simple problem. Before making plans, immediate steps should be taken to save the lives of 12 lakh of people and 18 lakh of animals.

**श्रीमती सुधा रेड्डी** (मधुगिरि) : प्रकृति के प्रकोपों में अकाल का प्रकोप सबसे भयंकर अभिशाप है और जब यह प्रकोप फूट पड़ता है तो मानव स्वयं अपने से तथा अपने ही समुदाय से ही युद्ध करने को तत्पर हो जाता है ।

ये विपत्तियां बार-बार हम पर आई हैं परन्तु पिछले तीस वर्षों से हम केवल अस्थायी राहत कार्यों के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं कर सके । और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि अस्थायी कार्यों का हमारे समुदाय पर उचित प्रभाव नहीं पड़ता ।

मेरे चुनाव क्षेत्र का नाम बड़ा सुन्दर है—मधुगिरि, परन्तु एक कांटे की तरह सूखा है । सारे क्षेत्र में पिछले चार वर्षसे भयंकर सूखे की स्थिति है । एक ए० एफ०पी०आर०ओ० संस्था ने पिछले वर्ष ही मैसूर सरकार के सहयोग से एक ड्रिल लगाई गई है । सरकार न जाने क्यों अधिक ड्रिल नहीं लगवाती? कृषि विभाग द्वारा लगाई गई ड्रिल भी असफल सिद्ध होती है । वे कुएं में धंस जाती हैं तथा फिर कुआं ही छोड़ना पड़ता है । इसके अतिरिक्त विकास बैंक जो कुएं खुदवाने के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करने में लम्बा समय ले लेते हैं । इस कार्य हेतु सरकार द्वारा सहायता भी बहुत ही कम दी गई है ।

सूखे के क्षेत्रों में अदायगी में कठिनाई होने के कारण वहां सहकारिताएं भी असफल रही हैं । इसलिए सहकारिताओं को उपदान दिया जाना चाहिए ।

यद्यपि छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य हाथ में लिया जा चुका है परन्तु उसमें सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। हमें इस कार्य को लम्बी अवधि तक के लिए तथा पूरा उत्साह से चलाना चाहिए। बड़े दुःख की बात है कि इसके लिये अब हमने केवल 50 लाख रुपये रखे हैं जबकि योजना के प्रारूप में पहले 40 करोड़ रुपये तय किये थे।

मैं इस बात पर जोर दूंगी कि ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय आयोजन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सूखे वाले क्षेत्रों में इमली जैसे पेड़ लगाये जाने चाहिए जो कि सूखे की स्थिति से प्रभावित नहीं होते।

हमारे यहां अच्छी ऊन की कमी है। अतः भेड़ों को विदेशों में भेजने की बजाय हमें अपने यहां इनकी संख्या और किस्म में विकास करना चाहिए।

उपर्युक्त शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि सारी केन्द्र सरकार को देश में सूखे की स्थिति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा राहत कार्यों के लिए ठोस और प्राथमिकता देकर उपाय किये जाने चाहिए।

**श्री क० लकप्पा** (तुमकुर): सदन में भी तथा सदन के बाहर भी लाखों लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है वह देश में पिछले बीस वर्षों से व्याप्त सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई स्थायी उपाय करे। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में भी पिछले चार वर्ष से लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है परन्तु मुझे दुःख है कि भारत सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं किये। पिछले महीने इस बारे में प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति को मैसूर सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक ज्ञापन भी दिया गया है। परन्तु मुझे जानकारी मिली है कि ऐसी अकाल की स्थिति में भी मैसूर सरकार से सांठ-गांठ करके राजनैतिक खेल खेल रही है। मैं केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि मैसूर सरकार को दिये गये 3·55 करोड़ रुपयों को राज्य सरकार ने तालुक मंडल के चुनावों तथा कांग्रेस के कामों में इस्तेमाल कर लिया और इन भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों के कारण राज्य की हालत और अधिक खराब हो गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**]

भारत सरकार के अधिकारी ने मैसूर राज्य के कुछ प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया था और मैसूर सरकार ने भी भारत सरकार और संसद सदस्यों को सहायता के लिए पुकारा है। परन्तु मैसूर का दौरा करने वाले दल ने दुर्भाग्य से इसकी परवाह नहीं की। मैसूर राज्य में गम्भीर अकाल-स्थिति तथा विशेषरूप से तुमकुर जिले की स्थिति पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पर भी बड़ा भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष के जिले चीतल दुर्ग जिले को सभी राहत-सहायता मिली है। मैं यह आरोप लगाता हूं मंत्री महोदय इसकी जांच करें। मेरे क्षेत्र से श्री शिन्दे, प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति को भी ज्ञापन पत्र आ चुके हैं कि वहां की स्थिति लगातार खराब होती

जा रही है। परन्तु उधर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसी ही स्थिति राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में भी है। इस बारे में अनेक बार यहां प्रश्न उठ चुके हैं। मैसूर में पिछले 4 वर्ष से प्रायः एक करोड़ लोग अकाल-ग्रस्त हैं परन्तु उनके लिये कोई उचित उपाय नहीं किये गये हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता रहा हूं कि वह इस बारे में कोई स्थायी प्रबन्ध करे। परन्तु सरकार ने तो अनेक क्षेत्रों को अकाल-ग्रस्त ही नहीं माना है। यह बड़े खेद की बात है।

बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार ने धन देना था और छोटी सिंचाई योजनायें मैसूर सरकार ने चलानी थीं; परन्तु सभी प्रभावित सोलह जिलों के लिए कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। राजनीति सम्बन्धी कारणों से इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा।

मैं सरकार की आलोचना करूंगा कि उसने 20 वर्षों में भी कुछ भी सुधार लाने की दिशा में कोई राहत योजना लागू नहीं की। फिर इस सरकार को इस देश पर शासन करने का क्या अधिकार है ? मैं तो चाहूंगा कि संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को यथेष्ट सुविधाएं न दे सकने के कारण मंत्री महोदय त्याग पत्र दे दें। कांग्रेस सरकार के शासन में हम किसी प्रकार आश्वस्त नहीं हैं। इन वर्षों में कांग्रेस शासन में हमने भुखमरी, मौतें और अल्पाहार ही पाया है जिस से कि जनता को अवर्णनीय दुःख उठाना पड़ा है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि सरकार मैसूर का दौरा करने वाले अध्ययन-दल के अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराये जिन्होंने गम्भीर अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के प्रति इतनी उपेक्षा का परिचय दिया।

हम भारत सरकार और मैसूर सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि वे प्रत्येक जिले में एक अकाल-बोर्ड स्थापित करें जहां ऐसी स्थिति व्याप्त है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने क्या वित्तीय सहायता दी है। मैसूर विधान सभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव का भी क्या हुआ जिसमें केन्द्र सरकार से स्थिति सम्भालने हेतु 20 करोड़ रुपये की सहायता देने की प्रार्थना की गई थी और आपने कितनी वित्तीय सहायता दी है। आपने तो केवल 3·5 करोड़ रुपये दिये हैं। इस बारे में विशिष्ट रूप से आश्वासन चाहूंगा। भारत सरकार इस बारे में जांच करे तथा मैसूर के इन 16 प्रभावित जिलों तथा देश के अन्य ऐसे ही भागों के लिए स्थायी प्रबन्ध करे।

**Shri Amrit Nahata** (Barmer): Mr. Speaker, Sir, I am sorry that the statement given by our Food Minister, Shri Jagjivan Ram....

**श्री शिव नारायण :** उपाध्यक्ष महोदय, अब जनपूर्ति नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार दिनांक 28 नवम्बर, 1968/7 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 28, 1968/Agrahayana 7, 1890 (Saka)**



Tej Kumar Press, Lucknow. 7-3-69—600.